खण्ड-176, अंक-7
गुरूवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1878
(23 अगस्त, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 176 में 7 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २३ अगस्त, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२०)

अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभानसिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री

जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री

मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलामसिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसादसिंह श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री

वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सफिया अब्दुलवाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द , डाक्टर
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगावार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २३ अगस्त, १९५६

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में यू० पी० कमेटी हिस्ट्री आफ फ़्रीडम मूवमेंट इंडिया का दफ्तर

**१--श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि लखनऊ में कोई दफ्तर यू० पी० कमेटी हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन्डिया (U. P. Committee History of Freedom Movement India) के नाम से कायम है ?

शिक्षा उप-मंत्री (डाक्टर सीताराम)--जी हां।

**२--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि अगर यह दफ्तर कायम है तो इसका इन्चार्ज कौन है और इसके मातहत कितने अफसर और क्लर्क काम करते हैं ?

डाक्टर सीताराम--दफ्तर के इंचार्ज समिति के मंत्री हैं तथा संलग्न सूची में दिये हुये अफसर व क्लर्क उनके मातहत काम करते हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५१६ पर)

**३--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (अनुपस्थित)--क्या गवर्नमेंट बतायेगी कि इस दफ्तर पर सालाना कितना व्यय होता है ?

डाक्टर सीताराम--गत वित्तीय वर्ष में २६,९८९ रु० व्यय हुआ था।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो कमेटी है यह कब स्थापित की गई और अब तक क्या काम कर चुकी है ?

डाक्टर सीताराम--मैं समझता हूं कि सन् ५५ में स्थापित की गई थी और १८८५ तक की रिपोर्ट तैयार कर चुकी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस कमेटी में विधान सभा का भी कोई सदस्य है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--जी हां, मैं हूं और उसका अध्यक्ष भी हूं।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय सूचना मंत्री के अलावा और कोई इस विधान सभा का सदस्य उस कमेटी का मेम्बर है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी नहीं।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इनमें से भी कुछ लोग जो उन फ्रीडम मूवमेंट्स के हैं उनमें से भी कुछ को इस कमेटी में रक्खा जाय ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १-३ श्री तेजप्रताप सिंह ने पूछे।

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसमें पार्लियामेंट के कुछ मेम्बर हैं और अधिकतर यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इतिहास के विद्वान लोग हैं। उस कमेटी का काम यह है कि जहां-जहां से सूचना मिले, सूत्र मिले इतिहास में देने लायक वह संग्रह करें, संकलित करें और लिखे। अवश्य ही विधान सभा के सदस्य स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले लोग हैं और बराबर राजनैतिक कार्यकर्ता रहे हैं चाहे वे किसी भी दल के हों। पुराने घरों में, मकानों में स्वतन्त्रता के आन्दोलन की सामग्री मिल जाय इतिहास सम्बन्धी वह सब यह कमेटी संकलित कर रही है। इतिहास लिखने का इसका काम है इस विचार से उसमें यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर्स इत्यादि रक्खे गये हैं।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को क्यों प्राथमिकता दी गई है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस आन्दोलन में कार्य किया था और जिन्हें ज्यादा वाकफियत है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह इतिहास स्वतन्त्रता के युद्ध का इतिहास है जिसमें इस आन्दोलन का बहुत पहले से इतिहास जो कुछ भी मिलता है सब रहेगा। आन्दोलन तो हमारा, कांग्रेस का आन्दोलन तो १८८५ से चला उसके बहुत पहले भी स्वतन्त्रता के युद्ध हुए जिनका इतिहास है और जिसके इतिहास को सम्पूर्ण करना है। और फिर जिस आन्दोलन का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वह १९२१ से चला। तो उसे कई खंड में बांटा गया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार की ओर से भी फ्रीडम मूवमेंट की हिस्ट्री लिखने की कोई कमेटी बनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां। एक कमेटी उनकी थी। इस समय उसकी क्या स्थिति है मैं नहीं जानता।

श्री राजनारायण---क्या सरकार को इस बात का पता है कि उस कमेटी से भी माननीय कमलापति जी का कोई सम्बन्ध है और यदि हां, तो उनका यू० पी० की सरकार द्वारा निर्मित कमेटी और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित कमेटी से क्या ताल्लुक है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा ख्याल यह है कि अभी मुझे सूचना मिली है कि केन्द्रीय समिति जो है वह तो अब नहीं रही। हां, वहां उसका दफ्तर है कुछ जहां कि हम भी अपनी सामग्री भेज देते हैं। तो सेन्ट्रल कमेटी जब बनी थी तो उन्होंने स्टेट में भी कमेटी बनाने का आयोजन किया था और यह कमेटी यहां बनी। अब सेन्टर में तो है नहीं, लेकिन सामग्री एकत्र करने का दफ्तर है। हमारी जो कमेटी है उसका सम्बन्ध उत्तर प्रदेश में स्वतन्त्रता का जो युद्ध हुआ उसके इतिहास से है, सारे देश के इतिहास से नहीं है। तो हम अपने प्रदेश का इतिहास लिखने के लिये जितनी सामग्री आवश्यक हो सकती है या मिल सकती है उसका संग्रह कर रहे हैं।

श्री गेंदा सिंह---सरकार ने जिले और उससे भी निचले स्तर पर सारी जानकारी जानने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अब जिले में तो बहुत से रिकार्ड्स हैं, सरकारी रिकार्ड्स हैं कई जिलों में उनका अध्ययन किया गया है वहां से नोट्स लिये गये हैं। जो हमारे रिकार्ड्स रूम वगैरह पुराने हैं उनसे भी सामग्री एकत्र की गई है। फिर इसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी की ओर से, इस कमेटी की ओर से भी, शिक्षा मंत्री की ओर से, अपील की गई है कि किसी के पास कोई भी सामग्री यदि इस सम्बन्ध में है तो वह कृपा करके हमें दे दें। हमारे पास ६, ७ रिसर्च स्टूडेंट्स हैं जिनके द्वारा हम

उसका संग्रह कर भी रहे हैं जिले-जिले से। और हमारी तो विधान सभा के सदस्यों से भी यह प्रार्थना है, इस भवन में और बाहर भी, जो कोई भी इस सम्बन्ध में कुछ भी सामग्री जिसको मिल सके या अपने अनुभव के आधार पर लिख करके दे सकते हों तो वे दें, हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि १९४२ के आन्दोलन के बाद महात्मा जी ने भी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से मूवमेंट से सम्बन्धित कार्यवाही के आंकड़ों की जानकारी हासिल करायी थी और उसके बारे में विभिन्न दल और विभिन्न व्यक्तियों ने रिपोर्ट भेजी थी? यदि हां, तो गांधी जी के पास जो रिपोर्ट भेजी थी क्या सरकार उसको मंगवायेगी और उसको भी इस कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसी किसी रिपोर्ट की जो गांधी जी के पास आयी हो तो मुझे सूचना नहीं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि कौन-कौन जिलों से रिपोर्ट बना करके उनके पास भेजी गई थी जिसमें ऐट्रोसिटीज वगैरह जो उस समय हुई उनका जिक्र था। तो ऐसी सामग्री हम एकत्र करेंगे। अगर माननीय सदस्य के पास हो या किसी दल विशेष की ओर से भेजी गई हो और उसे भी प्रदान कर दें तो हम उसको कृतज्ञता-पूर्वक स्वीकार करेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस कमेटी ने कोई अपनी प्रश्नावली नहीं बनायी है और न उसको सर्कुलेट किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्नावली की तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हां और सामग्री हमें चाहिये। इसकी सूचना अखबारों, रेडियो से, पत्रों से भी दी जा चुकी है। लोगों के पास पत्र भी लिख करके भेजे गये हैं और बहुत सामग्री हमने संकलित कर भी ली है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फ्रीडम मूवमेंट के लिये सामग्री इकट्ठा करने के लिये अब तक जिलेवार लोकल बाडीज को भी इस सम्बन्ध में पत्र भेजे गये हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—किस लोकल बाडीज से उनका सम्बन्ध है, म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से?

श्री अध्यक्ष—उन्हीं से उनका मतलब है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपल बोर्ड की बात अलग है, लेकिन सबसे अपील की गई है। मैं नहीं समझता हूं कि उनके पास ऐसी कोई सामग्री हो। लेकिन अगर उनके पास कोई सामग्री हो तो वह अवश्य भेजें, क्योंकि हमने तो सभी से अपील की है।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह इस सम्बन्ध में जिले के स्तर पर कमेटी बनाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यकता तो अवश्य अनुभव करता हूं। अगर हमारे विधान सभा के सदस्यगण अपने-अपने जिलों में रुचि रखते हैं, वे कमेटी बनाकर हमको सामग्री दे सकें तो हमारे काम में बड़ा सहयोग होगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या मंत्री जी, जो इतिहास फ्रीडम मूवमेंट का लिखा जा रहा है उसमें उन लोगों को, जो १८५७ में फांसी पर चढ़े या जख्मी हुये, स्थान देने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस इतिहास में तो सभी लोग स्थान पायेंगे जो इसमें स्थान पाने योग्य हैं।

श्री गेंदा सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पार्लियामेंट के कौन मेम्बर इसके मेम्बर हैं और विस्तृत जानकारी रखने के आधार पर कृपलानी जी को इस कमेटी की सदस्यता स्वीकार करने के लिये सरकार उनसे प्रार्थना करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी, इस समय तो कमेटी बन गई है और इसमें जितने सदस्य हैं वह काम कर रहे हैं। इसके सदस्य हैं डाक्टर सैयद महमूद, आचार्य बीरबल और प्रोफेसर रामसरन। फिर भी यदि किसी आदरणीय सदस्य से सामग्री मिलती है तो वह लेने की चेष्टा करेंगे ही।

श्री झारखंडेराय---क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस काम की सूचना प्रान्त के विभिन्न स्थानों में बहुत कम है, कोई ऐसा उपाय करेंगे कि पंचायतों या अन्य तरीकों से कि इसकी सूचना दे दी जाय जिससे लोग सरकार के पास सामग्री भेज सकें ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---सूचना देने के जितने सूत्र हो सकते हैं उनसे हम सूचना दे चुके हैं और बराबर दे रहे हैं। अब तो माननीय सदस्यों का सूत्र बाकी है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में इसकी सूचना पंचायतों को दे दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार इस राजनीतिक इतिहास के लिखने में राजनीतिक दलों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस इतिहास के पीछे किसी राजनीतिक दल की कोई दृष्टि की बात नहीं है। यह तो स्वतन्त्रता का इतिहास होगा जो निष्पक्ष होता है। इसमें हम सभी का सहयोग प्राप्त करेंगे, चाहे किसी दल का हो। जो सामग्री हमने इकट्ठा की है उसमें से बहुत सी हमने क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी लोगों से संग्रह की है। हमारी कमेटी के भूतपूर्व अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेव जी थे जो आज इस संसार में नहीं हैं और इसके कनवीनर प्रोफेसर मुकुटबिहारी थे जो दूसरे दल के थे। इसलिये इस चीज के पीछे किसी दल की कोई भावना नहीं है। कहीं से सामग्री मिल जाय वह लेनी है। जिस तरह से इतिहास निष्पक्ष भाव से लिखा जाता है उसी प्रकार से इस प्रदेश का स्वतन्त्रता का इतिहास भी लिखा जायगा।

पूर्वी जिलों में अनावृष्टि

****४---श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद तथा फैजाबाद कमिश्नरियों के अधिकांश भागों में वर्षा न होने के कारण टागुन, सावां, मकई आदि की फसल आठ आने से अधिक सूख गई है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---केवल वाराणसी, देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया तथा गाजीपुर जिलों में टांगुन, सांवा की फसल को रुपये में आठ आना या उससे अधिक की हानि हुई है। इसी प्रकार की हानि मकई की फसल को भी उपर्युक्त जिलों में से आजमगढ़ तथा बलिया को छोड़ कर पहुंची है।

****५---श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त डिवीजनों के प्रत्येक जिले में जुलाई के द्वितीय सप्ताह से अगस्त तक की वर्षा की तालिका इंचों में तथा गत वर्ष की वर्षा उक्त सप्ताह से अगस्त तक देने की कृपा करेगी ?

श्री चरण सिंह--उक्त डिवीजनों के प्रत्येक जिले की ८ जुलाई से १५ अगस्त, १९५६ तथा गत वर्ष के इसी समय की वर्षा की तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५१७ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो इन फसलों को हानि हुई है, वहां के किसानों के सहायतार्थ सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री चरण सिंह--टांगुन और सांवा की फसलें किसानों की उपज का बहुत थोड़ा हिस्सा हैं । धान भदई और जड़हन की फसलों का जब आठ आने से ज्यादा नुकसान होता है तो उनको मालगुजारी में कायदे के मुताबिक छूट दी जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या यह सही है कि वाराणसी, देवरिया, आजमगढ़ वगैरा में जो वर्षा की कमी हुई है, उसके कारण १५ अगस्त तक आगामी धान की रोपनी नहीं हुई है ?

श्री चरण सिंह--जी हां, बहुत सी जगह देर हो गई है ।

श्री गेंदा सिंह--जिन जिलों के नुक्सान के संबंध में बतलाया गया है, उसमें मकई वगैरा के बारे में रिपोर्ट आई है या उन्हीं फसलों के संबंध में है जो इस प्रश्न में है ?

श्री चरण सिंह--जो सवाल पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया । टांगुन सावां के लिय पूछा गया था, वही मैंने अर्ज किया है । इसके अलावा और भी फसलों को नुकसान पहुंचा है, जैसे मकई का जिक्र है ।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन जिलों में अधिक से अधिक कितने इंच वर्षा हुई ?

श्री अध्यक्ष--यह तो जुलाई के द्वितीय सप्ताह से अगस्त तक की वर्षा के बारे में प्रश्न पूछा गया है, आप अपना प्रश्न निश्चित कर दें ।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त के महीने में इन जिलों में अधिक से अधिक कितने इंच वर्षा हुई ?

श्री चरण सिंह---८ जुलाई से १५ अगस्त तक इस वर्ष जो वर्षा हुई है वह इलाहाबाद में ८.६७ इंच, वाराणसी में ५.७१ इंच, फैजाबाद में ९ इंच, सुल्तानपुर में ७.३७ इंच ।

श्री अध्यक्ष--उनका प्रश्न यह है कि अधिक से अधिक वर्षा कितनी हुई ?

श्री चरण सिंह--हर जिले की अधिक से अधिक तो नहीं है । इन जिलों में सबसे अधिक तो मिर्जापुर में हुई है १६.०२ इंच ।

श्री अध्यक्ष--शायद फतेहपुर मालूम होता है क्योंकि वहां १६.५५ इंच हुई है ।

श्री चरण सिंह--जी हां ।

श्री अध्यक्ष--तो आप वह पढ़ दीजिये ।

श्री चरण सिंह---फतेहपुर इससे भी आगे बढ़ा हुआ है । वहां १६.५५ इंच वर्षा हुई ।

६-८-श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)**--[२४ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

तारांकित प्रश्न

***१—श्री रामसुन्दर पांडेय**—[६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ में बिजली की ऊंची दरें

***२—श्री उमाशंकर** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ और कानपुर नगर में बिजली का चार्ज प्रति यूनिट क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—बिजली की यह दरें माननीय सदस्य को १९५४ के प्रथम सत्र में उनके पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर में बतलायी जा चुकी है। यह दरें अब भी लागू हैं।

***३—श्री उमाशंकर**—क्या सरकार ने पिछले साल किसी प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि मऊ पावर हाउस से जब आजमगढ़ में बिजली दी जायेगी तब कानपुर के बराबर वहां का भी चार्ज हो जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जी नहीं।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब यह सन् ५४ में प्रश्न पूछा गया था उसका जो जवाब दिया गया तो उसमें मऊ पावर हाउस के बजाय आजमगढ़ पावर हाउस से बिजली आजमगढ़ को दी जाती थी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—पहले साल का जो सवाल था, सन् ५४ का वह आजमगढ़ के मुताल्लिक था, यह फरमा रहे हैं आप ?

श्री अध्यक्ष—(श्री उमा शंकर से) आप जरा अपना प्रश्न साफ कर दें।

श्री उमाशंकर—अध्यक्ष महोदय, सन् ५४ में मैंने सवाल किया था कि आजमगढ़ और कानपुर की बिजली की दरों में क्यों इतना फर्क है, तो माननीय मंत्री जी की ओर से यह बताया गया था कि आजमगढ़ में बिजली जिस पावर हाउस से दी जाती है वह पावर हाउस खास किस्म का है इस कारण वहां की बिजली की दर कानपुर से महंगी पड़ती है। तो मेरा अब सवाल यह है कि तब तो आजमगढ़ पावर हाउस से आजमगढ़ को बिजली दी जाती थी इसलिये महंगी थी मगर आज तो मऊ पावर हाउस से दी जा रही है फिर भी उसके बराबर क्यों नहीं है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सवाल तो बिल्कुल यही था सन् ५४ का भी जो अब है। "क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि आजमगढ़ और कानपुर नगरों में बिजली का चार्ज प्रति यूनिट क्या है ?" यही सवाल था जो सन् ५४ में हुआ था। तो उसके मुताल्लिक चूंकि पोजीशन वही है जो तब थी, लिहाजा वही जवाब इसमें लिख दिया गया कि इसका जवाब पहले दे दिया गया है। वही जवाब आज भी गुड होल्ड करता है।

श्री अध्यक्ष—उनका खयाल यह है कि अब बिजली मऊ से दी जा रही है और पहले शायद आजमगढ़ में ही बिजली पैदा होती थी। तो मऊ से बिजली दिये जाने की वजह से कुछ रेट में फर्क होगा या नहीं, यह वह शायद जानना चाहते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वही तो कहा गया था उस वक्त भी सप्लीमेंटरी के जवाब में कि मऊ का पावर स्टेशन जो बन रहा है और जो अब भी खत्म नहीं हुआ है, जब वह बन चुकेगा तो आजमगढ़ को भी वहां से सप्लाई दी जायगी। वह चूंकि पावर हाउस है कोल का और यह है डीजल का तो उसकी कीमतों में तो फर्क होता है। उससे कीमत कुछ घट जायगी।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजकल आजमगढ़ में कहां के पावर हाउस से बिजली दी जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मऊ में जो स्टेशन है वह डीजल का है। वहां दूसरा पावर हाउस बन रहा है जो कोयले से बिजली बनायेगा। उसके लिये ही मैंने कहा है।

आजमगढ़, बलिया तथा देवरिया में डकैतियां

*४---**श्री झारखंडेराय**---क्या सरकार को विदित है कि आजमगढ़, बलिया, देवरिया में गत मास (जनवरी) में भयंकर सशस्त्र डकैतियां हुई हैं ?

*५---यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रत्येक जिलें में गत मास (जनवरी) में कितनी-कितनी डकैतियां हुई हैं और प्रत्येक में कितने हताहत हुये हैं ?

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)---आजमगढ़ में एक सशस्त्र डकैती हुई जिसमें मृत्यु किसी की भी नहीं हुई। बलिया में दो सशस्त्र डकैतियां हुई थीं जिनमें ५ पुरुष तथा एक स्त्री की मृत्यु हुई। देवरिया में कोई डकैती नहीं हुई।

*६---**श्री झारखंडे राय**---क्या सरकार यह बतायेगी कि इन डकैतियों को रोकथाम के लिये किसी विशेष योजना पर वह विचार कर रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सरकार किसी विशेष योजना पर तो विचार नहीं कर रही है किन्तु पुलिस इस सम्बन्ध में प्रयत्नशील है।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन डकैतियों में क्रमशः आजमगढ़ और बलिया में कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं और उन्हें कितनी सजा दी गई है या क्या हुआ ?

श्री जगनप्रसाद रावत---आजमगढ़ में आठ आदमियों का चालान हुआ है। इन में से ४ सेशन न्यायालय को भेज दिये गये, एक का मामला लोअर कोर्ट में है और तीन अभी फरार हैं। बलिया में दो डकैतियां हुईं। इनमें ११ आदमियों का चालान हुआ। १० का मामला सेशन न्यायालय में भेज दिया गया और १ का मामला अभी लोअर कोर्ट में है।

श्री झारखंडे राय---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन डकैतियों में फायर आर्म्स काफी संख्या में इस्तेमाल किये गये ? यदि हां, तो इतनी संख्या में फायर आर्म्स इन डाकुओं के पास कहां से आये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---काफी संख्या में तो हर डकैती में चूंकि फायर आर्म्स इस्तेमाल होते हैं उनका पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने कहां से पाये।

श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)---क्या सरकार को यह ज्ञात है किन-किन गांवों में डकैतियां पड़ी हैं और कितना-कितना माल हर एक डकैती में गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इसकी तफसील तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि देवरिया जिले में कसया थाने में इधर कहां-कहां डकैतियां पड़ी हैं ?

श्री जगन प्रसाद रावत---अब इसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि सशस्त्र डकैतियां सिर्फ उन्हीं जगहों पर पड़ती है जहां पर लोगों के पास सशस्त्र नहीं हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---सशस्त्र डकैतियां तो दोनों जगह पड़ती हैं जहां हथियार होते हैं और जहां नहीं होते हैं वहां भी पड़ती हैं।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि सूबे का कोई गांव ऐसा न रह जाय कि जिस गांव में कोई न कोई फायर आर्म्स न हों ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इच्छा तो हमारी भी यही है ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अभी कुछ दिन पहले देवरिया में जहां पर रामसुभग जी ने कहा कि कसया थाने में डकैती हुई है जिसमें हथियार इस्तेमाल किया गया है और उसमें दो आदमियों की जाने गईं और एक आदमी घायल होकर देवरिया अस्पताल में पड़ा है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---अब इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है ।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि बिहार के बार्डर के जिलों के अधिकारियों की कोई बैठक यू० पी० के विशिष्ट अधिकारियों के साथ डकैतियों के रोकथाम पर विचार करने के लिये हुई है? यदि हुई है तो कहां ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस सम्बन्ध में सूचना देने में मैं असमर्थ हूं ।

श्री गेंदासिंह---क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि हर गांव से ऐसे आदमियों की एक फेहरिस्त तैयार करावे पूरे सूबे से जिनको फायर आर्म्स देने में अधिकारियों को कोई दिक्कत न हो ?

श्री जगनप्रसाद रावत---हम जगह-जगह ग्राम रक्षा समितियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के जरिये से हम इस ओर भी प्रयत्न करेंगे जिस ओर माननीय गेंदा सिंह जी ने संकेत किया है ।

*७-८---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---[३० अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

चपरासियों तथा कान्स्टेबिलों का भत्ता बढ़ाने का विचार

*९---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या सरकार चपरासियों, कान्स्टेबिलों आदि का भत्ता बढ़ाने तथा उनको वाजिब भत्ता देने के लिये कोई कदम उठा रही है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां, दैनिक और यात्रा भत्तों की दरों में पुनरीक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस संबंध में निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री जगनप्रसाद रावत---चूंकि इस प्रश्न का संबंध भिन्न-भिन्न विभागों से है और सबसे पूंछ-ताछ की जा रही है इसलिये उनसे सूचना मिलने पर ही इसका निर्णय हो सकेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस वक्त कान्स्टेबिलों को दैनिक यात्रा भत्ता कितना मिलता है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---इस समय जो दैनिक भत्ता मिलता है, पहाड़ी क्षेत्रों में १२ आना और कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मेरठ और देहरादून में ८ आना और बाकी क्षेत्रों में ६ आना है ।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन कान्स्टेबिलों को, जो नयी स्कीम के अनुसार चौकीदारी का काम करते हैं और जो दो एक जिलों में चौकीदार बनाये गये हैं, उन को क्या कुछ विशेष भत्ता दिये जाने की स्कीम है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---ऐसा तो कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*१०--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[२९ अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*११---श्री नारायणदत्त तिवारी---[३० अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*१२---श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---[६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

रेणुका सागर रिहन्द बांध की डूब में आये ग्रामों के लिए विचाराधीन योजना

*१३---श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रेणुका सागर रिहन्द बांध के डूब में आने वाले ग्रामों की जनता के पुनर्वास के सम्बन्ध में उसने क्या कोई निश्चित योजना बनाई है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या सदन की मेज पर रखने की कृपा सरकार करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विषय सरकार के विचाराधीन है।

*१४---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार इस सम्बन्ध में आज तक जो कुछ कार्यवाही सरकार द्वारा की जा चुकी है उसका विवरण बताने की कृपा करेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विवरण मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५१८ पर)

*१५---श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या अभी तक किसी मन्त्री या उपमंत्री अथवा उच्च अधिकारी ने डूब में पड़ने वाले क्षेत्र में जाकर वहां की जनता की इच्छाओं को जानने और उन्हें पुनर्वास के लिये सरकारी रूप रेखा की जानकारी कराने की कृपा की है? यदि नहीं, तो क्या शीघ्र ही इस ओर ध्यान दिया जायेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---सिर्फ वैभागिक उच्च अधिकारियों ने ग्राम वासियों से रिहन्द बांध के कार्य के स्थान पर जा कर बातचीत की है और प्रश्न संख्या १४ के बतलाये गये उत्तर के अनुसार उनके मत प्राप्त किये हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र---अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिलिपि उत्तर की दी गई है वह इतनी डिम है कि उसको पढ़ना बड़ा कष्ट साध्य है।

श्री अध्यक्ष---यह आपको कब मिली?

श्री व्रजभूषण मिश्र---यह तो आज मिली है।

श्री अध्यक्ष---आप थोड़ी सी तकलीफ करते तो मैं आपको दूसरी प्रतिलिपि दे देता, लेकिन आपने पढ़ने की कोशिश तो की होगी। अब यदि प्रश्न कोई पूछना चाहें तो पूछिये।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन लोगों को जमीन के बदले जमीन दी जाने वाली है उनको एक समान दर पर जमीन दी जायगी या जिसकी जितनी जमीन है उसको उतनी जमीन दी जायगी, ज्यादा वाले को ज्यादा और कम वाले को को कम?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह बात असल में मकान की जमीन के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है इसलिये निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता और इस बात का जवाब मैं दूं कि हां, यह नहीं है। लेकिन यह बात विचार करने की जरूर है।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि जब मकान के बदले लोग मकान मांग रहे हैं तो उनको मकान बनवा कर दिया जायगा, डिजाइन के अनुसार या यह मामला किस तरह से निपटारा होगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने तो पहले ही नम्बर १३ के जवाब में कहा है कि यह सब मामला विचाराधीन है। तो आज फैसले के लिहाज से मैं कोई बात नहीं कह सकता। वह बात भी विचाराधीन है ।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दोनों बांध के पानी से कितने गांवों को हानि पहुंच रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह करीब १२, १३ गांव हैं जिन पर इसका असर पड़ेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो योजना विचाराधीन है उसका निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वह तो मामला इस वक्त विचाराधीन है उस पर थोड़े ही दिनों में विचार खत्म हो जायगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर वगैरा नियुक्त हुये हैं और जो डिवीजन खोला गया है अलग से उसका हेड आफिस इस समय कहां पर है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उसका आफिस वहीं पर है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र---उसका हेड आफिस मिर्जापुर में है या इलाहाबाद में है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मुस्तकिल तौर पर जो इस वक्त इरीगेशन और पावर का आफिस है वह तो इलाहाबाद में है और आगे भी वहीं पर रहेगा जब तक कि वहां पर काम बिल्कुल मुकम्मिल तरीके से शुरू न हो । इस वक्त वह वहीं पर है वहां से आते जाते रहते हैं ।

फैजाबाद जिले में चोरी, डकैती व कत्ल की वारदातें

*१६---**श्री व्रजबासीलाल** (जिला फैजाबाद)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत चार माह में फैजाबाद जिले में कितनी चोरी, डकैती व कत्ल की वारदातें हुई हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---१ मार्च से ३० जून १९५६ तक फैजाबाद जिले में चोरी की २६९, डकैती की ३ तथा कत्ल की १० वारदातें हुई ।

श्री व्रजवासीलाल---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चोरी और डकैती की जो वारदातें हुई हैं उनमें कितनों का सुराग लग सका है और कितनों का नहीं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---चोरी की जो २६९ वारदातें हुई थीं उनमें ४८ का चालान हुआ है और बाकी की अभी जांच हो रही है ?

झांसी जिले में डकैतियां

*१७---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में गत छै-महीने में कितने डाके पड़े ?

*१८---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त डाके किस-किस तहसील के किन-किन ग्रामों में पड़े, उनमें कितना-कितना माल व रुपया गया था, कहां-कहां कितने-कितने आदमी जनता के मारे गये और जख्मी हुये ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जनवरी से जून १९५६ तक झांसी जिले में १७ डाके पड़े। इनके बारे में मांगी गई सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५१९ पर)

*१९---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में इस दर्मियान में डाकुओं व पुलिस में कहां कहां मुठभेड़ हुई और कितने डाकू तथा पुलिस वाले मारे गये?

श्री जगनप्रसाद रावत---उक्त अवधि में ग्राम गढ़ियागांव थाना नई झांसी में पुलिस व डाकुओं के बीच एक मुठभेड़ हुई। इसमें एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया। किन्तु चार डाकू पकड़ लिये गये।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि सूची में दिये हुये डाकों के अलावा ग्राम भदरवारा तहसील मऊरानीपुर में लगभग ७५ हजार का एक अभी डाका पड़ा जिसमें ३ आदमी जख्मी भी हुये थे?

श्री जगनप्रसाद रावत---मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)---क्या सरकार को सूचना मिली है कि तहसील गरौठा के हीरानगर में ५० हजार की डकैती और हीरेंच में ५ हजार की डकैती पड़ी है?

श्री जगनप्रसाद रावत---मेरे पास जो सूचना है उसका विवरण मैं दे चुका हूं। कृपया उसको देख लें।

श्री लक्ष्मणराव कदम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त डाका डालने वालों में कितने डाकू पकड़े गये और कितना माल बरामद हुआ?

श्री जगनप्रसाद रावत---यदि आप किसी विशेष डकैती के संबंध में पूछें तो मैं पता लगाकर बता दूंगा।

आजमगढ़ नगर उपभोक्ता सहकारी समिति के कार्यों में भ्रष्टाचार

*२०---**श्री उमाशंकर**---क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि २५-४-५५ और २७-५-५५ को आजमगढ़ नगर उपभोक्ता सहकारी समिति के भट्ठे तथा समिति के अन्य कार्यों के भ्रष्टाचार के संबंध में कोई सूचना जिलाधीश को मिली है?

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)---जी हां।

*२१---**श्री उमाशंकर**---यदि हां, तो उसकी जांच किसने की?

श्री मंगला प्रसाद---उसकी जांच जिला नियोजन अधिकारी ने की है।

*२२---**श्री उमाशंकर**---क्या यह सच है कि अप्रैल, मई में कुछ दरख्वास्तें पड़ी हैं जिनमें जिले के सहकारी संघ के अफसरों पर गम्भीर आरोप किये गये हैं? यदि हां, तो वे कौन-कौन आरोप थे और उनमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री मंगलाप्रसाद---ऐसी कोई दरख्वास्तें नहीं प्राप्त हुईं।

श्री उमाशंकर---माननीय मंत्री जी बतलावेंगे कि किन-किन अभियोगों के बारे में सूचना जिलाधीश को मिली?

श्री मंगलाप्रसाद---इसकी तफ़सील यहां नहीं है।

श्री गेंदासिंह---क्या सहयोगी समितियों के मंत्री जी कृपा कर जो उमाशंकर जी की, वहां के भट्टों और कोआपरेटिव सोसाइटियों के बारे में शिकायत है, उनको बुलाकर मालूम करेंगे कि वे शिकायत वहां तक सही या गलत है ?

श्री मंगला प्रसाद---इसके लिये मैं उमाशंकर जी ही नहीं, बल्कि सबको दावत देता हूं कि जहां कहीं ऐसी बात हो, वे आवें और मुझसे बातें करें, क्योंकि उसमें हर तरह का फायदा ही है ।

विधायक निवास के कर्मचारियों का स्थायीकरण

*२३---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधायक निवास में काम करने वाले ४२ निम्न कर्मचारी जो अब तक मुस्तकिल नहीं किये गये हैं, कब तक मुस्तकिल किये जायेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---विधायक निवासों में ६३ स्थायी जगहों के खिलाफ ४० कर्मचारी स्थायी किये जा चुके हैं। बाकी २३ कर्मचारियों से अपनी सकूनत तथा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। इन प्रमाण-पत्रों के प्राप्त होते ही यह कर्मचारी भी स्थायी कर दिये जायेंगे।

*२४---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये कर्मचारी कितने कितने वर्षों से काम कर रहे हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वांछित सूचना मेज पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५२० पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या वित्त मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो २३ कर्मचारी मुस्तकिल नहीं किये गये हैं इनकी सकूनत और स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाणपत्र के लिये आदेश कब दिया गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---२,३ महीने हुये हैं, ठीक तारीख याद नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि सन् ५२ के बजट में इन ६३ कर्मचारियों के मुस्तकिल करने का प्रावीजन था ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, उस जमाने में जो लोग थे उनके मुस्तकिल करने का जरूर था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अब तक ये कर्मचारी क्यों नहीं मुस्तकिल किये जा सके हैं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसकी वजह जवाब में लिखी हुई है ।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि विधायक निवास के ऊंचे कर्मचारियों को, गजटेड अफसरों को, मुस्तकिल कर दिया गया है और निम्नश्रेणी के कर्मचारियों को मुस्तकिल नहीं किया है, इसलिये उनमें असंतोष है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---इसमें असंतोष नहीं है। २३ से सर्टीफीकेट आने वाले हैं, वे भी मुस्तकिल हो जावेंगे।

*२५-२७---**श्री गेंदासिंह**---[१३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-२९---**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)---[६ सितम्बर १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

बहटा सन्दल सिंह, जिला सहारनपुर में कथित क़त्ल

*३०--श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बहटा सन्दल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर में जून सन् १९५६ में एक ही रात को चार कत्ल हुये ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की और क्या नतीजा निकला ?

मुख्यमंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--जहां तक सरकार को सूचना है जून सन् १९५६ में ऐसी कोई कत्ल की घटना नहीं घटी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

जेल ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ से ट्रेंड प्रोबेशन आफिसरों की नियुक्ति

*३१--श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फर नगर) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल ट्रेनिंग स्कूल लखनऊ से इस वर्ष जून में ट्रेनिंग समाप्त करने के पश्चात् प्रोबेशन आफीसरों की नियुक्ति हो गई है ? यदि नहीं, तो इनकी नियुक्ति कब तक की जायगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

जौनपुर जिले में कथित तहसील भ्रष्टाचार निरोधक समितियां

*३२--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसीलों में भी तहसील भ्रष्टाचार निरोधक समितियों की स्थापना का आदेश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उस आदेश की एक प्रति मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये हैं।

*३३--श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--क्या सरकार जौनपुर जिले की प्रत्येक तहसील की भ्रष्टाचार निरोधक समितियों के सदस्यों का नाम बतलाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यह प्रश्न नहीं उठता।

*३४-३६--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--[३१ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न १३-१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३७--श्री देवकीनन्दन विभव--[२७ अगस्त, १९५६ के लिये प्रश्न २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अल्मोड़ा जिले के पाखुड़ा निवासी श्री बचीसिंह की मृत्यु

*३८--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा पाखुड़ा, पट्टी तल्ला स्योनरा, जिला अल्मोड़ा निवासी की, जो पुलिस विभाग में १५ साल कान्सटेबिल रहा, मई १९५३ में ऐसे समय मृत्यु हुई जब वह चौकी पाखड़गंज थाना, जिला रामपुर में ड्यूटी पर था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उक्त ग्राम के निवासी श्री बची सिंह की, जो रामपुर जिले की चौकी पाखड़ पर कांस्टेबुल की हैसियत से तैनात थे, ११ वर्ष १० महीने की नौकरी करने के बाद मई १९५३ में मृत्यु हो गई किन्तु मृत्यु के समय वह ड्यूटी पर नहीं थे।

*३९--श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त पुलिस कान्सटेबिल के वृद्ध पिता के लिखित प्रार्थना करने पर भी उन्हें विभाग ने अभी तक नहीं बताया कि उसकी मृत्यु किस कारण हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---स्वर्गीय कांस्टेबुल के पिता से इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*४०---श्री गोवर्धन तिवारी (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त स्वर्गीय कान्स्टेबिल की विधवा पत्नी ने उसे पेंशन दिये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---विधवा ने सरकार के पास पेंशन के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा।

*४१-४२---श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)---[६ सितम्बर, १९४६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४३-४५---श्री बलवन्तसिंह [६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४६-४८---श्री हरगोबिन्द पंत (जिला अल्मोड़ा)---[३ सितम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न १२-१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गैर कानूनी तौर से अस्त्र-शस्त्र बनाने वाले कथित कारखाने

*४९---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मुख्य मंत्री को विदित है कि प्रदेश में अनेक कारखाने ऐसे हैं जो गैरकानूनी तौर से अस्त्र-शस्त्र बनाते हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी नहीं।

राजस्थान तथा मध्यभारत से मिलने वाली राज्य-सीमा पर डाकुओं का आतंक

*५०---श्री देवकी नन्दन विभव---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० की सीमा, जहां राजस्थान और मध्य भारत से मिलती है, वहां पर कितने डाकुओं के दल सक्रिय कार्य कर रहे ह। गत वर्ष यू० पी० की सीमाओं में इनके द्वारा कितनी वारदातें की गईं, कितनी धनराशि की हानि हुई, और इनमें कितने डाकू, जनता और पुलिस के आदमी मारे गये ?

श्री जगन प्रसाद रावत---१२ डाकुओं के दल इस सीमा पर कार्य कर रहे हैं। गत वर्ष यू० पी० की सीमाओं में इनके द्वारा १८ वारदातें की गयी जिनमें ४४९१६।।।) मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई। इन वारदातों में १ डाकू, जनता के ९ व्यक्ति तथा पुलिस के ३ आदमी मारे गये।

*५१---श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाकुओं के विरुद्ध जो संयुक्त संचालन की व्यवस्था थी वह क्यों तोड़ी गई और अब राज्यों की कार्यवाहियों को सम्बद्ध (co-ordinate) करने के लिये क्या प्रयत्न किया गया है ?

श्री जगनप्रसाद रावत---संयुक्त डकैती मोर्चे (ज्वाइन्ट डकैती आपरेशन) की स्थापना कुख्यात डाकू मानसिंह के गिरोह के विरुद्ध की गई थी। चूंकि मानसिंह और उनके पुत्र सूबेदार सिंह के मारे जाने से इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पूर्ण हो गया था, इसलिये यह व्यवस्था ३१ जनवरी, १९५६ से समाप्त कर दी गई है। इस व्यवस्था के समाप्त होने पर भी उत्तर प्रदेश तथा मध्य भारत पुलिस का मानसिंह के शेष गिरोह तथा लाखनसिंह के गिरोह के विरुद्ध सामूहिक प्रयत्न जारी है। इस संबंध में संबंधित जिलों के पुलिस सुपरिन्टेंडेंट मध्य भारत पुलिस के सहयोग तथा सहायता से क्रियाशील हैं।

श्री देवकी नन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या उन्होंने कभी इस बात की जांच की है कि अब भी जो इन डाकुओं को अस्त्र-शस्त्र मिलते हैं वे वहां से मिलते है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जी हां, इस बात की जांच बराबर जारी है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि कि उन्होंने जो इस सम्बन्ध में जांच की है उसका क्या परिणाम निकला ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जब हम किसी निश्चित आदमी पर हाथ रख सकेंगे तभी उसको सजा दे सकेंगे।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि राजस्थान और मध्यभारत की सरकार के साथ जो उनका संगठन है वह उचित रूप से चल रहा है या उसमें कुछ शिकायतें हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—उचित रूप से चल रहा है। अगर कभी कुछ कठिनाई होती है तो उसको आपसी सलाह मशविरे से दूर कर लिया जाता है।

श्री गेंदासिंह—जिन १२ डाकुओं की चर्चा माननीय मंत्री जी ने की क्या वही १२ गैंग ही डाकुओं के काम कर रहे हैं, और वे कौन-कौन से हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—जितने की बाबत पता लग जाता है, उतनों की बाबत ही कहा जा सकता है। इसके अलावा और भी छोटे-छोटे गिरोह काम करते रहते हैं लेकिन स्थायी नहीं होते इसलिये इन बारह के नाम ही दिये गये हैं। उन बारह डाकुओं के नाम ये हैं—

(१) रूपा, (२) लाखनसिंह, (३) पहाड़ा गूजर, (४) कल्ला गूजर, (५) कल्ला गूजर कछहा, (६) बड़ालाल, (७) अजमेरी, (८) लच्छी ब्राह्मण, (९) लायक, (१०) महाराज सिंह, (११) वृन्दावन, (१२) तहसीला।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये लोग कहां के रहने वाले हैं ?

श्री जगनप्रसाद रावत—रूपा—आगरा, लाखन—मध्यभारत, तहसील—मध्यभरत, पहाड़ा—मध्यभारत, कल्ला गूजर—आगरा, कल्ला गूजर कछहा—मध्यभारत, बड़ालाल गूजर—मध्यभारत, अजमेरी—मध्यभारत, लच्छी ब्राह्मण—मध्यभारत, लायक—आगरा, महाराज सिंह—आगरा, वृन्दावन—मध्यप्रदेश, के रहने वाले हैं।

श्री गेंदासिंह—यू० पी० की सरकार इस मामले में केंद्रीय सरकार को यह क्यों नहीं लिखती कि मध्यभारत के ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमियों की वजह से यू० पी० का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है जिसकी वजह से यू० पी० का लाखों रुपया बरबाद होता है ?

श्री अध्यक्ष—यह वक्तव्य है। यह तो आपकी राय है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह जो १२ गैंग काम कर रहे हैं वे अलग-अलग काम कर रहे हैं या उनका आपस में कुछ कोआर्डीनेशन है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—मालूम पड़ता है कि माननीय सदस्य को कुछ ज्यादा अन्दरूनी जानकारी है। उससे अगर मुझे अवगत करा देंगे तो उससे फायदा उठाने की कोशिश करूंगा।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि डाकुओं के यह गैंग जो हैं उनका संबंध कुछ राजनैतिक दलों अथवा व्यक्तियों से भी है ?

श्री जगनप्रसाद रावत—इसकी बाबत कोई निश्चित सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सही है कि जो बारह नाम माननीय मंत्री जी ने बतलाये हैं, इनके अलावा पुतली नामक एक स्त्री का गिरोह भी काम कर रहा है इस इलाके में ?

श्री जगन प्रसाद रावत—उसकी बाबत सुना जाता है लेकिन यह भी मालूम हुआ है कि गिरोह उसका कोई नहीं है बल्कि वह दूसरे गिरोह में मिल कर ही काम करती है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यू० पी० के आगरा जिले में ही क्यों ज्यादा डाकू इस वक्त हो रहे हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—क्योंकि माननीय सदस्य की उस पर विशेष कृपा रहती है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार डाकुओं को अस्त्र-शस्त्र कैसे आसानी से मिल जाते हैं उसका पता लगाते समय माननीय चौधरी चरण सिंह के बयान का भी ख्याल रखेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—माननीय चौधरी चरण सिंह का कोई बयान मेरे सामने तो है नहीं। अगर श्री राजनारायण जी के पास हो तो मेरे पास लिखकर भेज देंगे तो मैं चौधरी चरण सिंह से पूछ लूंगा कि क्या बात है।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा करके माननीय चौधरी चरण सिंह से स्वतः पूछ कर उनके बयान के बारे में कुछ करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—मेरी तो उनसे रोज ही मुलाकात होती रहती है लेकिन मुझे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बतलायी जैसा कि श्री राजनारायण जी कह रहे हैं?

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं कि बहुत से लाइसेंस वाले नियमित रूप से डाकुओं के गिरोहों से संबंध रखते हैं और उनको किराये पर अपने लाइसेंस के हथियार देते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—इस संबंध में जब कोई शिकायत कहीं पर हमको सुनाई देती है तो उसका लाइसेंस जब्त कर लेते हैं और उसका हथियार भी रखवा लेते हैं।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि डाकुओं के इन गैंग्स को, जो हमारे भूतपूर्व देशी नरेश हैं, उनसे हथियार मिलते हैं और ये हथियार कुछ जागीरदार लोगों से भी प्राप्त होते हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत—ऐसी कुछ शिकायतें मिली जरूर थीं और उन पर निगाह भी रखी जाती है लेकिन कोई निश्चित व्यक्ति हाथ में आया नहीं है, अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस बढ़ती हुई डकैती को देखते हुये वह कोई स्पेशल सी० आई० डी० इसका पता लगाने के लिये मुकर्रर करेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत—सी० आई० डी० भी पुलिस के दूसरे दस्तों के साथ उस काम में मदद करती है।

देवरिया जिले में चोरियों की अधिकता

*५२—श्री रामेश्वर लाल—क्या गृह मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि देवरिया जिले में १९५५ तथा १९५६ में अब तक कितनी चोरियां, डकैतियां कत्ल थाना वार अलग-अलग हुये?

श्री जगनप्रसाद रावत—मांगी गई सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५२१ पर)

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि गत साल की अपेक्षा इस साल देवरिया जिले में चोरियों में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं?

श्री जगनप्रसाद रावत---मैंने जो उत्तर दिया है उसमें पारसाल के मुकाबिले में इस साल बहुत कम हैं।

श्री रामेश्वरलाल---क्या यह सही है कि १-१-५६ से १५-८-५६ तक देवरिया जिले में ३४ चोरियां हुई जब कि वहां सन् ५५ में पूरे साल में ३६ चोरियां हुई थीं?

श्री जगनप्रसाद रावत---जी हां।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय मंत्री जी इस चैलेंज को स्वीकार करते हुये, कि देवरिया जिले में गत ८ मास में ७० चोरियां हुई हैं, इसकी सहानुभूतिपूर्वक जांच कराने की कोशिश करेंगे?

श्री जगनप्रसाद रावत---७० चोरियों के मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं।

श्री रामेश्वरलाल---क्या मंत्री जी के पास कोई ऐसा तरीका है कि जिससे जो रिपोर्ट वहां के अधिकारियों द्वारा सूचनार्थ प्रेषित की जाती है, उसकी सत्यता की जांच की जाय?

श्री जगनप्रसाद रावत---माननीय सदस्य प्रश्न करके दोबारा जांच कराने का रास्ता खोल देते हैं।

*५३---श्री रामेश्वर लाल---[६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*५४---श्री रामचन्द्र विकल---[२० सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

बस्ती जेल में हवालाती कैदी की मृत्यु

*५५---श्री शिवनारायण---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कोई हवालाती कैदी बस्ती जेल में दिनांक २१ जून, १९५६ को मर गया?

श्री मुजफ्फर हसन---२१ जून को नहीं बल्कि २१ मई को एक हवालाती की मृत्यु हुई थी।

*५६---श्री शिवनारायण---क्या उपर्युक्त हवालाती को जेल के डाक्टर ने अरजेन्ट ऐन्ड सीरियस केस समझ कर सदर अस्पताल बस्ती भेजे जाने की राय १९ जून, १९५६ को ही दी थी?

श्री मुजफ्फर हसन---१९-५-५६ की शाम को जेल डाक्टर ने बन्दी को सदर अस्पताल भेजना चाहा था। किन्तु दूसरे दिन इतवार होने तथा बन्दी की दशा में कोई सीरियस चेन्ज न होने के कारण उसे सदर अस्पताल नहीं भेजा जा सका।

*५७---श्री शिवनारायण---क्या यह सत्य है कि २१ जून, १९५६ को सुपरिंटेंडेंट जेल ने उसे fit for travel लिखा और उसे अस्पताल ले जाने के इन्तजाम के पहिले ही उसकी मृत्यु हो गई?

श्री मुजफ्फर हसन---१९ मई को उसे अस्पताल जाने योग्य समझा गया था।

श्री शिवनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि २१ मई को इन्चार्ज सिविल सर्जन ने मरने से दस मिनट पहले ही उसके लिए लिखा था कि "ही इज फिट फार ट्रेविल"?

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने जवाब दिया कि १९ मई को लिखा था।

श्री शिवनारायण---क्या यह सही है कि १९ मई को जेल के असिस्टेंट डाक्टर ने लिखा था कि उसको सदर अस्पताल भेजा जाय न कि असिस्टेंट सर्जन ने?

श्री मुजफ्फर हसन—जेल के ही डाक्टर ने उसको भेजने को लिखा था।

श्री शिवनारायण—क्या सरकार कोई कार्यवाही उन डाक्टरों के खिलाफ करेगी कि जिन्होंने दस मिनट पहले यह लिखा था कि 'फिट फार ट्रान्सफर' और दस मिनट बाद ही उसकी मृत्यु हो गई?

श्री मुजफ्फर हसन—मैं तो इसका जवाब दे चुका।

श्री धनुषधारी पांडेय—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब कि उसकी हालत इतनी चिन्ताजनक रही तो इतवार के दिन की क्यों परवाह की गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, जो जिले के सिविल सर्जन है वही जेल के सुपरिन्टेडेन्ट थे इसलिए उसका इलाज जेल में भी उन्हीं की राय से हो रहा था। उनका यह ख्याल जरूर हुआ कि सदर अस्पताल में जरा देखरेख अच्छी हो सकती है और चूंकि उन्होंने हालत में कोई खास सीरियस तब्दीली उस वक्त तक नहीं देखी इसलिए उन्होंने समझा कि सोमवार को ट्रान्सफर कर देंगे परन्तु दुर्भाग्यवश इसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या यह सही नहीं है कि असिस्टेंट सिविल सर्जन जो इञ्चार्ज सुपरिन्टेडेंट जेल थे उन्होंने २१ तारीख को उसके मरने से कुछ पहले रिपोर्ट में लिखा था कि वह अस्पताल भेजने के काबिल है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, लिखा था लेकिन डाक्टर ईश्वर नहीं होता, उसकी राय उस वक्त की हालत देख कर थी कि वह हटाने के लायक है लेकिन सब जानते हैं कि कभी-कभी मरीज की हालत दो चार मिनट में ही सीरियस हो जाती है और अक्सर मृत्यु भी हो जाया करती है।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—क्या सरकार बतायेगी कि वह हवालाती किस बीमारी से मरा था?

श्री मुजफ्फर हसन—उसको टाइफायड और परफोरेशन आफ बावेल्स की शिकायत थी।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मुख्य मंत्री बतलायेंगे कि अर्जेन्ट और सीरियस केसेज में भी जेल से रविवार को ट्रान्सफर नहीं हुआ करता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—हुआ करता है।

श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार बतलायेगी कि मरने वाला अभियुक्त किस दफा का अभियुक्त था और कितने दिन हवालात में रहने के बाद उसकी मृत्यु हुई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१६० दफा का था और वह तकरीबन ५,६ महीने हवालात में रहा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—वह हवालाती कैदी कब से बीमार था?

श्री मुजफ्फर हसन—वह १३ दिन बीमार रहा।

श्री शिवनारायण—क्या यह सही है कि जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने बतलाया कि सिविल सर्जन जेल का इंचार्ज होता है तो सिविल सर्जन उस दिन छुट्टी पर था?

श्री मुजफ्फर हसन—जी हां, वह छुट्टी पर थे लेकिन एक दिन बतला दूं इतवार के दिन हालत इतनी अच्छी थी कि उसने बहुत अच्छी तरह से अपने भाई से मुलाकात की।

*५८--६०--श्री रामसुभग वर्मा--[१३ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६१-६२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)-[६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३--श्री गज्जूराम (जिला झांसी)--[३० अगस्त, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६४--श्री गज्जूराम--[७ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६५--श्री गज्जूराम--[६ सितम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

इलाहाबाद जिले के थाना शंकरगढ़ में क़त्ल

*६६--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिला तहसील करछना, थाना शंकरगढ़, में २० जून, सन् १९५६ की रात्रि को एक आदमी जान से मार डाला गया? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना पर प्रकाश डालेगी?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां। कत्ल का अभियोग दर्ज कर लिया गया है तथा उस पर जांच हो रही है।

*६७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस कत्ल में कितने आदमी अब तक पकड़े गये?

श्री जगनप्रसाद रावत--६।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि इस क़त्ल में जो लोग पकड़े गये हैं उनमें एक थानेदार भी था?

श्री जगनप्रसाद रावत--जी हां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह कत्ल थाने पर हुआ या और किसी स्थान पर?

श्री जगनप्रसाद रावत--इस पर अभी कुछ निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह मामला अभी जेरे तफतीश है?

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह कत्ल किस दिन हुआ था और लाश उसके कितने दिन बाद पाई गई?

श्री जगनप्रसाद रावत--यह भी मामला अभी तफतीश में है।

गोरखपुर का स्टीम टरबाइन पावर स्टेशन

*६८--श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर में जो नया Steam Turbine Power Station बन रहा है वह कब तक तैयार हो जायेगा?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आशा है कि १९५७ में बन जाएगा।

*६९--श्री इस्तफा हुसैन (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पावर स्टेशन से कितने नलकूपों को बिजली दी जायेगी और कितनी रेलवे और civil population के इस्तेमाल में आयेगी?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—करीब ७,५०० के० डब्लू० बिजली नलकूपों को २,००० के० डब्ल्यू० रेलवे को तथा ४,००० के० डब्ल्यू० civil population को दी जाएगी।

झूंसी व फाफामऊ में लकड़बग्घों का कथित भय

*७०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वष झूंसी व फाफामऊ (इलाहाबाद) में कितने बच्चों को लकड़बग्घे द्वारा ले जाये जाने की सूचना सरकार को मिली है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न में कहे गये स्थानों में इस वर्ष कोई बच्चा लकड़बग्घे द्वारा नहीं ले जाया गया।

'शक्ति' पत्र के सम्पादक तथा प्रकाशक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास श्री जगन्नाथ मल्ल जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न और उपस्थित किया था जिस सिलसिले में कि द्वाराहाट में कान्फ्रेंस के वक्त में एक पर्चा छपा था और उसके सम्बन्ध में जो आक्षेप श्री उपाध्याय जी के ऊपर किये गये थे तो मैंने निर्णय दिया था कि उस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के सामने उपस्थित किया जाय। उसी के परिणामस्वरूप यह प्रश्न उठाया गया है कि जिस पर्चे में ऐसे शब्द आये थे, जिनके ऊपर विशेषाधिकार का प्रश्न उठा था वही शब्द कुछ अखबारों ने अपने अखबार में छाप दिये हैं इसलिये उन अखबार वालों के ऊपर भी विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है और मुझसे यह अनुमति मांगी गई है कि मैं इस बात की अनुमति दूं कि उनके ऊपर प्रश्न उठाया जाय और विशेषाधिकार समिति के सामने वह उपस्थित किया जाय। इस सम्बन्ध में मैंने उसी रोज यह कह दिया था कि विशेषाधिकार समिति में उस प्रश्न को जांच में लेने के साथ-साथ अगर कोई शहादत इस विषय की आती है कि और भी उसमें कोई माननीय सदस्य हों या बाहर के हों जो कि उस वक्तव्य के सिलसिले में विशेषाधिकार की अवहेलना में आ जाते हों तो उनके बारे में भी समिति अपनी राय बना सकती है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह प्रश्न सदन में उठाने का नहीं था क्योंकि उन्हीं वाक्यों के छापने के सम्बन्ध में यह प्रश्न है।

अखबारों के सम्बन्ध में इतना मैं कह देना चाहता हूं कि जो सिद्धान्त किसी वक्तव्य को प्रकाशित करने वाले पर लागू होता है वह अखबारों के विषय में लागू नहीं होता, क्योंकि अखबार तो जो कुछ घटना होती है उसी को छापते हैं। किस उद्देश्य से किसने वक्तव्य दिया उसके पीछे जाने का उनका काम नहीं हुआ करता है कि वे उद्देश्य को भी जान लें। तो जहां पर यह मालूम नहीं है कि जो आक्षेप उपाध्याय जी के ऊपर किये गये हैं वे वस्तुतः उनके सदस्य होने के नाते किये गये हैं या उनके बाहर के कामों के बारे में किये गये हैं, दोनों चीजें उसमें आ सकती हैं, इसलिये यह प्रश्न विशेषाधिकार समिति के पास भेजा गया। प्राइमा फेसी दोनों चीजें आ सकती हैं। लेकिन अखबार वाले इस बात को नहीं जान सकते कि उनके सदन के अन्दर के कामों के बारे में ही यह हमला किया गया है। उन्होंने तो जो कोई बात किसी पर्चे में छपी उसे छाप दी, इतना उसमें अन्तर है। इसलिये स्वतन्त्र प्रश्न इस विषय में इस सदन में उठाया नहीं जा सकता। मैं समझता हूं इसके लिये कोई प्राइमा केसी फेस नहीं बनता। लेकिन विशेषाधिकार समिति यदि शहादत लेते वक्त यह समझे कि जान बूझ कर, यह समझ कर कि उपाध्याय जी ने अपने सदस्य होने की हैसियत से कोई कार्यवाही की, यह जानबूझ कर उसने कोई चीज छाप दी है, समिति को इस तरह की कोई चीज मिल जाय तो समिति उस प्रश्न को उठा सकती है और मुझसे अनुमति मांग सकती है। कोई माननीय सदस्य स्वतन्त्र-रूप से

इस तरह का प्रश्न इस सदन में नहीं उठा सकते। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। लेकिन ये कागजात जो मेरे पास भेजे गये हैं इनको मैं समिति के पास भेज दूंगा। इन कागजात की जांच करने के बाद समिति यदि उचित समझे तो मुझसे अनुमति इस विषय में ले ले।

उर्दू को प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा बनाने के लिए प्रदर्शन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री झारखंडे राय जी ने एक कामरोको प्रस्ताव भेजा है। वह 'उर्दू' को क्षेत्रीय भाषा बनाने के लिये आज जो प्रदर्शन होने वाला है उससे जो विकट परिस्थिति उत्पन्न होगी उस सम्बन्ध में विवाद करने के लिये है। इसके प्रश्नोत्तर एक रोज हो चुके हैं इस सदन में और माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दे दिये थे कि सदन की घोषित नीति होने के कारण. उन्होंने जवाब दिया था कि वे कायदे के विरुद्ध नहीं जा सकते। ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि दोबारा यह प्रश्न नहीं उठ सकता।

इसका एक और भी कारण है कि क्षेत्रीय भाषा बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद ३४७ में केवल प्रेसीडेंट के पास है तो यह विषय यहां उपस्थित भी नहीं हो सकता। मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं यह सुझाव यदि आपकी आज्ञा होगी तो एक प्रस्ताव के रूप में रख दूंगा। मैं चाहता हूं कि एक घंटे के लिये सदन स्थगित कर दिया जाय क्योंकि हजारों की संख्या में "मुतामिर उर्दू जमाअत" की ओर से यहां प्रदर्शनकारियों की भीड़ आई है और वह सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—आपने अपना प्रस्ताव रखने के लिये इजाजत नहीं ली और मैंने आपको इजाजत दी नहीं तो आप उसको उपस्थित कैसे कर सकते हैं। पहले तो आप मुझसे इजाजत लेते। मैं इसके लिये आपको इजाजत नहीं देता कि आप कोई प्रस्ताव इस समय पेश नहीं करें। आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हों तो वह मुख्य मंत्री जी को दे दें।

श्री राजनारायण—आपने मुझे इजाजत नहीं दी है इसलिये अब मैं सुझाव ही देता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब मुतामिर उर्दू की ओर से हजारों आदमी उर्दू को यहां की क्षेत्रीय भाषा बनाने के लिये अपनी बात कहने यहां आये हैं तो मैं चाहता हूं कि सरकार खुद अपनी ओर से इस बात का प्रस्ताव कर दे कि इस सदन के सम्मानित सदस्य वहां जा सकें और उनकी बातों को सुन सकें और उनको जो जेनुइन दिक्कतें हैं उनको सुन सकें, अच्छी तरह से समझ सकें। यह इस सदन के सम्मानित सदस्यों के लिये भी और इस सरकार के लिये भी अच्छा होगा और जो लोग आये हैं उनकी भावनाओं को भी ठेस न लगेगी और उन्हें भी संतोष होगा कि उनकी बात सुनी गई और उनकी बातें सुनने के लिये ही सदन को स्थगित किया गया था।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, लखनऊ में इस सदन के सामने न जाने कितने प्रदर्शन और जुलूस अकसर आते हैं और कई जुलूस तो ऐसे हैं जिनका नेतृत्व उस पार्टी ने किया है जिसके कि नेता माननीय राजनारायण जी हैं। लेकिन कभी सदन इसके लिये स्थगित नहीं हुआ। यदि आज सदन स्थगित कर दिया जाय तो माननीय राजनारायण जी को न सही लेकिन उनके अनुयायियों को बहुत कष्ट होगा। मैं ऐसा मौका उपस्थित नहीं होने देना चाहता। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन को स्थगित नहीं करना चाहिये।

(श्री राजनारायण के पुनः खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---अब इस पर बहस नहीं होगी।

कार्य-क्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष---अब सामने प्रश्न यह है कि कौन सा विषय पहले लिया जाय। साहित्य सम्मेलन विधेयक के लिये केवल चार घंटे का समय निश्चित है और दूसरा विषय उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली का है। चूंकि मेरे पास सूचना आयी थी कि उसे बीच में ही ले लेने का इरादा है, माननीय माल मंत्री जी का, तो क्या उसकी इतनी आवश्यकता है कि उसकी समाप्ति के बाद तक ठहरा नहीं जा सकता?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---अभी ले लिया जाय या ४ बजे ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---इसकी समाप्ति पर ले लिया जाय तो कोई अन्तर तो नहीं पड़ेगा?

श्री चरण सिंह---मैं एक बात जरा अर्ज करना चाहता हूं। आज दोपहर के बाद मुझे फुरसत नहीं मिलेगी।

श्री अध्यक्ष---तो यह कल लिया जा सकता है?

श्री चरण सिंह---मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन कल तो नान-आफिशियल डे है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---कल गैर-सरकारी दिन है।

श्री चरण सिंह---तो आज यह पहले ही ले लेने में आपको सब लोगों को सुभीता है तो मैं पहले ही लिये लेता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल---मैं एक जानकारी चाहता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक के लिये जो चार घंटे का समय रखा है क्या यह समिति ने रखा था?

श्री अध्यक्ष---जी हां, यह सदन ने भी स्वीकार कर लिया था।

श्री जगन्नाथ मल्ल---इस सिलसिले में मैं एक बात और जानना चाहूंगा। आज नेशनल हेराल्ड में मैंने पढ़ा था कि बाढ़ पर बहस के लिये दो घंटे का समय इस परामर्शदात्री समिति ने रखा था। मेरी समझ से ऐसा नहीं है और अगर ऐसा है तो उस पर रोशनी पड़ जाने दें ताकि गलतफहमी न हो।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि अगर नेशनल हेराल्ड के प्रतिनिधि यहां मौजूद हों तो वह इसकी दुरुस्ती कर दें। वह समय समिति की तरफ से निश्चित नहीं था, बल्कि दो घंटे का समय पहले गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था और सदन की इच्छा हुई कि उसका समय बढ़ा दिया जाय तो पौने तीन घंटे सदन ने उसका समय बढ़ा दिया। तो वह इस सूचना को दुरुस्त कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक यह बात अर्ज करना चाहता था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का बिल आ गया था, उसमें कुछ स्पीचेज हो चुकी हैं। तो अब आधे में बदलना अच्छा नहीं मालूम होता। बिल आ चुका है, बहस हो चुकी है और अब बहस स्थगित करना मेरे ख्याल में हाउस के लिये बिलकुल एक नयी बात होगी।

श्री अध्यक्ष---यह तो ठीक है, लेकिन सदन को पूर्ण अधिकार है यह निश्चित करने का कि कौन सा कार्य वह पहले हाथ में ले। मैंने पूछ लिया था हाउस में और सब एक मत थे कि सुभीता इसी में है कि चकबन्दी की नियमावली पहले ले ली जाय। इसमें किसी को आपत्ति तो नहीं है?

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---मैं समझता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक पर पहले विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो क्या चकबन्दी नियमावली पर विचार किसी दूसरे रोज के लिये स्थगित कर दिया जाय ?

श्री गेंदा सिंह---कोई हर्ज नहीं, अगर माननीय राजस्व मंत्री जी पसन्द करें तो कल नान-आफिशियल डे है तो दूसरे किसी दिन रख दीजिये।

श्री अध्यक्ष---तो फिर वह २९ तारीख को रक्खा जायगा क्योंकि कल नान-आफिशियल डे है और २७ को भी एक दिन अधिक दे दिया गया है असरकारी दिन के लिये। २८ को है जन्माष्टमी की छुट्टी। इसलिये यह विषय फिर २९ को आयेगा। कोई आपत्ति तो नहीं है इसमें ?

श्री चरण सिंह---मैं एक बात अर्ज करना चाहता था कि यह दस मिनट का काम है। इसमें एक अमेंडमेंट है एक साहब का। माननीय गेंदासिंह जी को ही शिकायत रहा करती है कि वक्त नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि यह जल्दी ही निपट जायगा।

श्री अध्यक्ष---आपको कोई आपत्ति न हो तो हम आध घंटे में खत्म कर दें इसको ?

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---हमको तो एक मौलिक आपत्ति है और वह यह कि इस चकबन्दी की नियमावली का जो साहित्य है उसका हमने अध्ययन नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष---यह कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वह तो ६ मार्च को ही दे दिया गया था।

श्री राजनारायण---तमाम ऐजेन्डा हम को एक दिन में दे दिया जाय तो हम उस पर विचार नहीं कर सकते जब यह भी हमें पता न हो कि वह कब आयेगा।

श्री अध्यक्ष---अब दूसरी तारीख रखने पर इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठ सकती। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यह २९ तारीख को लिया जाय और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्री जी को यह कठिनाई भी नहीं है कि इन नियमों का निफाज नहीं हो रहा है। तो इस लिये मैं समझता हूं कि अगर यह २९ तारीख को किसी कारण न आ सके तो ३० तारीख को रख दिया जायगा। इस तरह से जो सीताराम जी शुक्ल का सुझाव था वही स्वीकृत हुआ।

श्री राजनारायण---यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो विधेयक है उसके लिये कितना समय है ?

श्री अध्यक्ष---चार घंटे का समय है जिसमें ४५ मिनट हो चुके हैं। सवा तीन घंटे का समय बाकी है। सवा बारह इस समय बजे हैं। आप लोग समय बांट सकते हैं या आप कहें तो मैं निश्चित कर सकता हूं कि दो घंटे इसके लिये आम बहस के लिये रख दिये जायं और दो घंटे खंडों पर विवाद के लिये कर दें।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, मुझे आपसे यह निवेदन करना था कि इसके लिये पूरा दिन होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---वह अब नहीं हो सकता क्योंकि समय की यह सीमा परामर्शदात्री समिति की तरफ से आ गई थी और सदन ने उसको स्वीकार कर लिया था। कोई परिवर्तन अब नहीं हो सकता।

श्री राजनारायण—सदन इसके लिये प्रस्ताव कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, जी नहीं, समिति के पुनर्विचार के लिये प्रस्ताव लाया जा सकता था । अब ऐसा भी नहीं हो सकता ।

*उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ (क्रमागत)

†श्री तुलाराम रावत (जिला लखनऊ)—अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस विधेयक के समर्थन में कह रहा था कि हमारे प्रदेश में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि हमारी हिन्दी भाषा का प्रचार विदेशों में भी रूस जैसे देश में हो रहा है । इस सिलसिले में मैं यह कह रहा था कि अभी परसों रूस के प्राचीन भाषाओं के विद्वान् प्रो० वारिन बनारसी में तशरीफ लाये थे और उन्होंने यह बतलाया था कि रूस में हिन्दी भाषा का प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है । उस तथ्य को, उनके भाषण को और उस भाषण के कोटेशन को आपके सामने रखने का मतलब यह है कि हमारी हिन्दी भाषा का प्रचार जितना दूसरे देशों में हो रहा है जिसके द्वारा हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति और हमारे देश की विचारधारा का असर दूसरे मुल्कों पर कितना होगा उसका आप अनुभव कर सकते हैं । मान्यवर, अपने देश में उसके लिये जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी उसकी उन्नति के बारे में विचार किया जाय तो कितनी अच्छी बात हो श्रीमन्, मुझे अदालतों के बारे में क्रियात्मक अनुभव है और चूंकि यह सम्मेलन ५ साल से अदालत के झगड़े में फंसा हुआ है और हाईकोर्ट में इसका मसला छिड़ा हुआ है तो उसमें कितनी अड़चन होती है तो चूंकि मैं वकालत करता हूं इसको जानता हूं कि कितना समय वहां पर लगता है । मैं अदालतों में देखता हूं कि वहां पर कितनी देर से मुकदमों का फैसला होता है । हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय लग जाता है । क्रिमिनल केसेज में २ साल लग जाते हैं तो अगर सिविल का केस हुआ तो उसमें ५, ६ साल लग गये तो कोई मुश्किल की बात नहीं है । उसमें ऐसा नहीं है कि अदालत को किसी तरह से उतावलापन हो । वहां पर काम इतना अधिक है कि अदालतों में जो मुकदमें आते हैं उनके फैसला करने में ज्यादा समय लग ही जाता है । इस लिये मान्यवर, इतना अधिक समय लेना अदालत के ऊपर छोड़ कर कि जब वहां से फैसला हो तब हिन्दी के साहित्य के बढ़ावे के लिये, उन्नति के लिये कुछ सोचें यह गलत बात होगी । फिर जो फैसला होगा उसके मुताबिक भी यही करना पड़ेगा कि एक संस्था इसके लिये बनायी जाय जो हिन्दी की उन्नति के लिये सोचे । तो जो बात आप ४, ५ साल बाद करेंगे उसको हम आज ही कर डालें इसीलिये उसमें हमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

मान्यवर, प्रकाशन के बारे में हम यह देखते हैं कि कोई भी संस्था हो उसमें चाहे कोई ट्रस्टी हो, चाहे रिसीवर हो उसको अधिक दिलचस्पी नहीं होती है . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपस में बातें बहुत हो रही हैं, बहुत आवाज आ रही है । इसलिये मैं भाषण सुन नहीं पा रहा हूं ।

श्री तुलाराम रावत—मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि किसी संस्था में चाहे कोई रिसीवर हो या ट्रस्टी हो इतनी अधिक दिलचस्पी नहीं लेता है जितनी कि एक जिम्मेदार व्यक्ति लेता है । जिम्मेदारी से मेरा मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो एक सारे उस कार्य के लिये नियक्त किया गया हो । जो उस संस्था को चलाने या कार्यभार देखने के लिये नियुक्त किया

---

*३ अप्रैल, १९५६ की कार्यवाही में छपा है ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाता है वह उसमें ज्यादा दिलचस्पी लेता है । ऐसी सूरत में एक रिसीवर के हाथ में रख कर हिन्दी की प्रगति में एक अवरोध को देख कर हम और हमारे हिन्दी प्रेमी, और हमारे प्रान्त के व्यक्ति बरदाश्त नहीं कर सकते हैं । जो हिन्दी का विद्वान् है प्रकाशन के काम को वही कर सकता है और वही हिन्दी के साहित्य में रुचि रख सकता है.....

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य बहस को दोहरा रहे हैं ।

श्री तुला राम रावत--मान्यवर, इसके प्रकाशन में अधिक समय नहीं लगना चाहिये । एक चीज अजीब सी हम देखते हैं जो कि पालीवाल जी ने संशोधन के रूप में रखी है । उन्होंने दो संशोधन रखे हैं, एक तो यह कि यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाय और दूसरा यह कि जनमत के लिये घुमाया जाय । वह अपना मत दृढ़ नहीं कर पाये हैं । वह समझते हैं कि दो तीर लगावें और एक तो असर कर ही जायगा । उनको एक ही चीज लानी चाहिये थी । अगर यह विधेयक जनमत के लिये भेजा जाता है तो उसके लिये कम से कम एक साल से कम तो लगता नहीं और अगर जल्दी भी जनमत आ जाता है तो भी कम से कम इस वर्ष नहीं हो सकता है क्योंकि सम्भवतः फरवरी, मार्च में हमारे इलैक्शन्स होंगे । ऐसी अवस्था में यह निश्चित है कि यह विधेयक इस वर्ष के बजाय अगले वर्ष सदन में प्रस्तुत किया जायगा उनकी राय से । अगर प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाता है तो भी उसकी रिपोर्ट आने तक इलैक्शन का समय आ जाता है अगर इलैक्शन हुये । ऐसी हालत में यदि यह बिल आज यहां विचार होकर पारित नहीं होता है तो हम इस अधिकार से वंचित रहते हैं कि हमारी हिन्दी भाषा की उन्नति हो । श्री पालीवाल जी के दोनों संशोधन गलत हैं और मैं उनका काफी कड़े शब्दों में विरोध करता हूं । अन्त में मैं श्री शिक्षा मंत्री जी को उनके इस झगड़े के निपटारे के लिये अपनी ओर से, सदन की ओर से और हिन्दी भाषा प्रेमियों की ओर से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अवसर पर जो कि हिन्दी की इतनी छीछालेदर हो रही है , उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसकी उन्नति के बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, कोर्स में गड़बड़ी हो रही है, इन सब बातों के निपटारे के लिये यह सुन्दर विधेयक प्रस्तुत किया है । इसके लिये हम हजारों बार आपके आभारी हैं । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और श्री पालीवाल जी के दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि टाइम-लिमिट १५ मिनट की रख दी जाय क्योंकि केवल ४ घंटे ही इसके लिये हैं ।

श्री रतन लाल जैन--मेरे विचार में १० मिनट रख दिया जाय ।

श्री मोहनलाल गौतम--१० मिनट ही रख दीजिये लेकिन अगर आप देखें कि कोई प्वाइंट डेवलप हो रहा है तो थोड़ा समय और दे दें ।

श्री अध्यक्ष--साधारणतया १० मिनट और आवश्यकतानुसार कुछ समय और बढ़ाया जा सकता है । साढ़े चार बजे आज विधेयक खत्म हो जायगा । यह समय थर्ड रीडिंग के लिये भी मिला कर है । अगर बीच में माननीय सदस्य क्लोजर मूव करेंगे तो उस समय आम बहस खत्म हो जायगी । नहीं तो मैं समझता हूं कि उचित होगा कि २ घंटे तक आम बहस हो और २ घंटे खंडों के लिये हों ।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा (जिला झांसी)--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसमें मामूली तौर से दो तीन प्रश्न उपस्थित होते हैं । पहला प्रश्न यह है कि क्या सचमुच हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में जिच पैदा हो गयी है जिसकी वजह से हमारी प्रादेशिक सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है । मैं समझता

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

श्रीमन्, हिन्दी साहित्य सम्मेलन पिछले वर्षों में जिन परिस्थितियों में से गुजर रहा है और जिन परिस्थितियों की वजह से हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में जो बाधा पड़ रही है उससे निश्चित ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि कुछ न कुछ ऐसी कार्यवाही अवश्य करनी चाहिये जिससे यह गत्यावरोध समाप्त हो। श्रीमन्, इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों का विचार है कि साहित्य सम्मेलन के गत्यावरोध को दूर करने का कार्य केवल साहित्य सम्मेलन का ही है और उसे ही इसको समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। श्रीमन्, उन माननीय सदस्यों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हुए भी मैं समझता हूं कि मैं उनकी दलील को स्वीकार नहीं कर सकता। इस प्रदेश के समस्त हिन्दी भाषा भाषियों से इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन का संबंध है और उनको हिन्दी की सेवा करने का अधिकार है। इसलिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो क्षेत्र है वह केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन तक ही सीमित नहीं है बल्कि उसका कार्य क्षेत्र उस सीमा से बहुत दूर आगे चला गया है। इसलिये श्रीमन्, जब हम देखते हैं और जब यह प्रादेशिक सरकार देखती है कि इस गत्यावरोध के कारण हिन्दी के प्रसार और प्रचार में बहुत बाधा पड़ रही है तो निस्संदेह सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह कोई ऐसा कदम उठाये कि जिससे यह गत्यावरोध समाप्त हो।

श्रीमन्, यह कहा गया है कि इस गत्यावरोध के परिणामस्वरूप मुकदमा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सार्वभौमिक सत्ता को स्वीकार करता हूं तथा मैं यह भी समझता हूं कि आज जो भारतवर्ष के न्यायालय हैं वे लोगों के अधिकार और हकों को सुरक्षित रखने के लिये साधन हैं। मामूली तौर पर न्यायालयों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये किन्तु इस सत्य को स्वीकार करते हुए भी मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कभी-कभी जो निर्णय होते हैं, कानून की मर्यादा और सम्मान को रखते हुए भी ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जब इस सार्वभौम सत्ता अर्थात् लेजिस्लेटिव असेम्बली को उस स्थिति को सुधारने, उसको समतल स्थान पर लाने और उस स्थिति को अधिक न बिगड़ने देने के लिये हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में गत्यावरोध पैदा हो जाने से ऐसा समय आ गया है जब इस विधान सभा को हस्तक्षेप करना आवश्यक है। श्रीमन्, मेरे पूर्व वक्ता ने अभी इस संबंध में यह अपील की कि यदि यह प्रश्न प्रवर समिति के सामने जाय अथवा जनमत के लिये प्रसारित किया जाय अथवा हम इंतजार करें, इसकी प्रतीक्षा करें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कोई अन्तिम फैसला इस संबंध में हो जाय तो हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्यों में बाधा पड़ेगी। श्रीमन्, यह भी संभव हो सकता है कि सदन के सम्मुख यह विधेयक न भी आ सके और यह मामला बहुत आगे के लिये टल जाय। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस प्रदेश की यह सरकार चाहती थी और आज भी चाहती है कि उसको इस प्रकार की कार्यवाही न करना पड़े।

श्रीमन्, कल माननीय पालीवाल जी ने कहा कि इस विधेयक के आने से आपसी समझौते और आपसी चर्चा का रास्ता ही बन्द हो जायगा। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पास होने के परिणाम स्वरूप तो इसका उलटा ही असर पड़ेगा। यदि यह विधेयक पास हो जाता है और इंटेरिम बोर्ड बन जाता है तो सम्भवतः इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दोनों दल समझौता करने के लिये और आपसी चर्चा चलाने के लिये मजबूर हो जायंगे क्योंकि यदि यह समझौता नहीं करते हैं, आपसी चर्चा के फलस्वरूप कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालते हैं जो दोनों दलों को मान्य हो तो यह इंटेरिम बोर्ड अनिश्चित काल तक इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य संचालन करेगा। तो श्रीमन्, इस विधेयक के पारित होने पर ही ऐसी स्थिति आ सकती है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो घरेलू विवाद का प्रश्न है उसका निबटारा दोनों दलों के बीच में हो सकता है। श्रीमन्, सरकार यह चाहती है और संभवतः यह सदन भी यह चाहता है कि इस प्रकार के कामों के लिये इस प्रकार की स्थिति का

सुधार करने के लिये सरकार को हस्तक्षेप न करना पड़े। श्रीमन्, मैं भी समझता हूं कि जब कि हमारे यहां डेमोक्रेटिक सेट अप (Democratic set-up) है तो हमारे यहां जितनी सारी सार्वजनिक संस्थायें हैं वे प्रासपर (Prosper) हों, वे प्रगतिशील हों, और उनके विकास में सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे तो यह उन संस्थाओं के लिये हितकर है। श्रीमन्, हम यह भी समझते हैं कि प्रजातंत्र के सेट अप (set-up) में इस प्रकार का हस्तक्षेप करना हमारी उन संस्थाओं के विकास और उनकी प्रगति के लिये अहितकर है। लेकिन श्रीमन्, केवल विकास और प्रगति की सम्भावना को देखते हुए और इस आशा में कि ये स्वतः विकास और प्रगति करेंगे हम बिलकुल निस्सहाय अवस्था में नहीं बैठ सकते और विशेष कर उस समय जब कि हम यह देखते हैं कि इस सम्भावना और इस आशा में निस्सहाय हो कर बैठे रहेंगे तो उस संस्था के उस उद्देश्य और उस लक्ष्य को ही खत्म कर देंगे जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के लिये उस संस्था का निर्माण हुआ है और जिस उद्देश्य और लक्ष्य के लिये वह संस्था जीवित है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार का गतिरोध हिन्दी साहित्य सम्मेलन में है वह केवल हिन्दी साहित्य सम्मेलन का ही काम नहीं है कि वह उसको दूर करे बल्कि आज सारा देश और प्रदेश यह चाहता है कि इस जिच को समाप्त किया जाय, इस गतिरोध को समाप्त किया जाय।

श्रीमन्, पिछले वर्षों में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी के क्षेत्र में जो कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन की दी हुई प्रेरणा के कारण ही आज इस देश में हिन्दी का मान बढ़ा है, हिन्दी का गौरव बढ़ा है, उसका प्रचार और प्रसार हुआ है। आज इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन के तत्वावधान में बहुत सी परीक्षायें होती हैं जिनके द्वारा देश के हजारों और लाखों विद्यार्थियों को विद्या और बुद्धि की प्रेरणा मिली है। श्रीमन्, लाखों रुपया इन परीक्षाओं के तहत में पिछले दिनों साहित्य सम्मेलन के कोष में मिला है; उसकी भी लाखों में गणना की जा सकती है। श्रीमन्, एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक इस देश में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने कार्य किया है, तमाम जगह उसकी शाखायें, प्रशाखायें हैं। उसके प्रचारक इस देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं जिनका हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक व्यापक क्षेत्र रहा है। उसके अपने बहुत से वैतनिक कर्मचारी हैं, उसके बहुत से एगजामिनर्स हैं और उसके तहत में लाखों विद्यार्थी हर साल परीक्षा देते हैं। श्रीमन्, जब उनका इतना व्यापक क्षेत्र है, और जब उसने इतनी सेवायें की है और जब उसका कार्य इतना विस्तृत है, तो मैं श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रादेशिक सरकार को केवल इस आशा में ही नहीं बैठना चाहिये कि यदि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो अगले वर्ष और अगले वर्ष नहीं तो कुछ वर्षों के भीतर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के दोनों दल आपस में मिल कर कोई समझौता निकालेंगे। श्रीमन्, हम यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द यह समझौता हो सके लेकिन आकाशवृत्ति पर, पवित्र भावना और पवित्र आशा के आधार पर इतनी सुन्दर संस्था और इतनी हित कर संस्था को जिसने इतनी राष्ट्रभाषा की सेवा की है और आज भी करना चाहती है उसको टुकड़े-टुकड़े नहीं होने देना चाहिये। इसलिये मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं और उनके प्रति आभार प्रदर्शित करता हूं यद्यपि यह विधेयक वह जल्दी नहीं लाये लेकिन अब भी लाये तो यह उन का उत्तम कार्य है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

इसके साथ-साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक निवेदन और कर दूं और वह यह है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद वह इस बात पर कड़ी नजर रखें कि इंटेरिम बोर्ड के बनने के बाद ऐसा न हो कि कोई विशिष्ट दल हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर सरकार के रुख और दृष्टि कोण की वजह से कोई बल पावे और वह सम्मेलन पर कब्जा कर सके। इस सम्बन्ध में हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए और हमें किसी दलबन्दी में नहीं पड़ना चाहिये। हमें इस विधेयक के द्वारा किसी दल विशेष को बल, प्रोत्साहन या शक्ति नहीं देनी चाहिए। हम दोनों दलों के सहयोग और समर्थन से साहित्य सम्मेलन को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से प्रेरित हो कर हमें साहित्य सम्मेलन को चलाना चाहिए, यह एक बहुत गम्भीर और बड़ी जिम्मेदारी है

[श्री कृष्णचन्द्र शर्मा]

लेकिन मैं जानता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी के कंधे बहुत बलशाली हैं और विभाग के कंधे भी बहुत बलशाली हैं इसलिए इस प्रकार के विधेयक को पारित करने के बाद साहित्य सम्मेलन का कार्य निष्पक्ष रूप से और सुचारू रूप से चल सकेगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन में पेश हुआ है मैं उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन इस पर रखा है कि वह प्रवर समिति में भेजा जाय उसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन में जो झगड़ा पड़ा हुआ है वह किसी तरह से दूर कर दिया जाय और इससे हमारे प्रदेश में ही नहीं सारे भारतवर्ष में जो इस वक्त हिन्दी का प्रचार हो रहा है उसमें यह अवश्य बाधक हो जायगा अगर हम कोई फैसला यहां पर इस समय शीघ्र न करें। अध्यक्ष महोदय, मैं इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए अवश्य सदन से प्रार्थना करता और माननीय पालीवाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता लेकिन जब मैंने देखा कि जो संशोधन इस पर दिए गये हैं उनमें केवल एक संशोधन ही पालीवाल जी ने दिया है, तो उसको मान लेने से कोई लाभ होगा या न होगा उसका विचार भी हम यहीं सदन में कर सकते हैं और केवल इसी के लिए इसको प्रवर समिति में भेजा जाय यह उचित न होगा। जहां तक जनता की राय का प्रश्न है कल मंत्री जी ने इस सिलसिले में कहा था कि उनके पास इसके पक्ष और विपक्ष में काफी पर्चे और चिट्ठियां आती रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में एक दो बातें और हैं, वैसे तो मुझे अफसोस है इस बात का कि हम उस पर संशोधन नहीं दे पाये फिर भी हम इस बिल के द्वारा नियम बनाने के अधिकार इस संस्था को दे रहे हैं, जिन अधिकारों के लिए हम सदन में हमेशा लड़ते रहे हैं।

मैं समझता हूं कि इस लेजिस्लेचर को इस बात की शिकायत होनी चाहिए कि जो रूल्स बनाये गए लखनऊ, इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय ऐक्टों और पंचायत राज ऐक्ट आदि के सम्बन्ध में उनको बनाने का अधिकार सरकार ने अपने ही हाथ में रखा, रूल्स बना लिए जाते हैं और बाद में वह सदन में पेश किए जाते हैं, लेकिन इस विधेयक के अनुसार जो इंटेरिम बोर्ड बनेगा उसे नियम बनाने का अधिकार दिया गया है और जो नियम वह बनायेगा वह राज्य सरकार के सामने भेजे जायंगे। पर इस सदन के सामने वे रूल्स कभी पेश नहीं किये जायंगे। अगर गवर्नमेंट के पास वे रूल्स आ सकते हैं तो अगर लेजिस्लेचर के सामने भी वे रूल्स आ जायं तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। रूल्स की बिना पर वह काम बराबर जारी रहता है और उसके मुताबिक कार्य करते रहते हैं और जब कभी वे रूल्स हाउस के सामने पेश हों अगर कोई मेम्बर उनमें संशोधन करना चाहे तो इस सदन को अधिकार अवश्य होना चाहिये। उस अधिकार को मैं छोड़ना नहीं चाहता और मैं चाहता हूं माननीय मंत्री जी अगर उचित समझें जहां पर यह कहा गया है कि राज्य सरकार के पास इंटेरिम बोर्ड जो नियम बनायेगा उसके पास भेजेगा और जो संशोधन बाद को वहां की इंतजाम करने वाली कमेटीज होंगी वे करेंगी उन संशोधनों को भी जब गवर्नमेंट के पास भेजा जा सकता है तो कोई वजह नहीं है कि ये रूल्स लेजिलेस्चर के सामने न आयें।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, एक अमेंडमेंट जो माननीय श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी का यहां छपा है उसका भी मैं बड़ा समर्थक हूं। हमने यह देखा है कि यूनिवर्सिटीज के सिनेट में हर जगह जो वहां के ग्रेजुएट्स होते हैं उनको कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेशन उसमें मिलता है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब अमेंडमेंट आयेगा तब आप उसका जिक्र करें। अभी संशोधन उपस्थित नहीं है। अभी आप सिद्धान्त पर ही बात करें।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—सिद्धान्त की ही बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि इस बिल में कहीं पर यह नहीं है कि वहां के जो स्नातक होंगे उनको भी किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन उनकी जो स्टैंडिंग कमेटीज होंगी उनमें मिलेगा। इस बिल के अन्दर उसका कोई प्राविजन नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह अवश्य चाहूंगा कि जिस प्रकार हमने जो आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और काशी संस्कृत विश्वविद्यालय के ऐक्ट बनाये उनमें भी वहां के ग्रेजुएट्स को कुछ न कुछ प्रतिनिधत्व मिला है वहां की मैनेजिंग कमेटीज में उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि यहां के ग्रेजुएट्स को कुछ न कुछ रिप्रेजेंटेशन जो उनकी स्टैंडिंग कमेंटीज होंगी उनमें दिया जायगा। मैं समझता हूं कि जो झगड़े की बात चल रही है वह खत्म हो जायगी। मैं समझता हूं कि इसी से शायद हो कि हमारे हिन्दी साहित्य सम्मेलन में झगड़ा पड़ गया और वहां पर जिसकी चर्चा कल हुई कुछ पार्टी पालिटिक्स है। अध्यक्ष महोदय, हमें उस पार्टी पालिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि यहां साहित्य सम्मेलन के अन्दर कोई पार्टी पालिटिक्स न मानी जाय। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का काम इस देश और प्रदेश में हिन्दी का प्रचार करना है और उसका काम तभी हो सकेगा जबकि उसमें कोई पार्टीबन्दी न रहे और लोग निष्पक्ष हो कर अपने विचारों को वहां पर रख सकें और इस प्रदेश और देश के अन्दर हिन्दी का प्रचार ज्यादा से ज्यादा कर सकें। उसके लिये जो रोकथाम हो रही है जैसा कि उद्देश्यों में कहा गया है इस झगड़े की वजह से सन् ५० से जब से यह मामला हाईकोर्ट में पड़ा हुआ है तब से हमारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन कुछ ज्यादा काम नहीं कर सका है उस काम की पूर्ति के लिये ही यह विधेयक आज इस सदन के सामने लाया गया है। अगर वह झगड़ा, वह कांफल्किट जो आज हो रहा है जिसके कारण इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह केस गया हुआ है इस सिलसिले में वह वहीं का वहीं रह जायगा तो इस बिल से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे तो हर एक को अधिकार है कि कहीं कोई जाय, हाईकोर्ट जाय, सुप्रीम कोर्ट जाय, लेकिन हमारी इस बात की कोशिश होनी चाहिये कि हम लोग जिसकी वजह से यह झगड़ा हो रहा है उसको दूर करने की पूरी-पूरी कोशिश करें। जो इंटेरिम बोर्ड बनाया जायगा, सरकार लोगों को मनोनीत करेगी लेकिन मुझे इस बात का पक्का विश्वास है—हम अपना सहयोग इस बिल में इसलिये दे रहे हैं कि सरकार इस बात का खयाल करेगी—कि जब इंटेरिम बोर्ड बनेगा तो उसमें कहीं एक ही दल के मेम्बर न हो जायं। वह जानती है कि किस-किस दल के लोग इसमें है। अगर वह इस बात की कोशिश करेगी कि इंटेरिम बोर्ड में प्रतिनिधित्व उन लोगों को भी मिले जो झगड़ा करते हैं, जिन्होंने मुकदमा हाई कोर्ट में डाल रक्खा है, तो उनसे हमारा काफी मसला हल हो जायगा।

मैं बहुत ज्यादा तो कुछ कहना भी नहीं चाहता। सिर्फ मैं भी यह चाहता हूं अवश्य, जल्दी से जल्दी, यह जरूरी नहीं है हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ही सारे अधिकार होने चाहिये, आज इस सरकार का भी काम है और हम लोगों का भी काम है, अध्यक्ष महोदय, कि हम हिन्दी का प्रचार अपने देश में कर सकें और हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ठीक ढर्रे पर ला सकें। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में जो कुछ कमियां हों वे पूरी कर सकें, इसको अगर हम पूरा कर सकें तो अच्छा होगा। इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जल्द से जल्द यह बिल पास हो जायगा।

*श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं इस बिल को सदन के सामने पेश करने पर। पालीवाल जी ने जो दो संशोधन पेश किये हैं उनमें कोई खास फायदा मुझे नहीं दिखाई देता है। इसलिये मैं उन दोनों संशोधनों का विरोध करता हूं। एक यह कि जनता की राय के लिये भेज दिया जाय और दूसरी यह कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और दोनों हालतों में पहली सितम्बर इसकी तारीखें निश्चित हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—एक के लिये पहली नवम्बर है और दूसरे के लिये पहली सितम्बर।

श्री मोहनलाल गौतम—हां ठीक है, यही है। इस बिल में जहां तक कन्ट्रोवर्सी का सम्बन्ध है और किसने झगड़ा किया और कौन इस झगड़े का जिम्मेदार है, किसको इससे फायदा होगा और किसको नुकसान होगा, मेरे खयाल में यह बातें बहुत कुछ इस बिल से अलग की चीजें हैं। हमारे सामने तो प्रश्न एक है और वही मुख्य प्रश्न है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिसको स्थापित हुए आज ४६ वर्ष हुए और वह ऐसी संस्था है कि जिसको किन्हीं कारणों से चाहे वह 'ए' की जिम्मेदारी हो या 'बी' की जिम्मेदारी, अगर उन झगड़ों की वजह से उसका कार्य रुक गया तो क्या गवर्नमेंट यह न देखेगी कि इस तरह की अच्छी संस्था अपने काम को अच्छी तरह से करती रहे? और जो उसमें दिक्कतें पैदा हो गई हैं उनको वह दूर करे। इस तरह की बातें गवर्नमेंट ने पहले भी की हैं। कई बार और भी ऐसी संस्थायें हुई हैं जिनका काम रुक गया और उस काम के रुकने की वजह से उन संस्थाओं को नुकसान पहुंचना शुरू हुआ तो गवर्नमेंट ने दखल दिया और गवर्नमेंट के दखल देने पर वे संस्थायें बच गईं। देहली का तिब्बिया कालेज है, शान्ति निकेतन है, इस तरह की संस्थायें हैं जिनके कार्य को बिगड़ते देख कर गवर्नमेंट ने दखल दिया और कानून बना कर उनको उस बिगड़ती हुई अवस्था से निकाल कर अच्छी तरह से काम चलाने के रास्ते पर डाल दिया। आज हिन्दी साहित्य सम्मेलन जो इस प्रदेश की नहीं बल्कि सारे देश की एक बड़ी भारी उपयोगी संस्था है, जिसने बहुत जबरदस्त काम किया है और जिसका देश के सब बड़े-बड़े नेता सहयोग करते रहे हैं, सभापति रहे हैं, जिसके आज भी इलाहाबाद सेन्टर में ६० हजार विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और दूसरे सेंटरों में पौने दो लाख के करीब विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, जिसके कार्य के कारण, जिसके प्रयत्नों के कारण हमारे देश में हिन्दी को राष्ट्रभाषा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसी संस्था को आज जब हम यह देखते हैं कि उसका कार्य सुचारु रूप से नहीं चल रहा है, उसमें झगड़े हैं तो क्या हम वैसे खामोश बैठे रहें या उसको इस दलदल से निकाल कर कार्य करने के रास्ते पर न लगा दें? केवल इतना है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता, न मुझे इसकी पूरी जानकारी है कि झगड़ा किस तरह शुरू हुआ, कौन-कौन झगड़े के जिम्मेदार हैं, किन लोगों की वजह से झगड़ा हुआ, इन सब बातों को न मैं जानता हूं और न उन तमाम बातों में इस सदन को जाने की जरूरत है।

जहां तक श्रद्धेय टंडन जी का सवाल है, मेरा ख्याल है सदन एक मत है, उनकी सेवाओं और त्याग की कद्र करता है और इसलिये उनको किसी झंझट में और पार्टीबाजी में लाना मैं इस सदन में मुनासिब नहीं समझता। बाकी सवाल यह है कि झगड़े हैं, मुकदमें चल रहे हैं और उन मुकदमों की वजह से काम रुका हुआ है, यह वस्तुस्थिति है जिसमें दो राय नहीं हो सकतीं। अब वह चाहे एक का कसूर हो या दूसरे का कसूर हो। इस झगड़े में मुझे जाने की जरूरत नहीं है और न सदन को जाने की जरूरत है। लेकिन इस नतीजे पर सदन पहुंच चुका होगा और इस नतीजे पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है कि वहां झगड़े हैं और उनका रूप यह है कि हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में मुकदमें चल रहे हैं। मुकदमें मैजारिटी ने चलाये या माइनारिटी ने यह बहस की बात नहीं है लेकिन मेरी जानकारी यह है कि वह मेजारिटी ने चलाये। बहरहाल इन सब चीजों से अलग मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी उपयोगी संस्था हिन्दी को राष्ट्रभाषा का स्थान देने में सहायक हुई, ऐसी संस्था को बिगड़ने दें यह हमारे लिए मुनासिब नहीं है।

इसलिए यह बिल जो माननीय शिक्षा मंत्री जी लाये हैं उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और मैं समझता हूं कि वह इंटेरिम बोर्ड जब बन जायगा तो वह एक नियमावली बनायेगा जिसके द्वारा चुनाव होगा और चुनी हुई संस्था को यह इंटेरिम बोर्ड सारी चीज हवाले कर देगा। यह बोर्ड हमेशा के लिए नहीं है, थोड़े दिनों के लिए है। जो नियमावली बनेगी उसके अनुसार एलेक्शन होगा और जो मेजारिटी आयेगी उसके पदाधिकारी होंगे, उनके हाथ में यह संस्था होगी। इसलिए मेजारिटी को माइनारिटी और माइनारिटी को मजारिटी किया जा रहा

है इस तरह की कोई चीज अभी तक सामने नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इस तरह का कोई पक्षपात नहीं करेगी। गवर्नमेंट संस्था के हित में जो सबसे अच्छी बात होगी, जो मुनासिब चीज होगी वह करेगी। इसलिए गवर्नमेंट से इस सम्बन्ध में किसी पक्षपात की आशंका करना गलत है। जब नियमावली बन जायगी, चुनाव हो जायंगे, नये पदाधिकारी चुन जायंगे तो वह इंटेरिम बोर्ड से चार्ज ले लेंगे और संस्था सुचारु रूप से चलती रहेगी यह इस बिल का उद्देश्य है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह की, किसी बात की शंका करना या इसको डिले करना यह मुनासिब नहीं है। अगर इसको जनता की राय के लिए पहली नवम्बर तक भेजा जाय तो मालूम नहीं कि हमारे जीवन काल में यह बिल पास हो सकेगा या नहीं। हमको नहीं मालूम है कि नवम्बर दिसम्बर में कितने दिन का सेशन होगा, उसमें क्या-क्या कार्य होंगे, उसमें इस कार्य को प्रायटी मिल सकेगी या नहीं, कोई अन्दाज नहीं है। इसलिए उसमें डर यह है कि शायद हम अपने जीवन-काल में इस बिल को पास न कर सकें, इसलिए हमें खतरा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

जहां तक प्रवर समिति का संबंध है इसके अमेंडमेंट्स को देख कर मालूम होता है कि दो एक छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं, उसके आधार पर कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं मालूम होता। बिल को सब लोगों ने देखा और जो उस पर अमेंडमेंट्स पेश किये गये हैं वह एक दो है और उसके लिए दो घंटे का समय दे दिया है, इन अमेंडमेंट्स पर विचार करने के लिए। इसलिए प्रवर समिति में इसको भेजने की आवश्यकता मुझे नहीं दिखाई देती।

जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता और जो दो चार बातें और हुईं कि किस तरह से झगड़ा हुआ, उनको भी न कह कर मैं एक बार फिर शिक्षा मंत्री जी को बधाई देकर सदन से कहना चाहता हूं कि इस बिल को पास करे और मैं आपके सम्मुख इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, अगर आप उचित समझेंगे तो मुझे १५ मिनट का टाइम दे दीजियेगा, यदि बात टु दि प्वाइंट हो।

श्री अध्यक्ष—वह तो आपके बोलने के ऊपर है।

*श्री सीताराम शुक्ल—सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय उपमंत्री जी, इस विभाग के कर्मचारियों और सरकार को बधाई देता हूं कि जिन्होंने ठीक वक्त पर इस बिल को पेश किया।

इसके खिलाफ तर्क दिया गया है कि पार्टीबाजी है, मुकदमा अदालत में है, इसमें दिलचस्पी लेना ठीक नहीं मालूम होता। दूसरी बात यह कही गई है कि और जगहों में यानी विश्वविद्यालयों में जहां गड़बड़ी हुई उसको सरकार ने मेनटेन किया है। हम लोग मना करते रहे कि स्वतंत्र न छोड़ो और अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाय तो यह कहां तक मुनासिब है, यह बात कही गई है। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर पार्टीबाजी है, उससे काम का नुक्सान हो रहा है, पब्लिक का नुक्सान होता रहे और सरकार चुपचाप बैठी रहे, यह मुनासिब नहीं है। जैसा कि गौतम जी ने फरमाया कि सरकार ने और भी जगहों में हस्तक्षेप किया है और वहां सुधार किया है तो इसको भी सरकार सुधारने की कोशिश कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना यह है कि कोई भी संस्था बनाई जाती है वह बड़े अच्छे उद्देश्य से बनाई जाती है और संस्थापक बड़ी मेहनत से काम करता है। लोग इसमें आते हैं और सर्व सम्मति से चुनाव वगैरा भी हो जाता है। लेकिन जब इसकी इज्जत बढ़ने लगती है, जब इसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगती है पैसे की आमदनी होने लगती है और जहां शक्ति आती है वहां विरोध होना शुरू हो जाता है, पार्टीबाजी होने लगती है, वरना यह संस्था जो एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सीताराम शुक्ल]

साहित्यिक चीज है उसमें फायदा उठाने का कोई सवाल नहीं है, यहां झगड़े का क्या सवाल है, लेकिन यहां तो पार्टीबाजी शुरू हो जाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संस्था को कब कायम किया गया था, उस समय कायम किया गया था जब कि लोगों को खयाल भी नहीं था और अंग्रेजी का बोलबाला था और हमारे इसी उत्तर प्रदेश में उस समय हिन्दी में दस्तखत करना अपनी शान के खिलाफ समझा जाता था। उस समय हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि निहायत जरूरी है कि हिन्दी की तरक्की की जाय, हिन्दी में कारोबार हो। जिन महानुभावों ने तपस्या की इस विषय में वह थे महामना पंडित मदनमोहन मालवीय तथा टंडन जी, उन्होंने इसको स्थापित किया और हिन्दी की परती जमीन को जोता और जब इसके फलने-फूलने का समय आया तो विरोधी लोग विरोध करने लगे....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि किसी पक्ष के ऊपर आप टीका करें ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं पक्ष के लिये नहीं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—आपने जनरल बात कही उस समय तक मैंने आपको टोका नहीं। अब आप कांक्रीट ऐक्जाम्पिल दे रहे ह, यह ठीक नहीं है।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसलिये विरोध हो जाया करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह मौका है कि सरकार को क्यों इसमें हिस्सा लेना चाहिये, इसी पर मैं अर्ज करूंगा। अध्यक्ष महोदय, यह होता है कि जो जिम्मेदार आदमी होता है, सुलझी हुई तबीयत का होता है वह त्याग कर दिया करता है, अगर उसके साथ कोई बुरा बर्ताव भी कर दिया जाता है, वह कुछ नहीं कहता है। लेकिन पब्लिक के मामले में वह सख्त होता है इसमें वह किसी को रियायत नहीं कर सकता है, वह चिट्ठी लिखकर सिफारिश नहीं करता है, इसका नतीजा क्या होता है? जो उसके भक्त होते हैं वह उससे नाराज हो जाया करते हैं। मैं अर्ज करता हूं कि जब गुटबाजी करके नुक्सान करने का प्रयत्न होता है तो सरकार का फर्ज हो जाता है कि जिससे काम हो रहा है, जिससे कल्याण हो रहा है, उसको बचाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि पालीवाल जी का संशोधन है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। वह उन चुने हुये आदमियों में से हैं जिन्होंने हिन्दी की बड़ी भारी सेवा की है, तपस्या की है, वह एक सिद्धहस्त लेखक हैं और वक्ता हैं; लेकिन आज क्या हो रहा है, पार्टी का नारा लग रहा है....

श्री अध्यक्ष—मेरी राय में आप फिर विषयान्तर कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मुझे १० मिनट के बीच में ही आपको रोकना पड़ेगा। मैं जो बात समझ रहा हूं वह आप भी समझते हैं, इसलिये आप उन बातों को भाषण में न लाइये, जिससे वैयक्तिक आक्षेप किसी पर हो जाय ।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं उसी को अर्ज करना चाहता हूं कि जो इतनी तपस्या करते रहे हैं वे आज उसको टालना चाहते हैं। कितनी सख्त जरूरत है कि इसको जल्द से जल्द पास किया जाय। हिन्दी साहित्य सम्मेलन को इस सरकार ने मान्यता दी है, संसद् ने मान्यता दी है कि इसको होना चाहिये और सूबे वालों ने भी इसे सपोर्ट किया है। सिर्फ विरोध हो रहा है मद्रास में। और हुजूरवाला, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो इसके जन्मदाता हैं वही विरोध कर रहे हैं। यह कितनी गलतफहमी है। मैं उन आदमियों में से हूं कि हवा चाहे किधर जाये, इंसाफ क्या है। मैं इंसाफ के साथ चलता हूं। कुर्सी मिले या

जाय। मैंने फेस किया है अपनी जिन्दगी में और आज भी फेस करता अगर कहीं मालूम हो जाय कि किसी की जबान उर्दू है तो चाहे सारा जमाना...

श्री अध्यक्ष---फिर वही बात आपके दिमाग में आ रही है। उर्दू वगैरह या इस तरह के प्रश्नों की जो बाहर की हवा है उसमें आप न बहिये। आप कृपा करके विधेयक के विषय पर ही बोलिये।

श्री सीताराम शुक्ल---अध्यक्ष महोदय, वे चले गये जिनको समझाने की कोशिश मैं करता। जो इसके मूवर हैं वे बाहर की हवा में बह रहे हैं और मैं अगर उन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूं तो आप रोकते हैं। खैर, जाने दीजिये इस बात को। मेरी अर्ज यह है कि इसको जहां तक हो सके जल्द पास किया जाय। मैं मानता हूं कि गलतफहमी बहुत दिनों तक नहीं चला करती। अगर हमारी सरकार का रास्ता सही है, हमारा उद्देश्य सही है तो गलत प्रोपेगेंडा या गलतफहमी के कारण या किसी राजनीतिक उद्देश्य के कारण उसमें बाधा नहीं पड़ सकती। इसलिये मैं सदन से उम्मीद करता हूं कि वह इसे जल्द से जल्द पास करेगा। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई संशोधन नहीं है, विरोधी-दल के नेता ने कोई संशोधन नहीं पेश किया है इसलिये सारा हाउस चाहता है कि इसको जल्द से जल्द पास किया जाय।

श्री गणेशप्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने यह विधेयक हमारे सामने रखा है उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं और श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी ने जो संशोधन रखे हैं उनका विरोध करता हूं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जो स्थान हमारे देश में है उसे हम सब जानते हैं। वहां के क्या आपसी झगड़े हैं उससे इस सदन को कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम यह जानते हैं कि राष्ट्र को जो चीजें एक में बांधती हैं उनमें भाषा भी बहुत आवश्यक वस्तु है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हमको एक भाषा दी, जिससे आज यह सारा देश एक में बंधा हुआ है वह भाषा हिन्दी है। अध्यक्ष महोदय, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। इलाहाबाद से हिन्दी साहित्य सम्मेलन का बड़ा पुराना संबंध है। सम्मेलन मुझसे एक वर्ष बड़ा है। मैं सन् १९११ में पैदा हुआ था और उसका जन्म १९१० में हुआ था और बराबर मैं देखता रहा कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने किस तरह से लड़-भिड़ कर, मेहनत कर के हिन्दी भाषा को वह स्थान दिलाया जो आज उसे देश में प्राप्त है। लेकिन उसके बावजूद मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि माननीय पालीवाल जी जो उसके बड़े पुराने काम करने वाले रहे हैं उन्होंने इस सदन में कल कुछ ऐसी बातें पेश कीं जो उनको नहीं करनी चाहिये थीं। हमारे इस सदन को सम्मेलन के आपसी झगड़ों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर इतनी बड़ी संस्था हमारे प्रांत में है जिसने सारे देश को एक भाषा दी है तो उसको बचाना हमारा कर्त्तव्य है और हमारा फर्ज है कि हम देखें कि उसके अन्दर कोई गड़बड़ी न पैदा हो और अगर कोई गड़बड़ी पैदा होने लगे तो हम उसे ठीक रास्ते पर लायें। अगर हम उनके संशोधन को मान लें तो बात यह हो जाती है कि उसके जो झगड़े हैं उनको दूर न करें और वे जिस तरह से आज हैं उसी तरह से पड़े रहें।

हमारे कुछ भाइयों ने कहा है कि जब संस्था के अन्दर शक्ति आती है तो आपस में कुछ मतभेद हो जाता है। इलाहाबाद के सेंटर से ५० हजार से ज्यादा विद्यार्थी परीक्षाओं में बैठते हैं और वर्धा केंद्र से लगभग पौने दो लाख परीक्षा में बैठते हैं। उनकी काफी फीस होती है और काफी किताबें होती हैं तो कुछ न कुछ मतभेद इतनी शक्तिशाली संस्था में होना स्वाभाविक ही है और हमारी सरकार को उसमें दखल देने की जरूरत न पड़ती अगर वह मतभेद वहीं समाप्त हो जाता और उस संस्था के काम में रुकावट न पड़ती, लेकिन जिस प्रकार मुकदमेबाजी हुई और जिस प्रकार वहां झगड़े चले और आज वहां एक रिसीवर बैठा है। उससे तो हम सबको मानना चाहिये कि जो सारी संस्था काम करती उसकी जगह केवल एक रिसीवर काम कर रहा है। रिसीवर बड़े योग्य व्यक्ति हैं और बड़े भले आदमी

[श्री गणेशप्रसाद जायसवाल]

हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति इतनी बड़ी संस्था का काम अकेले नहीं कर सकता। तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी इस झगड़े को हम खत्म करा के इस बिल को काम में लावें तो उससे नतीजा यह होगा कि हिन्दी साहित्य का काम आगे बढ़ेगा। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा तो हो गई लेकिन इस भाषा की हमें उन्नति करना है, हमें उसे आगे बढ़ाना है और उसे दुनिया की और भाषाओं के बराबर इसे बनाना है। यह काम हमारे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सामने है और हमारे देश के सामने है। ऐसी हालत में जब कोई झगड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं और यह काम रुक जाता है तो उससे भाषा की उन्नति और साहित्य की उन्नति रुक जाती है और उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है।

मैंने इस विधेयक को कई दफे पढ़ा, किन्तु मेरी तो समझ में नहीं आया कि किस ऐसी चीज का इसमें जिक्र है जिसमें पक्षपात होता हो। ११ सदस्य सरकार द्वारा नामजद होंगे। वह उसकी नियमावली को बनायेंगे। वह नियमावली फिर सरकार के पास आवेगी। उनको अधिकार नहीं है कि उस नियमावली को कार्यरूप में परिणत कर दें, जब हमारी सरकार उसको मंजूर कर लेगी तभी वह नियमावली काम में आवेगी। एक समय भी निश्चित कर दिया गया है कि ६ महीने के अन्दर उस नियमावली के अनुसार वह सारा काम स्थायी समिति बनाकर उसके सुपुर्द कर देगी। सरकार का कोई मंशा नहीं है कि हम उस संस्था पर कब्जा कर लें। सरकार का कोई मंशा नहीं है कि उसके काम को अपने तरीके से चलावे लेकिन सब समझते हैं कि आज इस संस्था में जो उलझन पैदा हो गई है और उसका सुलझना जरूरी है और उसी के लिये यह विधेयक आ रहा है। माननीय पालीवाल जी ने एक बात और कही मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस बिल के पास होने पर आपसी मेल के समाप्त हो जाने की बहुत संभावना है। यह बड़े ताज्जुब की बात है। एक जमाने से मुकदमेबाजी हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। माननीय पालीवाल जी को चाहिये था कि इतने लम्बे-चौड़े अर्से में अगर झगड़ा खत्म हो सकता था तो उनको करा देना चाहिये था और अगर वह खत्म हो गया होता तो सारे देश को और इस सदन को प्रसन्नता हुई होती। झगड़ा बढ़ाने से और उसके बढ़ने से कोई काम चलने का नहीं है। हमको तो जल्द से जल्द इस विधेयक को पास करना चाहिये और इसके अलावा अब कोई रास्ता झगड़ा दूर करने का बाकी नहीं रहा है।

एक बात और हमारे सामने है। कुछ लोगों के नाम यहां लिये गये हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का नाम लूं, लेकिन एक आध आदमियों ने ऐसे व्यक्ति के नाम यहां लोगों ने लिये जिनको हम सब जानते हैं, जिनकी ईमानदारी, त्याग और तपस्या के बारे में कोई दो राय इस सदन में नहीं हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका नाम इसमें घसीटना अनुचित होगा।

आखिर में मैं विरोधी दल के उपनेता को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बिल के बारे में हमारा समर्थन किया और मैं समझता हूं कि इसी तरह से अगर ऐसे बिलों में वह हमें समर्थन दें कि जिनसे देश का और समाज का हित होता हो तो उससे देश का फायदा होगा और हम आगे बढ़ेंगे।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—श्रीमन, मेरा एक प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि इसमें केवल तीन संशोधन हैं और उनके लिये एक घंटे का समय काफी होगा। तो इसलिये आम विवाद के लिये समय बढ़ा दिया जाय १ घंटा और, खंडों पर विवाद के लिये केवल एक घंटे का समय रखा जाय।

श्री अध्यक्ष—मैं भी यही ठीक समझता हूं। साढ़े तीन बजे तक यह आम बहस रहे और साढ़े तीन से साढ़े चार तक खंडों पर विचार के लिये समय रहे।

(श्री राजनारायण को पुकारने के बाद)

१० मिनट का समय निश्चित हो चुका है।

श्री राजनारायण—श्रीमन् मैं निवेदन करूंगा कि सारी फाइल को मैंने ही पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष—मुझे पांच मिनट अधिक आपको देने की ही गुन्जायश है।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा, श्रीमन्, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इस विरोध का कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन विकसित हो उससे हिन्दी का विकास हो, उसमें राजनीति का प्रवेश न होने पाये और अपने इस तर्क की बहस में श्रीमन्, मैं आपके सामने कुछ ही तथ्य रखना चाहता हूं। देखा जाय कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जन्म १९१० में हुआ। १९१० से लेकर १९५० तक काम ठीक प्रकार से चलता रहा और १९५० में गतिरोध उत्पन्न उत्पन्न हुआ और उस गतिरोध को दूर करने के लिये कहा जा रहा है कि यह विधेयक लाया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं इस विधेयक को लाने वाले तमाम माननीय सदस्यों तथा मंत्री जी से कि यदि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इतिहास का अध्ययन किया जाय अच्छी तरह से तो क्या कोई ऐसा कह सकता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिन्दी के ज्ञाता नहीं थे, क्या कोई कह सकता है कि स्वर्गीय पं० रामावतार शर्मा हिन्दी के ज्ञाता नहीं थे, क्या कोई कह सकता है कि पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी हिन्दी के ज्ञाता नहीं थे, स्वर्गीय पं० रामचन्द्र शुक्ल, प्रेमचन्द्र जी हिन्दी के विद्वान् नहीं थे, लेकिन यह कभी भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पदाधिकारी नहीं होने पाये। तो मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से यह हिन्दी फूले-फले, पनपे और फलवती हो। क्यों ये इतने बड़े विद्वान् सम्मेलन के पदाधिकारी नहीं होने पाये जरा इसके कारण पर गंभीरता से विचार होना चाहिये। यहां पर मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ श्री उपाध्याय को सुन कर...

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आप असंगत हो रहे हैं। यह विषय नहीं है कि क्यों उनको नहीं चुना गया।

श्री राजनारायण—यह कहा जा रहा है कि इस विधेयक से जो झगड़ा पैदा हुआ है वह निपट जायगा। मैं आपके द्वारा इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से झगड़ा पैदा होगा और मुझे भय है कि इस विधेयक के पास होने पर कोई दूसरी गैर सरकारी संस्था हिन्दी के क्षेत्र में पैदा होगी। इन तमाम चीजों की बुनियाद पर मैं आना चाहता हूं। हर व्यक्ति कहता है कि राजनीति का प्रवेश सम्मेलन में नहीं होना चाहिये, लेकिन सरकार राजनीति से बनती है। आज एक पार्टी की सरकार है। वह पार्टी एक विधेयक ला रही है और इस विधेयक से वह जो गैरसरकारी संस्था थी, सामाजिक संस्था थी, उस सामाजिक संस्था को सरकार के हाथ में ले रही है और तिस पर भी कहा जा रहा है कि राजनीति का प्रवेश न हो, राजनीति का प्रवेश न हो। 'राजनीति का प्रवेश न हो' का नाम लेकर उसमें राजनीति के प्रवेश कराने का इससे अच्छा और क्या उदाहरण हो सकता है। इसका उत्तर होना चाहिये। यों तो जिसका बहुमत है वह बहुमत जो चाहेगा पास कर लेगा। मगर मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि जब मैं इसका विरोध करता हूं तो यह कोई न समझे कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति मेरे सम्मान में कुछ कमी है। रात से सुबह तक मेरे पास बहुत से लोग आये और उन्होंने यह कहा कि इसका विरोध न करना। मैंने यह कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है यह तो एक उसूल का सवाल है। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत की हिम्मत नहीं पड़ी कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन पर वह अपना पंजा जमाये। मगर आज की सरकार प्रयत्नशील है कि गैर सरकारी संस्था जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन है उसको अवैधानिक तरीके से अपने हाथ में ले लेते।

श्री अध्यक्ष—अब आप अपना भाषण २। बजे जारी रखियेगा।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री तेज प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस विधेयक के विरोध में अपना तर्क प्रस्तुत कर रहा था कि इस विधेयक की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहे जो भी तर्क पेश किया जाय, राजनीति इसमें प्रवेश करे या न करे, मगर मैं समझता हूं कि यह बात निर्विवाद मानी जानी चाहिये कि जब यह सरकार एक गैरसरकारी साहित्य के क्षेत्र वाली संस्था का सरकारीकरण कर रही है तो इसमें राजनीति का प्रवेश हुआ है। मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख होता है जब इस सदन के बहुत से माननीय सदस्य इस इच्छा को तो रखते हैं कि इसमें राजनीति प्रवेश न करे, लेकिन इसमें पूर्णतया राजनीति का प्रवेश कराते हैं। मैंने मोहनलाल जी गौतम को भी आज सुना और उन्होंने भी माननीय शिक्षा मंत्री को इसके लिये धन्यवाद दिया। मैं उसके कारणों में नहीं जाना चाहता हूं मगर मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर जब यह विधेयक पास होकर कानून बन जायगा तो साहित्य की सेवा कैसे होगी। मैंने पहले भी इस आदरणीय सदन को बताया था कि हमारे हिन्दी साहित्यिक स्वर्गीय रामचन्द्र जी शुक्ल और आचार्य महावीर प्रसाद जी जैसे हिन्दी साहित्य के विद्वान कभी भी इसके पद पर आसीन नहीं हुये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में बराबर २ पक्ष रहे हैं, एक तो हिन्दी की सेवा करने वाले महान् व्यक्तियों का और दूसरा जो बड़े-बड़े सरमायेदार और रईस लोग हैं, प्रकाशक, जिस पर मैं बाद में आऊंगा। जब १९५० में विरोध हुआ और उससे जो बाधा पैदा हुई उसे मिटाने के लिये यह विधेयक है। उस बाधा को मिटाने के लिये तो अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन बना हुआ है। उसका क्या होगा, मैं जानना चाहता हूं। जब सम्मेलन में गतिरोध हुआ तो कुछ व्यक्तियों ने अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन बुलाया और वह अब भी रहेगा।

आज दो संस्थायें हैं, एक तो अपने को हिन्दी साहित्य सम्मेलन कहती है और दूसरी अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन है। अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन अब भी है। उसके बारे में इस विधेयक में कोई चर्चा नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर उस संस्था के बारे में सरकार की क्या नीति है? वह संस्था क्यों बनायी गयी? उसका आखिर रूप क्या रहेगा? यह माननीय मोहनलाल जी गौतम तथा दूसरे माननीय सदस्य भूल गये। उनके सामने सारे तथ्य और सारे आंकड़े नहीं थे, इसीलिये उन्होंने ऐसी बातें कहीं। श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जो कागज-पत्र मेरे पास भेजे गये, उनका अवलोकन मैंने अच्छी तरह से किया। उसमें मैंने देखा कि इसी विधेयक को यहां लाने के लिये किन-किन लोगों ने या किन-किन संस्थाओं ने प्रयत्न किया, मैं उन सबके नाम तो लेना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि यह सब व्यक्तिगत हो गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिसका असर समाज पर पड़ता हो तो सामाजिक विश्लेषण के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि उनका उल्लेख किया जाय। ताहम मैं चाहता हूं कि उनका नाम न लूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि १२४ नामों की सूची यहां भेजी गयी है और यह कहा गया है कि ये माननीय व्यक्ति ऐसे हैं जो यह चाहते हैं कि यह विधेयक यहां लाया जाय। मैंने जब उन नामों की छानबीन की तो उसमें मालूम हुआ कि उसमें ये नाम भी हैं, श्री बलदेव प्रसाद, श्री उदय शंकर भट्ट, माधवाचार्य, डा० नागेन्द्र, श्री हरवंशलाल वर्मा, श्री गोपाललाल, श्री उमाशंकर शुक्ल आदि ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रख्यात विद्वान् हैं लेकिन जो कतई नहीं चाहते हैं कि इस तरह से इस विधेयक को यहां लाया जाय। उनका नाम यहां लेकर यह तर्क प्रस्तुत करना कि उनका कहना है कि ऐसा विधेयक यहां आये, मैं कहता हूं कि इस प्रकार से गलत तौर पर वस्तुस्थिति को रक्खा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि १००-५० नामों को टाइप करा कर यह कह देना कि यह लोग ऐसा चाहते हैं, उन लोगों को अलग-अलग सम्मति न देकर, उन व्यक्तियों के साथ अन्याय करना है। मैं, श्रीमन्, उन व्यक्तियों से जो इस मुकदमेबाजी से बहुत चिंतित हैं, यह पूछना चाहता हूं कि इस मुकदमेबाजी की जरूरत क्यों हुई। सन् १९५० में कोटा में एक सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन के अध्यक्ष श्री जय चन्द्र विद्यालंकार बनाये गये थे। जयचन्द्र जी हिन्दी साहित्य क्षेत्र के प्रख्यात पुरुषों में से हैं। आप इतिहास के परम विद्वानों में से हैं।

उसकी एक समिति बनी और उस समिति में से ६ महीने बाद दो व्यक्ति निकाल दिये गये। मैं उन व्यक्तियों के बारे में जानना चाहता हूं कि उन्होंने हिन्दी की क्या सेवा की है और किस दर्जे के उच्चकोटि के वे लेखक रहे हैं? एक राय रामचरण जी और दूसरे श्री पुरुषोत्तम दास टंडन। यह दूसरे टंडन जी हैं बच्चा जी के लड़के ....

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अधिष्ठाता महोदय, अध्यक्ष महोदय यह रूलिंग दे चुके हैं कि मुकदमे की डिटेल में न जाया जाय तथा सम्मेलन के चुनाव इत्यादि की चर्चा भी न हो। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह भाषण माननीय अध्यक्ष की उस रूलिंग के विरुद्ध हो रहा है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, समय के संबंध में यह तय हुआ था कि साधारण तौर पर १० मिनट का समय दिया जाय और विशेष रूप से कुछ अधिक समय निर्धारित किया जा सकता है। माननीय सदस्य को १० मिनट हो चुके हैं और ५ मिनट का समय वे पहले ले चुके हैं।

श्री अधिष्ठाता—समय तो अभी नहीं हुआ है। उसका मुझे ध्यान है।

श्री व्रजभूषण जी मिश्र ने यह आपत्ति उठायी कि मुकदमे की डिटेल में जाना उचित नहीं है। माननीय सदस्य को उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहिये।

श्री राजनारायण—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय अध्यक्ष ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दी है। इस संबंध में उनका नाम लेकर उनको अपमानित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष ने जो कुछ भी कहा वह यही कहा। श्रीमन्, माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि व्यक्तिगत नाम ले लेकर इसको इधर-उधर विकृत न किया जाय तो आप देखेंगे कि मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया।

श्री अधिष्ठाता—लेकिन आप नाम ले रहे हैं।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जो नाम विधेयक में दिया हुआ है उसको पढ़ लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—आप जरा अपना स्थान ग्रहण कीजिये। नाम आप ले रहे हैं और ब्योरे में ज्यादा जा रहे हैं जो मुकदमा और झंझट हुआ। तो आप कृपा करके ब्योरे में न जायं और सिद्धांत की जो बातें हैं उसी पर बोलें।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, बिल के उद्देश्य में यह लिखा हुआ है कि इसके संचालन के बारे में दो पक्षों में झगड़ा उठ खड़ा हुआ, इस तरह से श्रीमन्, गोल लिख दिया जाय तो फिर उसके लिये किस तरह से साफ किया जा सकता है। उस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता—मैं व्यवस्था दे चुका हूं। आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री राजनारायण—तो अब हमारा भाषण शुरू हो रहा है। मैं आपके द्वारा इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि विधेयक के उद्देश्य और कारण में स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि वैधानिक झगड़े उठे जिनके कारण एक रिसीवर की नियुक्ति हुई। श्रीमन्, मैं आपकी सेवा में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि रिसीवर की नियुक्ति किसी के प्रार्थना-पत्र और दरख्वास्त पर ही तो हुई होगी? मैं आपके द्वारा इस सदन को और खास तौर से माननीय ग्रामवासी जी को बतलाना चाहता हूं कि ये राय रामचरण जी कौन हैं? मैं नहीं जानता, इन्होंने ही मुकदमा दायर किया है और मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि

[श्री राजनारायण]

ये हमारे सम्मानित सदस्य माननीय मंत्रियों की जानकारी में हैं। मैं इतना जानता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, इनके भाई पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। क्यों नहीं उन्होंने मुकदमा वापस कर लिया? क्यों नहीं उनको सलाह दी गयी कि आप अपना मुकदमा वापस करें? श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के लिये इस तरह का विधेयक लाकर हिन्दी जगत के विद्वानों का घोर अपमान किया गया है। हिन्दी जगत के वे विद्वान् जिन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सेवा की है और जो हिन्दी भाषा के बड़े-बड़े जानकार हैं, क्या इस तरह के विधेयक को लाकर उनका अपमान नहीं किया जा रहा है? श्रीमन्, इस सदन में ऐसा विधेयक लाया जाय, जिससे सारे हिन्दी जगत का संबंध है, मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर उनका अपमान क्या होगा? मैं तो चाहता हूं कि इस विधेयक के ऊपर आज तमाम हिन्दी जगत को आन्दोलित हो उठना चाहिये था, उसका जबरदस्त विरोध होना चाहिये था। आज हिन्दी के विद्वानों का किस तरह से शोषण किया जा रहा है, किस तरह से सरकार उनका शोषण कर रही है इससे साफ प्रकट है। तो श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अच्छी तरह से देखा जाय कि समझौता भी हुआ जिसके कारण यह विधेयक आया है। एक समझौता इसी महीने की १९ तारीख को हुआ और उस संबंध में बातचीत हुई। फिर क्यों नहीं उस समझौते को लागू कराया जाता? अगर सरकार की इच्छा, इंटेरिम बोर्ड द्वारा इसको अपने हाथ में अपनाना नहीं है तो सरकार क्यों नहीं प्रयत्न करती कि जो समझौता हुआ और जिसमें दोनों पक्ष के दस्तखत हैं। उसको लागू होने दे। श्रीमन्, वे कागजात मेरे सामने रखे हुये हैं जिनको मैं आपकी सेवा में भेज सकता हूं। उसको आप पढ़ लें, इसमें दोनों पक्ष के दस्तखत हैं। उसमें कहा गया है कि "न्यायालय में प्रस्तुत न गायब होने वाली आठ विधान समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित नियमावली पर विचार करने के लिये प्रयाग, काशी, कानपुर, लखनऊ में से कहीं पर चार मास के भीतर सम्मेलन का अगला अधिवेशन बुलाया जाय और उसमें उक्त नियमावली पर ध्यानपूर्वक विचार कर परिवर्तन करने का उस सम्मेलन को अधिकार दे दिया जाय। उक्त अधिवेशन में अंतरिम रूप से स्वीकृत नियमावली पूर्णतया मान्य होगी।"

अब आप देखें कि इस विधेयक के द्वारा सरकार क्या कार्य कर रही है। इसलिये श्रीमन्, हर तरीके से, जनतंत्र के नुक्ते नजर से, चाहे पावर के नुक्ते नजर से, देखा जाय तो यह सरकार सही माने में अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के काम को सुचारु रूप से चलाना चाहती है तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि हुकूमत कतई हिन्दी साहित्य सम्मेलन के क्षेत्र में अपना खूनी पंजा न घुसेड़े। वर्ना अलग-अलग संस्थायें बनेंगी, अलग-अलग लोग पैदा होंगे और सरकारी नीति का विरोध करने के लिये अपनी आवाज को बुलन्द करेंगे। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मदन मोहन जी को सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने माननीय पालीवाल जी के संशोधन का विरोध किया। यह हिम्मत तो अंग्रेजी हुकूमत की भी नहीं पड़ी कि जो पूर्णतः साम्राज्यशाही हुकूमत थी कि वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कार्य में हस्तक्षेप करे, लेकिन आज यह सरकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रगति को रोकने के लिये एक बहाना बनाकर ऐसा गन्दा बिल ला रही है। मैं समझता हूं हर एक हिन्दी प्रेमी को और सदन के सभी सदस्यों को इसका विरोध करना चाहिये। यदि हिन्दी भाषा की उन्नति और उसका प्रचार होगा तो वह केवल सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होकर ही हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री महावीर प्रसाद शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हिन्दी

साहित्य सम्मेलन इस देश की उन इनी-गिनी संस्थाओं में से है जिनका इस देश की राष्ट्रीयता के इतिहास में एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान है। यह देखते हुये यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारा देश स्वाधीन हो गया और जब हिन्दी राष्ट्र भाषा के रूप में हमारे सम्पूर्ण राष्ट्र की राष्ट्रभाषा मान्य हो गई उसके कुछ ही समय बाद में जब कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को उस राष्ट्रभाषा की पूर्ण सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ तभी उसमें एक गत्यावरोध उपस्थित हो गया। किन्हीं कारणों से वह हुआ हो, किन्हीं भी व्यक्तियों या दलों के कारण वह हो लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन हमारी एक ऐसी संस्था है, जो हिन्दी जगत की एक उच्च संस्था है और अब जब कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है तब तो हिन्द सरकार की और प्रादेशिक सरकार की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह इस संस्था को जागृत और सजीव रखें और उसको कार्यशील बनाये रखे। अभी माननीय राजनारायण जी ने कहा कि हिन्दी सेवियों और हिन्दी जगत को ऐसे विधेयक का विरोध करना चाहिये और यही नहीं उन्होंने कहा कि यह सरकार उसके कार्य में इस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही है। मैं तो कहता हूं कि इस बिल को लाने के लिये हिन्दी जगत को और हिन्दी साहित्य के सेवियों को इस सरकार को हृदय से बधाई देना चाहिये और हिन्दी संसार और हिन्दी साहित्यिक तो इस ऐतिहासिक विधेयक के लिये हमारी सरकार को धन्यवाद देंगे ही। अब जब कि हिन्दी साहित्य सेवियों के सामने एक अवसर था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा तथा अपने अन्य साधनों द्वारा हिन्दी को बली बनाते, समृद्धवान बनाते और उसको ऊंचा उठाते, उसकी सेवा करते और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के द्वारा भी उसी तरह से योजनायें बनतीं जिस प्रकार से हमारी प्रादेशिक सरकार और केंद्रीय सरकार योजनायें बनाकर सम्पूर्ण देश की उन्नति की व्यवस्था कर रही है। ऐसी योजनायें हिन्दी की उन्नति के लिये सम्मेलन को स्वयं बनानी चाहिये थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से, दलगत कारणों से या किसी और वजह से यह जो गत्यावरोध हुआ वह नहीं होना चाहिये था।

यह प्रश्न सरकार के हस्तक्षेप का नहीं है, यह राष्ट्रभाषा का प्रश्न है और सरकार ने उसी की उन्नति के लिये यह कदम उठाया है और उसका यह कर्त्तव्य था कि वह इस संस्था की इस बीमारी को दूर करे। डाक्टर मरीज को देखता है लेकिन जब असाध्य रोग हो जाता है तो उसे छुरा उठाना पड़ता है। न सरकार का इसमें किसी प्रकार का कोई बुरा इरादा है और न हस्तक्षेप की कोई बात है और सरकार को जब कभी भी कोई व्यवस्था करने के लिये कदम उठाना पड़ता है तो वह कदम एक सार्वजनिक भावना से उठाती है, हिन्दी साहित्य की सेवा के लिये, उसके उत्थान के लिये और हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था के गत्यावरोध को दूर करने के लिये, राष्ट्रभाषा के मार्ग से रोड़ा हटाने के लिये सरकार यह विधेयक लायी है और केवल इस प्रदेश के हिन्दी प्रेमियों को ही नहीं बल्कि सारे देश के हिन्दी जगत को उसका समर्थन करना चाहिये, क्योंकि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और उसके मार्ग में जो भी रोड़े हों चाहे वह दलगत कारणों से हों या व्यक्तिगत कारणों से हों उनका सबको विरोध करना चाहिये। मैं समझता हूं कि सदन के सभी पक्ष के लोगों को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के विधेयक पर किसी दलगत भावना से या दलबन्दी की भावना से प्रेरित होकर विचार नहीं करना चाहिये और उसका निष्पक्ष होकर समर्थन करना चाहिये। लेकिन दुख है कि विरोधी पक्ष के कुछ लोग जिन्होंने जीवन में अपना कर्त्तव्य समझ रखा है कि जो भी ऐसी वस्तु आये तो हम उसका विरोध करें, उन्होंने इस विधेयक का भी विरोध किया और ऐसा विरोध किया जिसमें व्यक्तिगत बातें लाई गईं। मैं कहूं कि उन्होंने कोई निष्पक्ष भाव से नहीं बल्कि वे ऐसा तर्क दे रहे हैं जैसे किसी व्यक्ति विशेष या किसी दल द्वारा ट्यूटरिंग किये गये हों विधेयक यह आप जानते हैं कि मुकदमेबाजी, जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन ऐसी पवित्र संस्था के जीवन में अभिशाप है, से मुक्त करने के लिये लाया गया है। जिस संस्था के जन्मदाता हमारे महामना स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय रहे हैं ....

श्री राजनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अधिष्ठाता—(श्री महावीर प्रसाद शुक्ल से) माननीय सदस्य बैठें, प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, जहां तक मैं समझता हूं इस सदन में जितने माननीय सदस्य बोलते हैं वह आजाद तबियत से बोलते हैं तो क्या यह किसी सदस्य के लिये कहना कि जो सदस्य भाषण कर रहे थे वह ट्यूटरिंग की वजह से भाषण कर रहे थे उचित है ? अभी माननीय सदस्य ने मेरे संबंध में कहा वह ट्यूटरिंग किये हुये भाषण दे रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता—उन्होंने यह नहीं कहा ।

श्री राजनारायण—माननीय अधिष्ठाता ने शायद सुना नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने सुना नहीं कि ट्यूटरिंग कहा है ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मैंने यह कहा था कि ऐसा तर्क दे रहे हैं जो किसी दल या व्यक्ति विशेष द्वारा ट्यूटर किये गये हों और उनके तर्क से ऐसा प्रतीत होता हो ।

श्री अधिष्ठाता—(श्री महावीर प्रसाद शुक्ल से) अब आप जारी रखें ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस पवित्र संस्था के जन्मदाता महामना मदन मोहन मालवीय रह चुके हों, जिसके अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रह चुके हों और जिस संस्था की अध्यक्षता राजेन्द्र बाबू जी को मिल चुकी है, जिस संस्था में राजर्षि टंडन जी का सारा जीवन लग चुका हो और जिस संस्था ने अपनी सेवा द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन को इतना ऊंचा उठाया है, उस संस्था की रक्षा करना हमारा सबका परम कर्त्तव्य है ।

श्री राजनारायण—प्वाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अधिष्ठाता—शुक्ल जी जरा बैठने की कृपा करें । प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री राजनारायण—मैं आपसे निवेदन करूं कि जब माननीय सदस्य व्यक्तिगत नाम लें चाहे नाम राजेंद्र बाबू का हो, चाहे और किसी का हो, उसके विरोध में फिर नाम आयेंगे । उसके लिये भी फिर आप को इजाजत देनी होगी ।

श्री अधिष्ठाता—वह डिटेल में नहीं जा रहे हैं ।

श्री राजनारायण—उसकी वजह से जो कमियां हैं वह भी बतलाई जायंगी । हमारा भी प्वाइन्ट आफ आर्डर है । उनको आप कृपा करके रोकें कि वह व्यक्ति विशेष का नाम न लें । हां, जिनका स्वर्गवास हो गया है उनका नाम लें उसमें हमें कोई एतराज नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—मैंने सुन लिया । माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रक्खें ।

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—साहित्य सम्मेलन जैसी पवित्र संस्था हमारे देश के जीवन की एक निधि है और साहित्य जगत में और इस देश के जीवन में जब कभी ऐसा अवसर आये कि किसी भी कारण से उसकी कार्यगति रुके तो उस समय वह सरकार जो कि इस समय लोक कल्याणकारी सरकार है समाज के जीवन के सभी अंगों के उत्थान की चेष्टा करना जिसका उद्देश्य हो ऐसी सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती और विशेष करके उत्तर प्रदेश की सरकार जहां की राजभाषा हिन्दी है और जो सारे देश की राष्ट्रभाषा है लेकिन उत्तर प्रदेश के जन की भाषा है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन ऐसी लाभकारी संस्था में अगर कोई

गतिरोध पैदा हो तो सरकार ने किसी प्रकार से अनुचित नहीं किया कि इस विधेयक द्वारा वह जो गतिरोध सम्मेलन का है वह हट जाय और उसके बाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन को पुनः वह अवसर मिल जाय कि हिन्दी जगत और हिन्दी साहित्य की सेवा अच्छी तरह से कर सके। यह इतना पवित्र उद्देश्य है कि जिसके प्रति किसी भी हिन्दी साहित्य प्रेमी का विरोधी होना भी विनम्रराय में बहुत ही अनुचित है और मैं समझता हूं यदि इस शुद्ध भावना से इस विधेयक को देखा जाय तो इसके विरोध में किसी को इस सदन में कहने की आवश्यकता नहीं होगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री बद्रीनारायण मिश्र--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सर्व प्रथम शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने देर से ही सही लेकिन समय के पहले ही इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। चाहिये तो यह था कि इससे भी बहुत पहले यह विधेयक हमारे सदन में आता। राजनारायण जी कुछ ऐसी बात कहे हैं जिसका उन्हें पता भी नहीं है लेकिन मैं उन शब्दों को फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन मैं निवेदन करूं कि अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन कोई संस्था नहीं है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन नाम की ही संस्था है जिसक सम्बन्ध में मुकदमेबाजी हो रही है और जिसके अपील द्वारा, गतिरोध को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि माननीय मदनमोहन जी उपाध्याय धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। उनका यह कहना है कि स्नातकों के लिये बिल में कोई स्थान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि पहले भी ऐसा नियमावली में था कि १०० में १० स्नातक स्थायी समिति के सदस्य हो सकेंगे, ऐसा पहले ही नियमावली में था। इसलिये उनका जो संशोधन है उसमें कोई दो राय नहीं हो रही हैं कि स्नातक स्थायी समिति के मेम्बर न होंगे।

तीसरी बात यह है माननीय राजनारायण जी कह गये, दो मर्तबा कि माननीय रामचन्द्र जी शुक्ल का इस साहित्य सम्मेलन से कोई सम्बन्ध नहीं था। मैं उनको .....

श्री अधिष्ठाता--माननीय सदस्य जरा सुनने की कृपा करें। किसी व्यक्ति का नाम न लिया जाय ऐसी रूलिंग हो चुकी है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--उन्होंने जो कहा कि पदाधिकारी नहीं थे वह गलत कह गये। मैं बतलाना चाहता हूं ...

श्री अधिष्ठाता--वह जो कुछ भी कह गये हों, लेकिन कृपा करके आप किसी व्यक्ति का नाम न लें।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--रामचन्द्र जी शुक्ल हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे और साहित्य परिषद् जो उसका अंग है उसके अंग के। और देखिये ....

श्री अधिष्ठाता--माननीय मिश्र जी से मैं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति का नाम न लें और फिर उसे आप रिपीट करते जा रहे हैं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--श्रीमन्, उन्होंने पूछा था, उसको मैंने बताया।

श्री राजनारायण--आन ए प्वाइंट आफ इनफार्मेशन। मैं जानना चाहता हूं कि वह अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कब थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगन्नाथ मल्ल--प्वाइंट आफ आर्डर, सर। जब एक सदस्य बोल रहा हो और कोई इनफार्मेशन जानना चाहे और अगर वह सदस्य न बैठे तो क्या उस सदस्य को तब भी बोलते जाना चाहिये; इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

श्री अधिष्ठाता---कोई नहीं बोल सकता जब प्वाइंट आफ आर्डर रेज हो। किन्तु माननीय राजनारायण जी ने जो प्रश्न उठाया उसे जरा स्पष्ट करें कि क्या प्रश्न उठाया?

श्री राजनारायण---मेरा कहना था कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी शुक्ल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष नहीं थे और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे।

श्री अधिष्ठाता---नहीं, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप कृपा करके बैठ जायं। माननीय मिश्र जी किसी व्यक्ति का नाम न लें अब आगे अपनी स्पीच में।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---ठीक है, मुझे यह कहना है कि विरोधी दल के राज नारायण जी बहुत दिनों तक नेता रह चुके हैं वह खाम ख्वाह अड़ंगा लगाने की नीयत से किसी विधेयक का विरोध न करें ....

श्री अधिष्ठाता---आप इस तरह का आक्षेप न करें। विधेयक के सिद्धांतों पर जायं।

श्री बद्रीनारायण मिश्र---मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो संशोधन पाली-वाल जी ने पेश किये हैं उनका मैं विरोध करता हूं और मैं बतला देना चाहता हूं कि जो अना-वश्यक है उसकी कोई जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी यह विधेयक पास किया जाय उतना ही हमारे लिये तथा देश के लिये कल्याणकारी है। यह संस्था हिन्दी जगत की है और सारे देश की है। इसका बड़ा भारी योग रहा है और जितनी जल्दी यह विधेयक पास हो जायगा उतना ही कल्याणकारी है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन को दलगत की भावना से न देखें, जिससे राष्ट्र का हित हो, हिन्दी ने ही राष्ट्र को जगाया है और राष्ट्र की एकता रखने में हिन्दी का बड़ा भारी योग्य है। विदेशों में जो हमारे राजदूत जाते हैं उनको भी हिन्दी में काम करना पड़ता है। इसलिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन की जितनी आज आवश्यकता है उतनी स्वतंत्रता के पहले नहीं थी।

कोई भी मंगलमय कार्य जब होता है तो कुछ अनिष्ट देखने वाले आदमी बराबर विघ्न पहुंचाया करते हैं। गोसाई जी ने कहा "बहुरि बंदि खलगन सतभाये" उन्होंने एक मर्तबा बंदना नहीं की बल्कि बारबार की। इसलिये मैं कहूंगा कि विरोधी भाई मंगलमय कार्य में अड़ंगा न लगायें। इससे राष्ट्र की एकता बनेगी। इससे किसी दल विशेष का संबंध नहीं है। यह भी नहीं है कि इससे कांग्रेस पार्टी बलवान होगी और दूसरी पार्टी अबलवान होगी। बल्कि हिन्दी का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है और जो हमारे भाई विरोध कर रहे हैं वह यही कारण है कि हमारी भाषा राष्ट्रव्यापी भाषा नहीं है और वह कहते हैं कि संस्कृत को मान लो, कोई दोष नहीं। संस्कृत पुरानी भाषा है। जो संस्कृत है उसकी पुत्री हिन्दी भाषा है। जितनी जल्दी इसका प्रचार होगा और जितनी जल्दी हिन्दी को लोग समझेंगे उतना ही हमारे देश के लिये कल्याणकारी होगा।

इन शब्दों के साथ तुलसीदास जी के शब्दों को दोहराते हुये कि

"बहुरि बन्दि खल गण सत भाये।"

मैं अनुरोध करूगा कि लोग अड़ंगा न अड़ायें और इस विधेयक को जल्दी पास करें।

(श्री जगन्नाथ मल्ल का नाम पुकारे जाने के बाद)

श्री राजनारायण--मैं परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री राजनारायण--लेकिन मैं तो परसनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--वह आगे आप दे सकेंगे।

*श्री जगन्नाथ मल्ल--श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है और जहां तक माननीय उपाध्याय जी ने अपने भाषण में बातें कहीं हैं मैं समझता हूं कि माननीय राजनारायण सिंह ने या तो उसमें समझने की कोशिश नहीं की या समझा है तो भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। राजनारायण जी का यह कहना है कि उपाध्याय जी ने माननीय पालीवाल जी का विरोध किया और इसलिये विरोध किया है कि जो एक सिद्धांत है कि जो भी संस्थायें इंडिपेंडेंट रूप से चल रही है उसको सरकार को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये, इस सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया है और पालीवाल जी चाहते थे कि यह बिल इस असेम्बली से हटा दिया जाय। श्रीमन्, आपको खयाल होगा कि पालीवाल जी ने अपने भाषण के दौरान में इस सदन के सम्मुख यह कहा था कि अगरचे सरकार इस बिल को प्रवर समिति में लाने को तैयार हो जाय तो मैं समझता हूं मुझे ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं होगी और उन्होंने जो संशोधन रखा कि यह जो विधेयक है यह प्रवर समिति में भेज देना च हिये; इसका मतलब ही यह है कि पालीवाल जी की कभी यह मंशा नहीं थी कि वह यह चाहते हों कि यह विधेयक न बने, बल्कि उनकी यह मंशा थी कि जितनी इस विधेयक में खामियां है वह दूर की जायं। लेकिन सरकार की हठधर्मी तो हमेशा ही रहती है। सरकार ने नहीं माना।

दूसरी बात जो उपाध्याय जी ने कही वह यह कही कि चूंकि पालीवाल जी का एक ही अमेंडमेंट आया है, अगर्चे उसको सरकार मान लेती है तो कोई जरूरत नहीं है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिससे राजनारायण जी को बड़ी तकलीफ हुई, बड़ा दुख हुआ। मैं समझता हूं कि इसमें बिलकुल साफ-साफ चीजें हैं और जहां तक उपाध्याय जी के कहने का तात्पर्य था वह यह था कि अगर कोई तरीका नहीं है, श्रीमन्, मैं जानता नहीं कि क्या-क्या झगड़े हुये हैं साहित्य सम्मेलन में और कौन-कौन सी पार्टियां हैं, इसको तो मैं बिलकुल जानता नहीं हूं हालांकि चाहिये था सरकार को कि जहां सरकार ने उद्देश्य में लिखा है कि कुछ वैधानिक संकट पैदा हो गये, तो वह वैधानिक संकट पैदा हुये, क्या क्या परिस्थिति आयी, यह सब सरकार को बताना चाहिये था। माननीय मन्त्री जी को यह सब अपने भाषण में कहना चाहिये था। लेकिन उन सारी चीजों को माननीय मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया। हो सकता है कि झगड़े हों, यह भी हो सकता है कि जब अदालत में है तो अदालत के द्वारा ही वह झगड़े तय हो जायें। यह भी हो सकता है कि अदालत से तय होने के बाद भी झगड़े पुनः रहें और विधेयक के लाने की जरूरत पड़े, तो सारी चीजों की संभावना हो सकती है कि बिल लाया जाय और न भी लाया जाय। हां, अगर्चे यह है कि बिना इस बिल के सारे झगड़े खत्म नहीं हो सकते तो लाजमी होगा कि कोई ऐसी संस्था जोकि हमारे हिन्दुस्तान में हिन्दी साहित्य की और हिन्दी भाषा की इतनी सेवा कर रही हो, अगर्चे वह किसी कारण से या किसी झगड़े झंझट के कारण अगर रसातल को जाती हो तो उसमें दखल देना जरूरी हो जाता है और कोई भी सरकार होगी तो ऐसी संस्थाओं को बचाने की कोशिश करेगी, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। हां, उसमें अन्दरूनी क्या है, सरकार उ में पार्टीबाजी करना चाहती है या क्या करना चाहती है, तो जब वह सारे फैक्ट्स सामने आयेंगे तो इसका निर्णय किया जा सकता है।

जहां तक इस विधेयक का सवाल है, श्रीमन्, मैं जानता हूं कि कोई भी विधेयक आवे तो उसमें खामियां रहती हैं और उसमें बहुत सी खामियां है। मैं चाहूंगा कि सरकार उन खामियों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

को दूर करने की कृपा करे। जैसे, श्रीमन्, एक तो मुझे थोड़ा सा शुबहा हो रहा है। कहां तक वह सही है या गलत है यह तो कानून के जानकार लोग ही राय देंगे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन पूरे हिन्दुस्तान की सेवा करती रही है और अब इसका नाम हिन्दी साहित्य सम्मेलन से उत्तर प्रदेशीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें कहां तक वैधानिक गड़बड़ी हो सकती है कि यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इस विधेयक के बन जाने के बाद दूसरे सूबों की सेवा कर सकेगा या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता है। यह तो कानून की बात है और कानूनदां ही इस पर अपनी राय दे सकते हैं।

श्रीमन्, दूसरी चीज इसमें जो अंतरिम मंडल बनाने की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि वह गलत है। सरकार को यह अख्तियार नहीं देना चाहिये कि वह अंतरिम मंडल को बनाये। सरकार को यह चाहिये था कि जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन की कमेटी थी, जो मैनेजिंग बाडी थी उसी के सिपुर्द यह काम किया जाता और वह नियमावली बनाती और सारे काम करती जब तक कि नई नियमावली न बन जाती। लेकिन सरकार की तो पावर लेने वाली बात होती है कि हम ही उसको बनायेंगे और हम ही यह करेंगे। इससे मुझे शुबहा पैदा होता है कि कहीं ऐसा न हो कि सरकार जो चाहती है कि वहां पर पार्टीबाजी खत्म हो बजाय इसके वह स्वयं पार्टी-बाजी में चली आये। इसलिये मैं चाहता था और चाहता हूं कि मंत्री जी इस चुनी हुई मैनेजिंग कमेटी को ही जो अभी तक है, उसके हाथ में ही इसको दें। अगर्चे रिसीवर मुकर्रर है लेकिन फिर भी अगर हम कानून बना देंगे कि हम यह अधिकार देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी और रिसीवर हट जायगा और मैनेजिंग कमेटी काम करने लगेगी। इस तरह से डेमोक्रेसी की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि इसमें नियमावली की बात रखी गई है, मैं समझता हूं कि वह थोड़ी सी गलत सी मालूम होती है कि अंतरिम मंडल बनेगा और वह सरकार के पास भेजेगी तो इस सदन को अधिकार नहीं रहता है जबकि हर एक चीज इस सदन के द्वारा पास होती है। जितने भी यूनिवर्सिटी बिल बने है और जिनमें नियम बने हैं या स्टैट्यूट्स बने हैं, उनमें सबमें प्रावीजन लगाया गया है कि वह सदन के सामने आने चाहिये। हो सकता है कि इसमें कुछ देर हो जाय और लोगों का यह खयाल हो कि विधान सभा फिर न बैठने पाये और नियमावली वैसे ही रह जाय और काम में गड़बड़ी हो। जिस तरह से गोरखपुर यूनिवर्सिटी के लिये हुआ है लेकिन, श्रीमन्, अभी तक स्टैच्यूट्स भी नहीं आये हैं।

इसमें, श्रीमन्, जहां तक कोरम का सवाल है, वह कम रखा गया है। इतने सदस्यों में तीन का कोरम बहुत ही कम है, वह ज्यादा होना चाहिये। जहां तक स्नातकों का सवाल है वह जरूर होना चाहिये। आप देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी है, गोरखपुर में भी रखा गया है, वाराणसेय में भी है लखनऊ में भी है, कहने का मतलब यह है कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में नियम हैं कि रजिस्टर्ड ग्रेजुयेट्स को रखा जाय। आप कहेंगे कि यह चीज नियमावली में आ जायगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जिस तरह से हर ऐक्ट में लिखा हुआ है, उसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिये। जो स्थायी समिति बने उसमें रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का जरूर कुछ न कुछ हिस्सा हो। इसके सम्बन्ध में एक संशोधन है, जैसा सदन चाहेगा करेगा। मैं समझता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, मंत्री जी उनका खयाल करेंगे और इस चीज को बदल कर ऐसा ऐक्ट बना देंगे जिससे सम्मेलन की अच्छी सेवा हो सके।

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, वह संक्षेप में दें।

श्री राजनारायण—मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बद्रीनारायण जी ने यह कहा कि हमने मनगढ़ंत अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन बना दिया है; मनगढ़ंत नहीं है बल्कि सरकार के पास से जो पत्र आया है, उसमें लिखा है .....

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—प्वाइंट आफ आर्डर। जब किसी बिल के ऊपर विवाद चल रहा हो उसके दौरान में इस प्रकार के एक्स्प्लेनेशन्स नहीं आ सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन्स तो बाद में जब इसका विवाद समाप्त हो जाय तब आ सकते हैं। इस तरह के विवाद में जो प्रश्न उठाये गये उनका एक्स्प्लेनेशन बार-बार इस विधेयक के दौरान में नहीं आ सकता।

श्री अधिष्ठाता—जब किसी सदस्य ने कोई बात कही हो और एक माननीय सदस्य के खिलाफ गलत इंटरप्रेटेशन किया हो तो उसका एक्स्प्लेनेशन दे सकते हैं। माननीय राजनारायण जी जारी रखें।

श्री राजनारायण—तो, श्रीमन्, मैं इतना ही निवेदन कर रहा था कि सरकार की ओर से जो पत्र मेरे पास आया है उसी पत्र में अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन की एक सिफारिश है और उसकी वही सिफारिश है जो कि इस विधेयक में बातें आयी हैं। इससे बिल्कुल साफ है कि एक अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन है और एक अखिल भारतीय हिन्दी सम्मेलन है। उसमें 'साहित्य' का शब्द नहीं है। इसलिये सरकार की ओर से जो पत्र आया उससे ही मैंने बताया।

दूसरा एक्स्प्लेनेशन मेरा यह है कि मैंने यह नहीं कहा कि माननीय मदनमोहन उपाध्याय जी ने पालीवाल जी के संशोधन का विरोध किया। मैंने कहा कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया इसका मुझे दुःख है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र—मैं जवाब दे दूं।

श्री अधिष्ठाता—आप जवाब नहीं दे सकेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—अधिष्ठाता महोदय, जो विवाद इस विधेयक पर हो रहा है उसको मैंने गौर से सुना। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और मान्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। इस सदन में सिवाय श्री राजनारायण जी को छोड़कर सब ने इस विधेयक को पसन्द किया। जिन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजने के लिये संशोधन रखा उन्होंने भी इस सिद्धान्त को तो मान ही लिया कि सरकार एक ऐसा विधेयक बनाये। इस तरह से इस सदन में सिवाय राजनारायण जी के सब ने इसका समर्थन किया। इसको देखकर मुझे प्रसन्नता होती है।

यह बात राजनारायण जी की ठीक है कि यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन एक सामाजिक संस्था है और साधारणतया सामाजिक कार्यों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। यह सिद्धान्त मेरे विचार से बहुत ठीक है। परन्तु जैसा कि सदन को विदित है, इस हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने देश की बड़ी भारी सेवा की है और हिन्दी भाषा को बहुत बढ़ाया है। जिस समय हिन्दी भाषा बड़ी हीन अवस्था में थी उस समय हिन्दी के प्रश्न को लेकर इसने उसकी बड़ी भारी सेवा की। उसने परीक्षायें शुरू कीं जिनमें देश के हजारों विद्यार्थी बैठते हैं और हिन्दी भाषा के अलावा जो अन्य भाषा वाले विद्यार्थी हैं वे भी लाखों की संख्या में बैठते हैं। इतनी बड़ी संस्था जब झंझट में पड़ जाय, जब ६ वर्ष से उसका प्रबन्ध खराब हो जाय और एक नियमावली के बनाने पर उसमें मुकदमेबाजी हो जाय और तीन तीन मुकदमें अदालतों में चल रहे हों ऐसी दशा में क्या एक राष्ट्रीय सरकार जो जन-कल्याण के लिये बनी है, जनता का हर एक क्षेत्र में उत्थान करने के लिये जो बनी है क्या उस सरकार का यह उत्तरदायित्व नहीं है कि जब ऐसी संस्था मृत्यु के मुख में जा रही हो तो उसकी रक्षा करे ? हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ही यह श्रेय है कि उसने हिन्दी भाषा को राष्ट्र-भाषा का स्थान दिलाया है। ऐसी संस्था की रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य था। इसकी रक्षा के लिये उसने केवल उतना ही कार्य किया है जितना आवश्यक था। केवल यह रखा है कि जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन है उसके सब मुकदमे खत्म हो जायें और

[श्री रतनलाल जैन]

जो एक अन्तरिम मंडल बनायेंगे उसके सुपुर्द सब काम हो जायें और इस वक्त जो रिसीवर है उसका कार्य भी उसके सुपुर्द हो जाय। यह अन्तरिम मंत्रिमंडल एक नियमावली बनावे और उसको सरकार स्वीकृत कर ले और फिर उसके बाद उस नियमावली के अनुसार चुनाव कराये। उसके बाद स्थाई समिति बने और उसके बाद सब इंतिजाम उसके सुपुर्द कर दे और उसके बाद यह अंतरिम मंत्रिमंडल समाप्त हो जायगा।

इससे स्पष्ट है कि इसका कार्य केवल वह व्यवस्था करना है कि जो व्यवस्था खराब हो गयी है, उसके पश्चात् इसका कोई कार्य नहीं रह जाता है। फिर भी हिन्दी साहित्य सम्मेलन ही सारा कार्य करेगा। इसका कार्य सिर्फ यह है जहां उसमें झगड़े पड़ गये हैं उनको हटा कर उसकी नियमावली बनवा कर उसका कार्य-संचालन ठीक कर दे। इसको हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता। इसका तो मैं समझता हूं कि तमाम हिन्दी जगत और वह जगत जो हिन्दी भाषा की उन्नति चाहता है और जो यह देखना चाहता है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिसने हमारी इतनी सेवा की थी जब आज हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों और पारिभाषिक शब्दों की कमी को पूरा करे और जो चाहते हैं कि उसकी इतनी उन्नति हो जाय जिसमें राष्ट्रभाषा में हमारा सारा काम चल सके तो आज इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है। यह कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन को करना है, उसकी उन्नति करके उसको अपने पैरों पर खड़ा करना है और यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो जन-कल्याण के लिये बनी है उसका उत्तरदायित्व यह था। आज मैं यह कहते हुये प्रसन्न हूं कि उस उत्तरदायित्व को आज वह पूरा कर रही है। यह विधेयक देर में लाया गया है। अच्छा होता कि दो तीन वर्ष पहले ही आ जाता और जो खराबी आज दूर की जा रही है वह पहले ही दूर कर दी जाती। खैर, जब भी आये और मैं इसीलिये इसका स्वागत करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसके लिये बधाई देता हूं।

श्री अधिष्ठाता—नरदेव शास्त्री जी केवल तीन चार मिनट बोलने की कृपा करें क्योंकि माननीय मंत्री जी को फिर जवाब देना है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—साढ़े तीन बजे तक समय है, श्रीमन्!

श्री नरदेव शास्त्री (जिला देहरादून)—अधिष्ठाता महोदय, मैं कल से इस विधेयक पर जो चर्चा हुई है उसको ध्यानपूर्वक सुनता रहा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मेरा लगभग २९ वर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है और १९२५ में देहरादून में मैंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन कराया था और मैं ही उस वक्त स्वागताध्यक्ष था। इसके पश्चात् वृन्दावन में जो सम्मेलन हुआ वहां बड़ी गड़बड़ हो गयी थी। इसलिये हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिकारियों ने मुझे वहां भेज दिया था कि वहां का झगड़ा शान्त कर दिया जाय और वहां सब प्रकार से शान्ति हो गई। इसी प्रकार भरतपुर सम्मेलन में गया था और बहुत कुछ काम करना पड़ा। सन् १९२५ से लेकर अब तक किसी न किसी रूप में हिन्दी साहित्य सम्मेलन से मेरा सम्बन्ध रहा है और मैं अधिकृत रूप से कह सकता हूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने जितना हिन्दी प्रचार का काम किया है और आज जो हिन्दी भाषा को राष्ट्र भाषा होने का सम्मान मिला है उसका सारा श्रेय हिन्दी साहित्य सम्मेलन को ही मिलना चाहिये। मैं जानता हूं कि इस प्रदेश में दो ही ऐसी संस्थायें हैं एक तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी और हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इन दोनों ने यद्यपि अपने-अपने ढंग से कार्य किया है। नागरी प्रचारिणी सभा ने बहुत सी अमूल्य ग्रन्थावलियों को प्रकाशित करके किया है किन्तु हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने हिन्दी प्रचार का ही कार्य किया है जो बहुत सराहनीय है और हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं द्वारा इतना काम हो गया है कि यद्यपि यह यू० पी० की संस्था है, उत्तर प्रदेश की संस्था है, किन्तु इन दोनों संस्थाओं को अखिल भारतवर्षीय संस्था का रूप मिल चुका है। संस्थायें जो हैं वह एक प्रकार से राष्ट्र की प्रतिरूपक होती है। इसलिये संस्था की

रक्षा करना सरकार का परम कर्तव्य हो जाता है। हम देख रहे हैं कि वर्षों से यह झगड़ा टंटा चल रहा है और एक दल के हाथ में अधिकार आते ही दूसरे दल को उसने इस तरह से लथेड़ा कि जैसे वह कुछ न हो और उसमें गण्यमान्य सज्जन इधर भी हैं और उधर भी हैं। यह दुःख की बात है कि इस तरह की पार्टीबन्दी में इस प्रकार की संस्था पड़ जाय और उससे जनता के काम में गड़बड़ी हो जाय। चूंकि ऐसा हुआ इसलिये सरकार को यह आवश्यक हो गया कि इस प्रकार का वह विधेयक लाये और मैं इसकी पुष्टि में उपस्थित हुआ हूं।

मेरे मित्र श्री पालीवाल जी ने दो संशोधन रखे हैं, संशोधनात्मक प्रस्ताव रखे हैं। एक तो इस विधेयक को जनता में प्रसारित किया जाय उसका विचार जानने के हेतु, दूसरे यह कि अगर यह संशोधन न माना जा सके तो इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैंने उनका जो भाषण सुना उसमें जिस तर्क से उन्होंने काम लिया है, वे सारे तर्क हमारी पुष्टि में अधिक काम आते हैं और उनकी बात की नहीं। जब संस्था की ऐसी दुर्दशा हो और हजारों विद्यार्थी कष्ट में हों, वे जान न पाते हों कि असल बात क्या है, परीक्षा किस प्रकार से होगी, ग्रन्थ बदले जा रहे हैं, नियम क्या हैं, उनका पालन किस प्रकार से होगा। ऐसे समय में हर एक देखता है कि सरकार क्या करती है। ऐसे समय में यह विधेयक लाना ठीक है। बाकी रही राजनारायण जी की बात। वह बड़े अच्छे वक्ता हैं और जिस पक्ष को लेते हैं उस ओर से खूब धड़ाके के साथ बोलते हैं। मेरे खयाल में जो नाम न लेने का नियम है, अधिष्ठाता महोदय, वह औरों के लिये है, राजनारायण जी के लिये नहीं, इसलिये मैं उनका नाम अवश्य लूंगा। उनकी बहस से यह प्रतीत होता है कि वह एक दल विशेष का पक्ष लेकर बोल रहे हैं। उनकी वाणी में ओज है, तेज है और ऐसा मालूम होता है कि दूसरा पक्ष उनके सामने कुछ नहीं है, किन्तु वास्तव में है कुछ नहीं, केवल शब्द ही शब्द हैं और किसी बात से उनसे मतलब नहीं। कौन प्रधान था, उनके समय में क्या हुआ और किस संस्था ने क्या किया, आदि-आदि बातों से हमको क्या लेना है? एक राष्ट्रीय संस्था बिगड़ रही है, उसकी व्यवस्था करना सरकार का काम है और सरकार इसी काम के लिये यह विधेयक लायी है। इसलिये मैं इसकी पुष्टि करता हूं और आशा करता हूं कि यह विधेयक अवश्य पास किया जायगा।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, इस विधेयक के सम्बन्ध में जो विवाद इस भवन में हुआ और जिस प्रकार से इस विधेयक का स्वागत हुआ उसके लिये मैं माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

विधेयक के सम्बन्ध में एक आपत्ति यह की गयी कि सरकार को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिये था। यह एक सैद्धान्तिक बात कही गयी और आपत्ति की गई। इसका अपनी जगह एक स्थान है और मैं समझता हूं कि इसका उत्तर देना भी आवश्यक है। सार्वजनिक संस्थायें जो किसी क्षेत्र में जनता की सेवा करती हों वह निर्भर करती हैं अपनी ख्याति पर। एक कोई बैंक है और यदि उसकी ख्याति बिगड़ जाय चाहे वह कितना ही सुदृढ़ बैंक क्यों न हो वह टिक नहीं सकता। उसी तरह से शिक्षा संस्थायें हैं। यदि इनकी ख्याति भी बिगड़ जाय और लोगों की इन संस्थाओं के प्रति श्रद्धा न रहे, उसकी ओर आकर्षण न हो तो ऐसी संस्था जीवित नहीं रह सकती। आज सरकार के सामने केवल यही एक प्रश्न है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विधेयक को भवन के सामने प्रस्तुत करते समय और उसके पूर्व मैंने इस पर बड़ा विचार किया। बहुत सोचा कि सचमुच यह एक ऐसा क्षेत्र है या नहीं जिसमें सरकार को पदार्पण करना चाहिए या नहीं और अन्त में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सरकार के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इसमें हस्तक्षेप करे और किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था बनावें कि कम से कम इस संस्था की जो मर्यादा थी, इस संस्था की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी, जो जनता की और भाषा की सेवा इसके द्वारा हो रही थी वह फिर होने लग जाय। यही एक प्रश्न है। आप थोड़ी देर के लिये अपने दिमाग से यह निकाल दीजिये कि

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इसमें कोई पार्टीबन्दी का सवाल या राजनीति का प्रश्न है या सरकार इसको अपने हाथ में लेना चाहती है। इसको निकाल कर यदि आप गम्भीरता से इस पर सोचें तो मैं समझता हूं कि आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अवस्था यह हो गयी है कि उसमें आप दो में से एक निर्णय करें या तो आप यह निर्णय करें कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन को मर जाना चाहिये या आप यह निर्णय करें कि इसको जीवनदान देना चाहिये। आज उसकी व्यवस्था क्या है? आज उसकी व्यवस्था यह है कि ५ वर्ष से उसका मुकदमा चल रहा है और उसके सब काम एक रिसीवर के सिपुर्द हैं। आप यह एक सन्तोषजनक अवस्था नहीं कह सकते। मैं यह समझता हूं कि आपको यह जानकर दुःख होता होगा कि जिस संस्था की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर हुई थी कि वह उन क्षेत्रों में काम करती रहे और जिसको इस बात का श्रेय हासिल है कि उसने हिन्दी की अनुपम सेवा की है और उसको आज एक ऐसे स्थान पर ले जाकर बिठाया है जहां पर हम सब उसको बैठाना चाहते थे।

आज उस संस्था में हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि हम और आप यह देखें कि वह संस्था अपना काम कर रही है या नहीं। आप थोड़ी देर के लिये पार्टीबन्दी को भूल जायें और मैं तो यह नहीं जानता कि पार्टीबन्दी क्या है। केवल इतना जानता हूं कि पार्टीबन्दी है। इतना जानता हूं कि पम्फलेटबाजी हो रही है और अखबारबाजी हो रही है और उससे इतना दूषित वातावरण उसकी बाबत पैदा हो गया है कि आज जितने भी हिन्दी जगत के लोग हैं, जो चाहते हैं कि यह संस्था पूर्ववत् काम करे उन सब को दुःख है। तो क्या सरकार के लिये यह उचित था कि वह कानों में तेल डाल कर आंखें बन्द करके इस संस्था को छोड़ दे? इससे यदि आप समझते हैं कि उसका कल्याण हो सकता है, यदि आप समझते हैं कि उसका जो स्थान हमारे सार्वजनिक जीवन में था वह स्थान उसको फिर से मिल सकता है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि यह मेरी समझ से उसी तरह से उसको वह पूर्ववत स्थान मिल जाना सम्भव हो सकता तो मैं कभी भी इस विधेयक को लेकर आपके सामने उपस्थित न होता। आज अवस्था यह है कि या तो आप हिन्दी साहित्य सम्मेलन को जिस दलदल में वह फंसा हुआ है उसमें उसे छोड़ दें, तो मैं समझता हूं कि वह थोड़े ही दिनों में हमारी और आपकी आंखों से अदृष्ट हो जायगा।

मैं यह नहीं कहता कि उसमें कोई पक्ष दोषी है और कोई पक्ष दोषी नहीं है। यदि मैं यह कहूं कि जितने लोग आज उससे संबंधित हैं सभी दोषी हैं तो शायद ग़लत नहीं होगा, क्योंकि आज तक उनके लिये यह सम्भव नहीं हुआ कि आपस में मिल कर एक नियमावली बना लें जिससे यह संस्था चलती रहे। यह आक्षेप सरकार पर लाना कि हम उसमें कोई राजनीति लाना चाहते हैं या अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, ग़लत है। इस विधेयक का आप विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि इसमें एक अन्तरिम बोर्ड हिन्दी साहित्य सम्मेलन को अपने हाथ में लेकर एक नियमावली बनावेगा और उसके बाद यह सब फिर उस बोर्ड को दे दिया जायगा और फिर कोई झगड़ा आपस में नहीं रहेगा। मैं समझता हूं कि बहुत दिनों से नियमावली बनाने का झगड़ा चल रहा है और उसे लेकर दोनों पक्ष हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। जो संस्था सार्वजनिक हो और लोगों की सेवा करती हो और हिन्दी की सेवा करती हो उसकी नियमावली बनाने पर इतना बड़ा झगड़ा हो जाय कि ५ वर्ष तक समझौता न हो सके, एक दूसरे पर दोषारोपण होता रहे, जनता में इस प्रकार से वातावरण पैदा होता रहे, मैं समझता हूं कि यह हम सबके लिये सन्तोषजनक बात नहीं हो सकती। केवल इतना झगड़ा है कि किस प्रकार से नियमावली बने और उसका संचालन हो। दोनों पक्षों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह नहीं चाहता हो कि यह सम्मेलन अपना काम करे।

इस विधेयक में इसलिये केवल इतना ही रखा गया है कि एक अन्तरिम बोर्ड बनेगा जो इन नियमों के अनुकूल एक नियमावली बनावेगा और उसके बाद उसके अनुकूल एक स्थायी समिति बनाई जावेगी जिसके सुपुर्द यह सम्मेलन कर दिया जायेगा। यह तो है नहीं कि सरकार हमेशा के लिये इस सम्मेलन को ले लेगी। केवल एक नियमावली बनाने का अधिकार लिया जा रहा है। तो इस नियमावली को बनाने का अधिकार सरकार ले रही है। मैं समझता हूं कि उसके ऊपर यह आक्षेप करना कि हम किसी पक्ष को मजबूत बना रहे हैं, ग़लत है। अब सवाल यह है कि पालीवाल जी ने इसमें दो संशोधन पेश किये। एक तो यह है कि जनता की राय के लिये भेज दिया जाय और यह एक नवम्बर तक के लिये प्रसारित किया जाय। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यदि उसको जनता की राय के लिये भेजा गया तो आपको उससे क्या चीज मिलेगी। आप इस बात को याद रक्खें कि केवल नियमावली को बनाने का प्रश्न है और ऐसी नियमावली एक इंटेरिम बोर्ड के द्वारा बनायी जाय या नहीं, इस बात पर आप जनमत लेना चाहते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—किसी पार्टी के द्वारा बनायी जाय या नहीं।

श्री हरगोविन्द सिंह— जनमत इस पर लिया जायगा कि यह विधेयक बनाया जाय या नहीं और इस विधेयक की जो धारा है उसमें केवल इतना ही है कि एक इंटेरिम बोर्ड बने और वह नियमावली बनाये।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—एक पार्टी के पक्ष में वह बन जायगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्री पालीवाल जी तो आजकल पार्टी का ही स्वप्न देख रहे होंगे लेकिन मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं है। इस विधेयक में एक भी शब्द पार्टी का नहीं है। मैंने इसका विश्लेषण करते हुए पहले ही बताया था कि विधेयक का प्रमुख अंश क्या है। यदि विधेयक में कोई प्रमुख बात है तो वह एक ही है कि जो दो पार्टी हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हो गई हैं अगर वह आपस में समझौता करके कोई नियमावली बनाने में असमर्थ रहीं हैं तो वह इसके द्वारा बना दी जाय।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—समझौता हो गया था?

श्री हरगोविन्द सिंह—आपके घर में हो गया होगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मेरे पास इसका तहरीरी सबूत है।

श्री हरगोविन्द सिंह—आपके पास तहरीरी सबूत बहुत सी बातों के हैं। तो अगर आप इसको जनमत के लिये भेजेंगे तो एक उत्तर तो यह हो सकता है कि इस प्रकार का नियमावली बनाने का प्रयत्न न किया जाय और दूसरा उत्तर यह हो सकता है कि नियमावली बनायी जानी चाहिये क्योंकि यह संस्था बिगड़ रही है, गिर रही है, मर रही है और क्योंकि यह अपनी नियमावली नहीं बना पायी इसलिये नियमावली बना कर इस संस्था को जीवित करना चाहिये। सरकार के पास तो केवल यही दो उत्तर आ सकते हैं लेकिन पार्टी का उत्तर पालीवाल जी के पास आयेगा। चाहे इस पार्टी के हों चाहे किसी और पार्टी के, आज इस बिल के विरोध में केवल दो ही माननीय सदस्य ऐसे रहें जिन्होंने यह कहा कि इस प्रकार से नियमावली नहीं बननी चाहिये और इसलिये इसका विरोध किया। उनका यही मत है कि इस संस्था की सेवा इसी प्रकार से हो सकती है कि हाईकोर्ट में झगड़ा चलता रहे और दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालती रहें, लेकिन भवन के अन्य मेम्बरों को किसी पार्टी का खयाल नहीं है चाहे वे इस तरफ के बैठने वाले हों या उस तरफ के बैठने वाले हों, सभी ने यह कहा कि यह अवस्था असन्तोषजनक है और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करके

[श्री हरगोविन्द सिंह]

इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि यह संस्था पुनर्जीवित होकर अपना कार्य उसी प्रकार से करे जिस प्रकार से पहले करती चली आयी है। इसलिये मैं समझता हूं कि इसको जनमत के लिये भेजना, यह इस बिल और हिन्दी साहित्य सम्मेलन का गला घोंटना है। आप उसके स्नातक हैं और आप उसके बहुत कुछ रहे हैं। ४५ वर्ष उसका पूरा जीवन है और ४० वर्ष तक उससे आपका साथ रहा है परन्तु दवा जो आप तजवीज कर रहे हैं वह यह कि ऐसा कोई विधेयक नहीं बनाना चाहिये और जहां वह है वहीं उसको रहना चाहिये! चूंकि, आप के मुंह लगना बड़ी मुश्किल बात है लेकिन ४० वर्ष की सेवा और साथ के बाद आप इस निष्कर्ष पर आज पहुंचे हैं कि आप कहते हैं कि समझौता हो गया। आपके पहले मैंने और कभी नहीं सुना कि समझौता हो गया है। परसों तक लोग मेरे पास आते रहे कि इस प्रकार से समझौता हो जाय लेकिन जो चीज ५ वर्ष में नहीं हो पायी है, जिसके लिये मुकदमा लड़ रहा है, वह आज कैसे मान लें कि समझौता हो गया है और फिर अगर समझौता हो गया होता तो मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो यह कहता कि समझौता तो हो गया है। कम से कम एक पक्ष मुझसे यही कहता जिस पक्ष से आप सम्बन्धित हैं। आप भले ही कहें लेकिन सरकार किसी पक्ष से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये सरकार केवल एक बात चाहती है कि उस संस्था की नियमावली बनायी जाय क्योंकि नियमावली को लेकर ही आपस में मतभेद है और उसी लिये यह बिल आया है। ५ वर्ष के अन्दर मैंने कभी भी समझौते की बात नहीं सुनी और न कभी श्री राजनारायण जी व माननीय पालीवाल जी का ही बयान सुना कि वे समझौता कराना चाहते हैं, किसी अखबार में भी मैंने इस तरह की कोई बात नहीं पढ़ी, हो सकता है कि उनके अखबार में ऐसा बयान कभी निकला हो। इसलिये कम से कम समझौते की बात तो कभी भी हमारे नजदीक नहीं आयी। उसके लिये मुकदमा चल रहा है फिर समझौता कब हो गया?

श्री राजनारायण---आपकी पार्टी ने ही उस मुकदमे को दायर किया है।

श्री हरगोविन्द सिंह---पार्टी का जहर आपको ही लगा है। पार्टी का भूत ऐसा है जिसको आप अपने स्तर से समझते हैं और हर एक चीज को आप पार्टी की नजर से ही देखते हैं। मैं समझता हूं कि आपके अलावा दूसरा कोई इस नजर से उसको नहीं देख सकता है।

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी जरा बैठ जायं। एक प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री राजनारायण---श्रीमन, मैं माननीय मंत्री जी को टोकना नहीं चाहता था लेकिन माननीय मंत्री जी की कुछ ऐसी आदत हो गयी है कि वे बराबर "आप" शब्द को ही प्रयोग करते हैं जो कि पार्लियामेंट्री पद्धति के खिलाफ है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप माननीय मंत्री जी को हिदायत कर दें कि वे "आप" शब्द का प्रयोग न करके आपके जरिये ही भाषण करें।

श्री अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी अपना भाषण जारी रखें परन्तु मुझको ऐड्रेस करके मेरे द्वारा ही भाषण करें।

श्री जगन्नाथ मल्ल---श्रीमन, साढ़े तीन बज गये, समय खत्म हो गया।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मैं बहुत जल्दी ही खत्म भी करना चाहता हूं। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव किया गया है कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय वह निरर्थक है और मैं समझता हूं कि वह इस विधेयक को जहर देने की बात है और उसको मार डालने की बात है।

श्रीमन्, दूसरा प्रस्ताव जो प्रवर समिति में भेजने का है उसका भी मैं विरोध करता हूं, क्योंकि यह एक क्लाज का ही तो बिल है जिसमें केवल इतना ही है कि एक सम्मेलन बनेगा और एक इंटेरिम बोर्ड बनेगा और वह एक नियमावली बना देगा। उसमें कोई विवादग्रस्त बात नहीं है। और जितनी स्पीचेज यहां पर इस सम्बन्ध में हुई हैं, किसी पार्टी के सदस्य ने किसी धारा के ऊपर आक्षेप नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। तो इसलिये मैं समझता हूं कि इसको प्रवर समिति में न भेजा जाय। इन शब्दों के साथ जो संशोधन है मैं उसका विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि भवन भी इसका विरोध करेगा।

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६, को जनता की राय प्राप्त करने के लिये १ नवम्बर, १९५६ तक प्रसारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ एक प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट १ सितम्बर, १९५६ तक दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ व ३

परिभाषाएं। २---इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो,

(क) "अन्तरिम मंडल" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा ८ के अधीन स्थापित अन्तरिम मंडल से है;

(ख) "अन्तरिम काल" से तात्पर्य इस अधिनियम के प्रारम्भ होने और इसकी धारा १४ के उपबन्धों के अनुसार अन्तरिम मंडल के समाप्त होने के बीच के काल से है;

(ग) "नियमावली" से तात्पर्य धारा ७ के अधीन और उसके अनुसार निर्मित अथवा संशोधित नियमावली से है और उसमें धारा ११ के अधीन और अनुसार निर्मित नियमावली का भी अन्तर्भाव है;

(घ) "सम्मेलन" से तात्पर्य धारा ३ के अधीन संविहित हिन्दी साहित्य सम्मेलन से है;

(ङ) "स्थायी समिति" से तात्पर्य नियमावली के अनुसार संविहित स्थायी समिति से है।

सम्मेलन की स्थापना और निगमन। ३---(१) सम्मेलन के आदि सदस्य, इसके उपरान्त बनने वाले सदस्य, उस काल तक के लिये जब तक वे सदस्य बने रहें, और ऐसे निकाय जिन्हें सम्मेलन नियमावली के अनुसार अपने प्रयोजनों के लिये संविहित करे एतद्द्वारा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नाम से एक निगम निकाय के रूप में संविहित किये जाते हैं।

(२) सम्मेलन शाश्वत उत्तराधिकारशील होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से ही वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा एवं उस पर वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(३) सम्मेलन का प्रधान कार्यालय इलाहाबाद में होगा।

(४) सम्मेलन के आदि सदस्य होंगे--

(क) वे व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से ठीक पहले वाले दिनांक को सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६०, के अधीन निबद्ध हिन्दी साहित्य सम्मेलन के (जिसे आगे चलकर इस अधिनियम में "समाज" कहा जायगा) विशिष्ट सदस्य थे;

(ख) वे व्यक्ति जो पूर्वोक्त दिनांक को समाज के स्थायी सदस्य थे;

(ग) समाज के भूतपूर्व सभापति; और

(घ) वे व्यक्ति जो समाज द्वारा मंगलाप्रसाद पारितोषिक पा चुके हों।

श्री अधिष्ठाता--अब खंड २-३ पर कोई संशोधन नहीं है इसलिये मैं उन पर राय लिये लेता हूं।

श्री राजनारायण--मैं उनका विरोध करना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता--उन पर कोई संशोधन नहीं है, आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं।

श्री राजनारायण--अधिष्ठाता महोदय, खंड २ जो है उसमें आरम्भ में लिखा है कि "इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय या प्रसंग के प्रतिकूल न हो", तो जो इसमें आगे (क) है कि "अन्तरिम मंडल" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा ८ के अधीन स्थापित अन्तरिम मंडल से है; तो इस अन्तरिम मंडल की स्थापना कैसे होगी इसकी कठिनाई के सम्बन्ध में मुझे कहना है। अगर आप धारा ८ को देखें तो उसका अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जायगा कि उसमें कठिनाई है। खंड ८ यह है कि "निम्न-लिखित प्रयोजनों के लिए एक अन्तरिम मंडल स्थापित किया जायगा:--(क) प्रथम नियमावली बनाना" तो मैं जानना चाहता हूं कि वह नियमावली क्या बनावेंगे। मेरा सब से बड़ा विरोध यह है कि क्यों माननीय मंत्री जी ने बार-बार यह तर्क उपस्थित किया है कि नियमावली बनाने की बात को लेकर ही हिन्दी साहित्य सम्मेलन के २ दलों में विरोध रहा है और अब फिर वही बात सरकार भविष्य के लिए उन्हीं पर छोड़ रही है। मैं चाहता था कि अगर कोई नियमावली बनाने की बात है तो सुचारु रूप से उस काम को आगे बढ़ाने की बात हो और वह नियमावली पहले पूर्ण रूप से सदन के सामने आये, लेकिन इस बिल में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है।

श्री गणेशप्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)--प्वाइंट आफ आर्डर, मैं जानना चाहता हूं कि राजनारायण जी किस चीज पर बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--वह खंड २ पर बोल रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं।

श्री गणेशप्रसाद जायसवाल--वह तो उसी में खंड ८ का जिक्र कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--परिभाषा में जो "अन्तरिम मंडल" है उसी पर वह बोल रहे हैं, उसी का खंड ८ में भी जिक्र है।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वह जरा दूसरा पेज निकाल लें।

उस दूसरे खंड के (क) में यह लिखा हुआ है "अन्तरिम मंडल" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा ८ के अधीन स्थापित अन्तरिम मंडल से है। तो यह अन्तरिम मंडल क्या है, इसके लिये माननीय सदस्य पेज ५ निकाल लें और उसकी ८वीं धारा में अंतरिम मंडल दिया गया है कि अंतरिम मंडल स्थापित किया जायगा तो किस काम से स्थापित किया जायगा और उसके क्या कर्तव्य होंगे? निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक अंतरिम मंडल स्थापित किया जायगा, जिसके ये-ये कार्य होंगे। यह जो अंतरिम मंडल हो, किस काम के लिये, उस अंतरिम मंडल के क्या कर्तव्य होंगे इस बात को आगे चल कर दिया गया है। तो मेरा स्पष्ट कहना है कि अन्तरिम मंडल के संबन्ध में पूर्ण रूप से कोई न कोई व्यवस्था इस सरकार द्वारा होनी चाहिये कि अन्तरिम मंडल किस काम के लिये बन रहा है, बने तो कैसे बने? इसके अलावा वह धारा आयेगी तो सब से पहले जो हमारा विरोध है वह यही कि इस अंतरिम मंडल को हमें वह अधिकार नहीं देना चाहिये जो कि ऐसी नियमावली बनाये जिसके सम्बन्ध में हम फिर सदन में कोई चर्चा ही न कर सकें। तो हमारा यह कहना है कि अंतरिम मंडल अगर बने तो उसके कुछ कर्तव्य निर्धारित कर दिये जायं और आगे चलकर प्रत्येक उपखंड को लेकर हम अपनी सम्मति उसके सम्बन्ध में रक्खेंगे। इस समय यही कहना है कि अंतरिम मंडल बने तो उस अंतरिम मंडल के कर्तव्य निर्धारित करने के लिये ऐसा कर देना चाहिये कि जो उसके कार्य होंगे उन कार्यों को पुनः इस सदन में विचारार्थ उपस्थित किया जायगा और इस सदन की सम्मति की जब उन पर मोहर लग जायगी तब वह कार्य रूप में परिणित हो जायंगे।

(इस समय ३ बजकर ४० मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)—माननीय राजनारायण जी के भाषण का तात्पर्य मैं, अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से नहीं समझ सका हूं। जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, इन खंडों के ऊपर कोई संशोधन नहीं आया, लेकिन उनको शायद कुछ भ्रम हो गया कि अंतरिम मंडल अगर बन जायगा तो अंतरिम मंडल के जो कार्य रक्खे गये हैं खंड ८ में वे इतने विस्तृत हैं और उनका इतना फैलाव हो जायगा कि वह मालूम नहीं क्या कर डालें; तो वह पहले ही से उसमें कुछ जकड़बन्दी करना चाहते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिये मंडल बनेगा उनका स्पष्टीकरण खंड ८ में किया गया है उसको और कुछ रूपरेखा यहां निर्धारित कर दी जाय। श्रीमन्, मैं जो यहां बातें कही गयी हैं उनको दोहराना नहीं चाहता लेकिन जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है उसमें जहां तक मैं समझता हूं मेरी इस विषय में कुछ जानकारी भी है कि आपस का कुछ झगड़ा चल रहा है और कुछ पार्टी और दलबन्दी की बात है।

श्री जगन्नाथ मल्ल—प्वायंट आफ आर्डर। श्रीमन्, यहां धारा २ ली गई है और यह बहस जो चल रही है वह धारा ८ पर चल रही है कि अन्तरिम मंडल का मतलब क्या होगा। वह यहां डिफाइन है लेकिन बहस उसके कांस्टिट्यूशन पर चल रही है। मैं समझता हूं कि यह बिलकुल अवैधानिक है और महज धारा पर ही चलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—कोई संशोधन उपस्थित है?

श्री जगन्नाथ मल्ल— जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—फिर काहे पर बहस हो रही है?

श्री शिवनाथ काटजू—जिस वक्त राजनारायण जी ने यह प्रश्न उठाया कि खंड २ पर कोई संशोधन नहीं है लेकिन खंड २ का सम्बन्ध खंड ८ से है; इसलिये उनको

[श्री शिवनाथ काटजू]

कुछ भ्रम था उस भ्रम को उन्होंने यहां रक्खा। मेरे माननीय मित्र राजनारायण जी जब तक बोलते रहे तब तक अपने स्थान पर बैठे रहे और उन्होंने यह नहीं कहा कि वैधानिक बाधा है लेकिन जब राजनारायण जी को उत्तर देने के लिये मैं खड़ा हुआ तो उनके सामने वैधानिक संकट आ गया।

श्री अध्यक्ष—आप स्वयं क्या समझ रहे हैं?

श्री शिवनाथ काटजू— मैं तो जो राजनारायण जी ने प्रश्न उठाया उसका उत्तर दे रहा हूं।

यह वैधानिक नहीं है तो मैं अपना स्थान लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं या तो संशोधन होता कि वह हटा दिया जाय और अगर नहीं है तो मैं राय ले लूंगा और कुछ नहीं ।

प्रश्न यह है कि खंड २ और ३ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४–६

म्मेलन के देश्य ।

४—सम्मेलन के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

(१) हिन्दी भाषा, हिन्दी साहित्य और देवनगरी लिपि की भारत एवं विदेशों में अभिवृद्धि ,विकास तथा उन्नति के लिये कार्य करना ;

(२) हिन्दी साहित्य का सर्जन ,मुद्रण और प्रकाशन ;

(३) हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा परीक्षाओं की व्यवस्था करना और उपाधियां प्रदान करना;

(४) हिन्दी भाषा और साहित्य के शिक्षण के लिये विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं स्थापित करना और चलाना तथा अपनी परीक्षाओं के लिये विद्यालयों ,महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना ;

(५) हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि का उद्देश्य रखने वाली संस्थाओं को अपने से सम्बद्ध करना ;

(६) उत्कृष्ट हिन्दी सेवियों को मानद एवं अन्य उपाधियां तथा वाचस्पत्य पदवियां प्रदान करना ;

(७) हिन्दी के विशिष्ट साहित्यिकों को पारितोषिक प्रदान करना ;

(८) हिन्दी भाषा एवं साहित्य सम्बन्धी अनुसंधान की उन्नति करना और उसे प्रोत्साहन देना ;

(९) पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो अन्य उपाय आवश्यक और उपयुक्त प्रतीत हों उन्हें काम में लाना ;

वकार और त्य ।

५—सम्मेलन अपने कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन नियमावली के अनुसार करेगा ।

वकार और म्पत्ति का हित होना ।

६—(१) समाज इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिन समाप्त हो जायगा और कार्य करना बन्द कर देगा ।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ होते ही —

(क) वे समस्त अधिकार और वह समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति जो उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज की थी या उसमें निहित थी इस अधिनियम के अधीन स्थापित सम्मेलन की हो कर उसमें निहित हो जायगी ;

(ख) समाज के सभी ऋण और दायित्व सम्मेलन को संक्रान्त हो जायंगें और तदनन्तर उसके ही द्वारा पूर्वोक्त सम्पति से भरे और चुकाए जायंगें;

(ग) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व निष्पादित सभी प्रकार के करण, वसीयत, विलेख या लेख्य में, जिसके अन्तर्गत दित्सा, दान एवं न्यास वाले विलेख भी हैं, समाज के सम्बन्ध में हुए प्रत्येक उल्लेख का इस प्रकार अर्थ लगाया जायगा मानों वह उस अधिनियम द्वारा स्थापित सम्मेलन का ही उल्लेख हो;

(घ) उक्त प्रारम्भ के पूर्व समाज से सम्बद्ध सभी विद्यालय, महा-विद्यालय एवं अन्य संस्थाएं जब तक सम्मेलन द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाय पूर्ववर्ती निबन्धनों और शर्तों के साथ सम्मेलन से सम्बद्ध हो जायेंगे ।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित भाग (२–क) के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"(२–क) दूसरी भारतीय भाषाओं के मौलिक और आधारभूत साहित्य का हिन्दी में भाषान्तर करना ।"

इस खंड ४ में यह बताया गया है कि सम्मेलन का क्या-क्या कार्य होगा । तो मैं यह समझता हूं कि हिन्दी का जो हमारे संविधान में स्थान है और जो स्थान देने का हमारा लक्ष्य है उसके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि हिन्दी के भंडार को भरा जाय । आप जानते हैं कि हिन्दी के सम्बन्ध में जहां हम यह अनुभव करते हैं कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है जो कि हमारे देश की राष्ट्र भाषा या राज्य भाषा हो सकती है, वहां हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अन्य प्रान्तीय भाषाओं के आधार पर ऐसा विचार नहीं करते । इन थोड़े दिनों में भाषा के आधार पर देश में जो छोटा सा बवंडर उठाने का प्रयत्न किया गया, मैं समझता हूं उससे सदन के मेम्बरों को दुख होता होगा । तो प्रश्न यह है कि हिन्दी को अधिक से अधिक विस्तृत रूप दिया जाय । हिन्दी को अधिक से अधिक हम ऐसा रूप दें जो सभी लोगों को ग्राह्य हो । और मेरा खयाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हिन्दी को वह उपयुक्त स्थान प्राप्त हो जिसके वह पात्र है । उसके लिये अत्यन्त आवश्यक है कि उस भाषा में हम दूसरी विभिन्न भाषाओं के जो मौलिक साहित्य हैं, जो आधारभूत साहित्य हैं, उसको इस भाषा में लाकर इसके भंडार को हम भरें और उसको ऐसा रूप दें कि जो और प्रदेशों में भाषायें हैं उसमें वे अधिक से अधिक मानसिक भोजन हिन्दी में प्राप्त कर सकें ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत दिनों से इसका पक्षपाती रहा हूं कि हिन्दी भाषा में इस बात का प्रयत्न होना चाहिये कि उसमें दूसरी भाषाओं को समावेश करें । मैं एक बार एक कमेटी का संयोजक था और मुझे आवश्यकता इस बात की थी, उसके लिये जरूरत थी, कुछ गृह सूत्र देखने के सिलसिले में, उसकी कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की । लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि गृह सूत्र की शुद्ध प्रतिलिपियां जो थीं वह मुझे बताया गया, जर्मन भाषा में छपी हुई हैं और वहां से मंगा कर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

कार्य किया गया । मैं समझता हूं आज जब कि हमारा देश स्वतन्त्र हो गया है, जब हमारे देश के लिये यह आवश्यक है कि हमारा जितना साहित्य जो इधर उधर बिखरा हुआ है उसको एकत्र किया जाय और उसे हम अपनी भाषा में जिसे संविधान में अपनी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा मान चुके हैं उसमें हम अधिक से अधिक स्थान प्राप्त कराये और उसके लिये मेरा खयाल है कि उत्तर प्रदेशीय सम्मेलन को विशेष प्रयत्नशील होना चाहिये इसलिये मैं इस समय ज्यादा बड़ा भाषण नही देना चाहता, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि हमारा प्रयत्न यह होना चाहिये कि जिस भावना को लेकर यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है और मैं तो कहता हूं कि जो सज्जन इस विधेयक से कुछ मतभेद रखते हों वे भी हिन्दी भाषा की भावना से प्रेरित हो कर इस कार्य में आगे बढ़ें और हिन्दी को ऐसा रूप दें जिसकी आवश्यकता है । इसी भावना को ले कर मैंने यह छोटा सा संशोधन उपस्थित किया है और मैं समझता हूं, मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री हरगोविन्द सिंह––मुझे यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कार्य इसमें बताये गये हैं उसमें यह निहित है, उसमें यह आ जाता है और उसमें आ जाने के कारण अगर इस तरह से एक-एक चीज़ दोहराई जायगी तो सूची इतनी लम्बी हो सकती है जो शायद इस बिल के अन्दर भी न आये । इसलिये वह अगर उसके अन्दर निहित है, इसमें हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर यह स्पष्ट रूप से इस तरह से नहीं रखा जाता तो वह कार्य नहीं होगा, इसलिये मैं समझता हू कि विभव जी अपने इस संशोधन को वापस ले लेंगे ।

***श्री जगन्नाथ मल्ल**––मान्यवर, जो संशोधन विभव जी ने सदन के सम्मुख रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जो कहते हैं कि वह गया है, मैं तो नहीं समझता कि वह साफ-साफ तरीके से आ गया है लेकिन अगर विभव जी का संशोधन उसमें रख दिया जाता है तो इस विधेयक की शक्ल खराब नहीं होती है बल्कि एक सफाई हो जाती है और जो लोग इसमें ऐसा नहीं करेंगे उनको एक तरह से आज्ञा ही समझिये कि यह विधेयक आज्ञा दे देगा कि तुमको यह काम भी करना है । तो मैं नहीं समझता कि इसमें कौन सी दिक्कत बढ़ गयी है । अगर्चे व्यर्थ ही यह तय कर दिया है कि इसमें कोई संशोधन लाने की जरूरत नहीं है तो दूसरी बात है वरना यह सीधा-साधा संशोधन तो हिन्दी साहित्य की कोई खराबी करने वाला नहीं है, उसका अनिष्ट इससे होने वाला नहीं है बल्कि उसकी सेवा होने वाली है और बिलकुल साफ-साफ तरीके से वह विधेयक में आ जाता है । इसमें कोई हानि नहीं है । मैं फिर निवेदन करूंगा कि माननीय विभव जी के संशोधन को मंत्री जी मान लें ।

***श्री देवदत्त मिश्र**––श्रीमन्, मुझे यह खेद है कि मैं विभव जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं । ऐसा है कि आज जब भाषा विवाद की कटुता एक स्तर को पहुंची हुई है मुझे आश्चर्य होता है कि विभव जी जैसे एक सीधे व्यक्ति ने किस प्रकार से ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया ! इसका विरोध करना अपने को एक संकीर्णता पर लाना है लेकिन ऐसी बात नहीं है । यह फंडामेंटल्स का सवाल है । यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन है इसका कार्य है मौलिक दृष्टि से, मौलिक रूप से हिन्दी साहित्य के लिये कार्य करना । अनुवाद या और जो चीजें हैं इस प्रकार की, उनसे मेरा कोई विरोध नहीं है । मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक कार्य होना चाहिये और जितना अधिक इस प्रकार का कार्य हो वह हो उसके लिए नाना प्रकार की अन्य संस्थाएं होती हैं––राष्ट्रभाषा प्रसार के जरिये और दूसरे प्रकार से लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन जो है उसका कार्य अनिवार्य तौर से हिन्दी साहित्य की समृद्धि करना है । यह कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन का नहीं है । बहुत सी ऐसी हमारी भाषाएं हैं जैसे बंगाली, गुजराती और मराठी जिनको मैं स्वयं जानता हूं, मैं प्रशंसक हूं और मैंने कई अनुवाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किये हैं लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के जरिये हिन्दी भाषा में किसी दूसरे साहित्य का अनुवाद कराना यह मैं मौलिक दृष्टि से अप्रासंगिक और अनुचित समझता हूं, इसलिये मैं विभव जी के इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)---मान्यवर, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं माननीय देवकीनन्दन जी के संशोधन में एक छोटा सा संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि जो "दूसरी" शब्द है उसके आगे "विदेशी एवं" बढ़ा दिया जाय। तो इस प्रकार हो जायगा कि "दूसरी विदेशी एवं भारतीय भाषाओं के मौलिक और आधारभूत साहित्य का हिन्दी में भाषान्तर करना।"

श्री अध्यक्ष---किसी को आपत्ति तो नहीं है इस संशोधन के उपस्थित करने में ?

(किसी ने आपत्ति नहीं की ।)

श्री रामेश्वर लाल---मान्यवर, मुझे बडा दुःख हुआ जब मैंने माननीय देवदत्त जी का भाषण माननीय देवकीनन्दन विभव के इस संशोधन के विरोध में इस सदन में सुना । श्रीमन् आपने भी सुना होगा कि जो तर्क माननीय देवदत्त जी ने दिया मैं नहीं समझता कि सदन का कोई भी माननीय सदस्य उस तर्क से सहमत होगा ।

यदि हिन्दी भाषा का विकास करना है तो मेरी समझ में श्री देवदत्त जी के शब्द नहीं आये कि किस तरह से विकास होगा । मैंने जो विदेशी भाषाओं के बढ़ाने का संशोधन रखा है मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय विभव जी इसको स्वीकार करेंगे । श्रीमन्, सभी इसको जानते हैं कि आज तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रचारात्मक कार्य करता रहा है और यदि यह संशोधन मान लिया जाता है तो उसका रचनात्मक कार्य हो जायगा ।

यह सभी महसूस करते हैं अपने देश में और प्रांत में कि विदेशों में बहुत सी ऐसी भाषायें हैं जैसे अंग्रेजी है, उसका प्रचुर मात्रा में विकास हुआ है और विभिन्न प्रकार के विचार जो साहित्यिक तथा वैज्ञानिकों ने अंग्रेजी साहित्य में दिये है, उनकी जानकारी अंग्रेजी न पढ़े हुये लोगों को होना बड़ा मुश्किल हो जाती है । सिर्फ अपनी असमर्थता के कारण लोग उस ज्ञान से अवगत नहीं हो पाते हैं । यदि हम अपने देश में हिन्दी साहित्य का विकास देखना चाहते हैं और हिन्दीको राष्ट्र भाषा होने का समुचित आदर देना चाहते हैं तो हमारे लिये यह नितान्त आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के विचार जो अन्य भाषाओं में प्रगट किये गये हैं उनका समावेश अपनी भाषा में हो । उनका उल्था किया जाय, इसी भावना से प्रेरित होकर मैंने अपना संशोधन रखा है । अपने देश में तीन चार भाषायें ऐसी हैं जिनका काफी विकास हो गया है जैसे बंगला, मराठी और गुजराती आदि । उनका उल्था हुआ है जैसे देवदत्त जी ने कहा कि उन्होंने किया है । ऐसे लोग हमारे प्रांत में और हमारे देश में हैं जो अन्य अपने यहां की भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकों का उल्था कर सकते हैं । लेकिन विदेशी भाषाओं का हिन्दी में उल्था हो सकेगा यह बड़ा मुश्किल दिखाई देता है । इसलिये मैंने अपना संशोधन उपस्थित किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि विभव जी इसको स्वीकार करेंगे ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामेश्वर लाल जी और विभव जी के संशोधनों का विरोध करता हूं और मैं विरोध इसलिये करता हूं कि हमारा हिन्दी साहित्य स्वयं अपने दम पर खड़ा हुआ है । इसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है, यह किसी का आश्रित नहीं है । अगर हिन्दी भाषा में इतना दम न होता तो यह राष्ट्र भाषा घोषित नहीं हो सकती थी । आज हम कालीदास और तुलसीदास जैसे अपने यहां के ज्ञानियों की तौहीन समझते हैं ऐसी चीज रख कर ; हमारे यहां बड़े-बड़े विद्धान् हुये हैं जिन्होंने इससे प्रेरणा लेकर देश को ऊंचा उठाया है ।

हमारे सामने पालीवाल जी बैठे हुये हैं, जो हिन्दी के बड़े भारी सेवक रहे हैं । इसके अतिरिक्त हमारे यहां कालीदास, तुलसीदास, रामचन्द्र शुक्ल आदि बड़े-बड़े विद्धान् हुये हैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिवनारायण]

जिन्होंने देश को उंचा उठाया है और आज भी हमारे देश में ऐसे रत्न भरे हुये हैं जिन्होने अपने यहां के साहित्य को बहुत ऊंचा उठाया है। हिन्दी साहित्य किसी का आश्रित नहीं है। ऐसी चीज रखने से हमारे विद्वानों की तौहीन होती है कि हम उनके यहां से पूंजी लायेंगे। हमारे यहां पूंजी भरी पड़ी है। हमारा हिन्दी साहित्य ऊंचा है। इसका स्वयं का अपना अस्तित्व है, वह किसी के आश्रित नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, जैसा आपको भावना से मालूम हुआ इस पर विशेष वाद विवाद की आवश्यकता नहीं थी मगर जब माननीय शिवनारायण जी बोले तो मुझे यह भ्रम हुआ कि शायद इसी तरह से इस सदन के और सम्मानित सदस्यों का कुछ विचार न हो। जो संशोधन माननीय विभव जी ने रखा है और जो उसमें परिवर्धन किया है माननीय रामेश्वरलाल जी ने उसका कतई यह अर्थ नहीं होता कि उस संशोधन को मान लेने से कालीदास जी या तुलसीदास जी की तौहीन होगी। और इसको न मानने से यह भी नहीं होगा कि जायसी और रहीम की तौहीनी होगी। अगर कहा जाय तो कालीदास जी का अपना स्थान है, तुलसीदास जी का अपना स्थान है और अपने क्षेत्र में जायसी का भी स्थान है और रहीम का भी अपना स्थान है। तो इस तरह के भावों को यहां पर व्यक्त करके एक कटुता का वातावरण पैदा किया जाता है। माननीय सदस्य ने कानपुर में भी जिन भावों को व्यक्त किया था उनसे भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि क्यों विभव जी का संशोधन माना जाना नितांत आवश्यक हो गया है। यह सही है कि आज भाषा के सवाल को लेकर कटुता बढ़ रही है। बृटिश साम्राज्यशाही के जमाने में जो कटुता नहीं थी वह कटुता दक्षिण के इलाके में दिखलायी पड़ती है। जहां तक मेरी जानकारी है दक्षिण में १०,१५ और २० हजार आदमियों की मीटिंगों में हिन्दी का पुतला बना-बना कर जलाया गया और अभी जलाया जा रहा है। उनको यह भ्रम हो रहा है कि हिन्दी का साम्राज्यवाद फैलाया जा रहा है। इस भ्रम को मिटाने के लिये भी हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम उर्दू, अंग्रेजी साहित्य की जानकारी करें अपने देश के अन्दर जो प्रचलित भाषायें हैं उनकी जानकारी करें। और जब हम उनका अध्ययन करेंगे उनके मूल ग्रन्थों का हिन्दी साहित्य में अनुवाद करेंगे तो हमारी जो कटुता है वह बहुत कम हो जायगी। और हम यह समझने लगेंगे कि तमाम भाषायें जो प्रचलित हैं, जो उनका आदि साहित्य है, उसमें भी बहुत कुछ तथ्य है उसका सहयोग ले करके हम हिन्दी भाषा की उन्नति कर सकते हैं, हिन्दी साहित्य को विकास की ओर ले जा सकते हैं। पता नहीं कैसे शिवनारायणजी को या हमारे सम्मानित सदस्य कानपुर को यह भ्रम हो गया कि विभवजी के संशोधन को मान लेने से हिन्दी के प्राचीन लेखकों का अपमान हो जायगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि रामेश्वरलाल जी ने विभव जी के संशोधन में जो संशोधन रखा उन दोनों को मानते हुये यह सदन उसको स्वीकार करेगा।

*श्री देवकीनन्दन विभव---माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जो भाषण हुये वे मैंने सुने। मेरा ख्याल है कि रामेश्वरलाल जी ने जो सुझाव रखा कि विदेशी भाषाओं का भी इसमें हो तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि विदेशी भाषाओं का भी मौलिक साहित्य हिन्दी में रूपान्तर हो कर आये। लेकिन यह जरा प्रैक्टिकल नहीं मालूम होता। भारतीय भाषाओं का ही कार्य अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन कर ले तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा कार्य हो जायगा।

हां, एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। माननीय देवदत्त मिश्र जी एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं और हिन्दी साहित्य के बड़े अच्छे ज्ञाता है। मैं उनकी एक बात को नहीं समझ सका कि यह जो कार्य है वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन का क्यों नहीं है कि दूसरी भाषाओं से हम हिन्दी साहित्य में जो कमी है वह भी पूरी करें और साथ ही उसको एक ऐसा रूप दें कि वह तमाम दूसरे प्रदेशों को भी ग्राह्य हो। मैं नहीं समझता कि यह कार्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लक्ष्य के विरुद्ध है। शिवनारायण जी ने जो कुछ कहा उसकी तो मैं आवश्यकता नहीं समझता कि उसका कोई जबाब दिया जाय। हां, माननीय मंत्री जी ने यह कहा और मैं मानता हूं कि उपधारा ३(२) में उन्होंने जो लिखा है कि साहित्य का 'सर्जन' सर्जन---शायद गलत छपा है सृजन होना चाहिये--हिन्दी साहित्य का सृजन, मुद्रण और प्रकाशन, मेरा मतलब यह था कि इसमें वह कार्य तो आ सकता है लेकिन दूर से। यों तो जितने भी कार्य हैं उसमें यह भी आ सकता है लेकिन जो इस संशोधन का विशेष लक्ष्य है, जो यह विशिष्ट कार्य हिन्दी साहित्य का है उसकी तरफ ध्यान देना उसकी पूर्ति इससे नहीं होती। मैं वैसे इस संशोधन के लिये इस बिल को रोकना नहीं चाहता और यदि हमारे मन्त्री जी और दूसरे लोगों का विश्वास यह है कि इस संशोधन के न आने पर भी इस कार्य की पूर्ति हो जायगी तो मैं इस बात पर बहुत जोर भी नहीं दूंगा कि इसको रखा जाय ही लेकिन यह बहुत जरूरी है कि इस कार्य का जो विशेष लक्ष्य है मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री और दूसरे सज्जन जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं मेरा ख्याल है कि वे इस कार्य की पूर्ति कराने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविन्द सिंह---मैं तो कह चुका हूं कि जितने भी कार्य हैं वह सब इसमें जो सूची दी हुई है सम्मिलित हैं। अब एक-एक करके कार्यों को मैं गिनाना नहीं चाहता। इसलिए मैं फिर अपील करूंगा कि आप उसको वापस ले लें।

श्री देवकीनन्दन विभव---ऐसी परिस्थिति में अब मैं इसे प्रेस नहीं करना चाहता।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री राजनारायण---श्री रामेश्वलाल जी के संशोधन का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---मैं उसे रख देता हूं। अब मैं रामेश्वरलाल जी के संशोधन को पढ़ देता हूं। प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित भाग (२-क) के रूप में बढ़ा दिया जाय---

"(२-क) दूसरी विदेशी एवं भारतीय भाषाओं के मौलिक और आधारभूत साहित्य का हिन्दी में भाषान्तर करना।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४, ५ और ६ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७-९

७---(१) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियमावली। सम्मेलन नियमावली बना सकता है; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रथम नियमावली धारा ११ के उपबन्धों के अनुसार ही बनेगी।

(२) नियमावली में स्थायी समिति के, जो सम्मेलन का शासनिक निकाय होगी, संगठन और स्थापना की व्यवस्था रहेगी।

(३) पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता को बाधित न करते हुए, नियमावली में निम्नलिखित विषयों में से सभी या किसी के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्---

(क) सदस्यता से सम्बद्ध विषय, जिसके अन्तर्गत सम्मेलन के सदस्यों की पात्रता, विपात्रता, पदत्याग एवं सदस्यता-समाप्ति भी है;

(ख) स्थायी समिति के अधिकार और कृत्य;

(ग) सम्मेलन की समितियों एवं प्राधिकारियों के संगठन, स्थापना, अधिकार और कृत्यों से सम्बद्ध विषय;

(घ) स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के संगठन के लिए निर्वाचनों का संचालन और उक्त निर्वाचनों के अवसर पर या उनके सम्बन्ध में शंकाओं और विवादों का निर्णय;

(ङ) सम्मेलन की स्थायी समिति एवं नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के कर्तव्य-पालन, कृत्य-सम्पादन एवं अधिकार-प्रयोग की रीति और प्रक्रिया;

(च) सम्मेलन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निधि की स्थापना और संधारण;

(छ) खंड (च) में उल्लिखित निधि के विनियोग और उसमें से व्यय की रीति और प्रक्रिया;

(ज) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये लेखाबही तथा अन्य पंजी और विवरण रखने की प्रक्रिया और प्रपत्र;

(झ) सम्मेलन के वैतनिक सेवियों की नियुक्ति, नियन्त्रण एवं सेवा की अन्य शर्तें;

(ञ) सम्मेलन, स्थायी समिति तथा नियमावली में दी हुई अन्य समितियों और प्राधिकारियों के निमित्त एवं उनकी ओर से पत्र-व्यवहार, लेख्य-निष्पादन और संविदा;

(ट) सम्मेलन, स्थायी समिति, अन्य समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा एवं उनके विरुद्ध वादों और कार्यवाहियों का संचालन और अभियोजन;

(ठ) विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के सम्बद्ध किये जाने से सम्बद्ध विषय;

(ड) उपाधियों तथा वाचस्पत्य पदवियों के प्रदान से सम्बद्ध विषय;

(ढ) पारितोषिकों के प्रदान से सम्बद्ध विषय;

(ण) नियमावली के संशोधन की प्रक्रिया;

(त) सामान्यतया ऐसे अन्य विषय जिन्हें सम्मेलन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक समझे।

(४) सम्मेलन को अधिकार होगा कि नियमावली को, जिसके अन्तर्गत धारा ११ के अधीन बनी नियमावली भी होगी, उसमें विहित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर संशोधित करे।

(५) नियमावली एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों की एक प्रति नियमावली बनने और संशोधन होने के बाद यथाशीघ्र राज्य सरकार को भेजी जायगी।

अन्तरिम मंडल का संगठन।

८—(१) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये एक अन्तरिम मंडल स्थापित किया जायगा:—

(क) प्रथम नियमावली बनाना,

(ख) स्थायी समिति के लिए प्रथम निर्वाचन कराना,

(ग) अन्तरिम काल में सम्मेलन का कारबार चलना।

(२) अन्तरिम मंडल में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे —

(क) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक सभापति,

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामांकित एक मंत्री,

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामांकित ९ अन्य सदस्य।

(३) अन्तरिम मंडल राज्य सरकार द्वारा अपनी स्थापना सरकारी गजट में विज्ञपित किये जाने के दिन कार्यभार ग्रहण कर लेगा।

(४) अन्तरिम मंडल की बैठकों के लिये गणपूर्ति ३ सदस्यों की होगी।

(५) मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य किसी कारण से अन्तरिम मंडल के किसी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाने पर मंडल के अन्य सदस्य उक्त स्थान की पूर्ति आमेलन द्वारा करेंगे, किन्तु अन्तरिम मंडल द्वारा किया गया कोई कार्य या पारित कोई प्रस्ताव उक्त कार्य किये जाने या प्रस्ताव पारित होने के समय ऐसी किसी रिक्ति के अपूरित रह जाने के कारण असाधु नहीं समझा जायगा।

(६) अन्तरिम मण्डल के सभी निर्णय मंडल की बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के अनुसार होंगे।

९—इस अधिनियम की धारा ७ या अन्य किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, अन्तरिम मंडल की स्थापना के दिनांक से ही उस पर सम्मेलन के कारबार के प्रबन्ध, नियन्त्रण और प्रशासन का भार होगा और वह उक्त दिनांक को ही सम्मेलन की समस्त सम्पत्ति, जिसमें धारा ६ के अधीन सम्मेलन में निहित निधि और सम्पत्ति भी होगी, अपने अधिकार में ले लेगा। — अंतरिम मंडल का सम्मेलन एवं उसकी संपत्तिके प्रबंध का भार ग्रहण करना।

श्री अध्यक्ष—साढ़े चार बजे तक खत्म होना है इस लिये थोड़े-थोड़े शब्दों में संशोधन उपस्थित हो जायें तो अच्छा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ७ के उपखंड (२) में नया प्रतिबन्ध निम्नरूप से जोड़ दिया जाय:—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्थायी समिति के पदेन सदस्यों में कम से कम एक चौथाई संख्या सम्मेलन के स्नातकों के प्रतिनिधियों की होगी।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि समय कम है और मेरा कोई मंशा इस विधेयक के मार्ग में अड़ंगा लगाने का नहीं था और न है। आप को याद होगा कि मैंने यह कहा था कि यह विधेयक अगर सर्वसम्मति से पास हो जाय तो बेहतर होगा और इस सम्बन्ध में वादविवाद न हो इसके लिये मैंने यह प्रस्ताव किया था कि प्रवर समिति को सुपुर्द करने को ९ दिन या आज से ८ दिन थे उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय तो अधिक वादविवाद भी नहीं होगा लेकिन दुर्योधनी दुराग्रह के सामने वह मेरी प्रार्थना अस्वीकार हुई और मेरे ऊपर यह आक्षेप लगाया गया कि गत्य वरोध को मैं दूर नहीं करने देना चाहता और मैं अड़ंगा लगा रहा हूं और मैं इसका गला घोंट रहा हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि जो सरकार मई में इस विधेयक को लाकर फिर उसको वापस ले और फिर मई, जून और जुलाई तीन महीने तक उसे न पेश करे वह अड़ंगा लगाती है या मैं ८ या ९ दिन के लिये उसे प्रवर समिति में भेज कर जिससे सर्वसम्मति से पास करने का प्रस्ताव रख कर के अड़ंगे लगा रहा हूं। मैं यह कहता हूं कि यह आक्षेप मेरे ऊपर लागू नहीं होता बल्कि वह दूसरी ओर लागू होता है। जैसा मैंने कहा उस के प्रमाण मौजूद हैं।

[श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल]

दूसरी बात मैं यह भी कह सकता हूं कि उस अधिवेशन में, मई में वापस लेने के बाद, १३, १४ जुलाई को जब यह सत्र प्रारम्भ हुआ था उस समय यह क्यों नहीं लाया गया ? अगस्त में क्यों नहीं लाया गया ? यह कल ही क्यों लाया गया और फिर कौन सी ऐसी बात हो गई कि जिसके कारण गंगा जी में ऐसी बाढ़ आ जाती कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन का भवन डूब जाता। अगर इसको आठ और नौ दिन तक प्रवर समिति में भेज कर, इस पर विचार करने दिया जाता और यह सर्वसम्मति से पास हो जाता तो क्या गजब हो जाता ? इन तमाम बातों को छोड़ कर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि यह संशोधन भी मैंने इसलिये रखा है कि गत्यावरोध न रहे, झगड़ों का अंत हो जाय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की समुन्नति हो। मेरा यह निश्चित मत है जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कि जिस तरह से यह विधेयक लाया गया है और जिस रूप में असंशोधित यह विधेयक पास किया जा रहा है उससे हिन्दी साहित्य सम्मेलन की समुन्नति नहीं होगा, उससे हिन्दी साहित्य सम्मेलन को हानि पहुंचेगी। उससे गत्यवरोध दूर नहीं होगा, उससे झगड़े दूर नहीं होंगे, बल्कि झगड़े बढ़ेंगे। सवाल बहुत साफ़ है और वह यह कि जब तक झगड़ों के कारणों को दूर न किया जायगा, जब तक झगड़ों की जड़ को दूर न किया जायगा तब तक केवल यह कह देने से कि हम झगड़े दूर करना चाहते हैं, झगड़े दूर नहीं किये जा सकते। इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि झगड़े हैं, इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि झगड़े दूर होने चाहिये, इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि झगड़े शीघ्र से शीघ्र दूर किये जाने चाहिये, लेकिन इस बात में मतभेद है कि झगड़े दूर करने का जो तरीका इस विधेयक में रखा गया है उससे झगड़े बढ़ेंगे। मेरा कहना यह है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रति देश के विभिन्न वर्गों में बहुत ही असंतोष है। महात्मा गांधी ने.....

श्री देवदत्त मिश्र—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। इस अमेंडमेंट पर न बोल कर आप जनरल बातों पर जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नहीं, वह अमेंडमेंट पर ही बोल रहे हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—मैं अमेंडमेंट के सिलसिले में कह रहा था कि झगड़े दूर होने चाहिये और इसलिये मैं वह बात कह रहा था, लेकिन कुछ लोगों को सही बातें अच्छी नहीं लगती हैं, बुरी लगती हैं इसलिये वे इस प्रकार आपत्ति करने खड़े हो जाते हैं।

मैं यह कह रहा था कि झगड़े का कारण दूर किया जाना चाहिये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रति जो असंतोष विभिन्न क्षेत्रों में पैदा हो रहा है उसे दूर करके ही हम हिन्दी साहित्य सम्मेलन को समुन्नत कर सकते हैं। मैं थोड़ी बहुत बातें आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति महात्मा गांधी ने कायम की, क्योंकि वह हिन्दी साहित्य सम्मेलन की गतिविधि से वे सहमत नहीं थे। इसी तरह से अभी यह जिक्र हुआ था और-और बातों का, उन तमाम बातों को जाने दीजिये जिनकी ओर संकेत अभी हमारे कुछ सदस्यों ने किया, लेकिन दक्षिण में जिस तरह से हिन्दी का विरोध हो रहा है अगर हम उन बातों की उपेक्षा करेंगे और हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रति और हिन्दी के प्रति असंतोष को बढ़ते रहने देंगे तो उस से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की वृद्धि नहीं होगी, उसकी समुन्नति नहीं होगी। उसको और हानि पहुंचेगी।

मैंने यह जो छोटा सा संशोधन इसमें पेश किया है, स्नातकों को कम से कम चौथाई प्रतिनिधित्व देने के लिये स्थायी समिति में, इससे यह सही है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्नातकों में जो असंतोष है वह दूर हो जायगा। कम से कम वह तो इसके विरोधी नहीं रहेंगे और मैं इतना और निवेदन कर दूं कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्नातकों के साथ बराबर अन्याय हो रहा है। हमारे लोक सेवा आयोग में, पब्लिक सर्विस कमीशन में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्नातकों को वह अधिकार नहीं दिया गया है जो औरों को है ताकि वे पी० सी० यस० आदि की परीक्षाओं में

बैठ सकें। संस्कृत के शास्त्री की परीक्षा पास व्यक्तियों को यह अधिकार प्राप्त है, वह बी० ए० के समान मान लिये गये हैं लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्नातक को वही अधिकार प्राप्त नहीं है। "जमाते मिल्लया" के स्नातक को जो अधिकार प्राप्त हैं वह भी इसके स्नातकों को नहीं हैं। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि क्या यह पार्टीबन्दी नहीं है? जब तक हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्नातकों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह दूर न हो जाय तब तक यह आशा करना कि सम्मेलन की समुन्नति हो जाय, दुराशा मात्र है। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि कम से कम इतना तो कर दीजिये कि जिससे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के स्नातकों का असंतोष दूर हो जाय। दूसरी पार्टियों की आप उपेक्षा कर दीजिये, जनता की उपेक्षा कर दीजिये, सब बातों को छोड़ दीजिये, लेकिन बेचारे स्नातकों के साथ तो इतना न्याय कर दीजिये। इन शब्दों के साथ मैं इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि वे मेरे इस संशोधन को स्वीकार करें।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं इसलिये कि मैं यह नहीं चाहता कि जो इन्टेरिम बोर्ड बने उसमें हम उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित करें या उनको यह बतावें कि स्नातकों की संख्या इतनी होगी और उसके सदस्य इतने होंगे। वह सब इन्टेरिम बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसके अलावा दूसरी बातों के सम्बन्ध में जो पालीवाल जी ने कहा मैं समझता हूं उसका उत्तर न देना ही अच्छा है। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ फिर इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***श्री जगन्नाथ मल्ल**—श्रीमन्, जो संशोधन सदन के सम्मुख उपस्थित है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक मैंने माननीय मंत्री जी की बात को सुना मुझे ऐसा लगा कि आप यह कह रहे थे कि यह जो इन्टेरिम बोर्ड बनेगा, उसमें कितने स्नातक रहेंगे, इसको वह करना नहीं चाहते। यह मतलब उन्होंने इस संशोधन का लगाया। मैं समझता हूं कि शायद कुछ कागजों में फंसे रहने के कारण उन्होंने इसको ठीक से समझा नहीं यह तो जहां पर नियमावली का जिकर आता है वहां पर संशोधन किया जा रहा है। जहां पर यह है कि "नियमावली में स्थायी समिति के, जो सम्मेलन का शासनिक निकाय होगी संगठन और स्थापना की व्यवस्था रहेगी", इसके बाद वह चाहते हैं कि यह संशोधन जोड़ दिया जाय ताकि वह नियमावली बनती है तो उनके लिये लाजिमी हो कि इस तरह की नियमावली बनायी जाय। यह तो बिलकुल साफ संशोधन है जिसमें कहा गया है कि इस तरह से व्यवस्था की जाय। आप देखेंगे कि आगरा का या दूसरे जितने भी ऐक्ट हैं इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर के सब में रजिस्टर्ड ग्रेजुएट रखा गया है। जब हर एक जगह यह है तो क्या वजह है कि यहां पर न रखा जाय। बल्कि कुछ जगहों का तो ऐक्ट में ही अधिकार स्टेट्यूट्स बनाने का ले लिया है। उसी तरह से यहां के लिये भी रजिस्टर्ड ग्रेजुएट की बात को रखा जाय। इसको स्वीकार करने से वहां के झगड़े दूर हो जायंगे और यही चीज वहां के झगड़े की जड़ है। मेरी भी कई आदमियों से बातचीत हुई है। मैं यह समझता हूं कि दोनों पार्टीज के लोगों में कोई झंझट नहीं है। अगर यह तय हो जाय तो दोनों पार्टी ठीक हो जायंगी और सारा झगड़ा खत्म हो जायगा। खाली एक ऐक्ट को बना देने से झगड़ा खत्म नहीं होगा। जब तक ठीक रास्ता नहीं निकाला जायगा तब तक वहां का झगड़ा समाप्त होने वाला नहीं है। वहां पर ऐसा नहीं होना चाहिये कि एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहे कि हमने ऐक्ट बनवा कर तुमको खत्म कर दिया है। वह भावना राजनीति के अखाड़े में तो ठीक है लेकिन हिन्दी साहित्य सम्मेलन जैसी संस्था में यह चीज नहीं होनी चाहिये क्योंकि वह साहित्य की सेवा करने वाली संस्था है। जो हिन्दी की सेवा करने वाले लोग हैं उनमें अगर इस तरह की भावना आयेगी तो मन्त्री जी एक नहीं १० ऐक्ट इस तरह के बना लें तब भी वहां का झगड़ा समाप्त नहीं होगा और हिन्दी साहित्य की सेवा नहीं हो सकेगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगन्नाथ मल्ल]

इसलिये मैं यह समझता हूं कि पालीवाल जी का संशोधन बहुत माकूल और उचित संशोधन है। इसी सदन में जितने ऐक्ट इस तरह के बने हैं उन सब में यह प्राविजन किया गया है तो फिर कोई वजह नहीं है कि इसमें यह न रखा जाय। मैं माननीय मंत्री जी से और सदन से निवेदन करूंगा कि यदि वह चाहते हैं कि वहां का झगड़ा समाप्त किया जाय और हिन्दी साहित्य की जो लोग सेवा करने वाले हैं वह ठीक से सेवा करें तो इसको मान लेना चाहिये और अगर्चे वह यह चाहते हैं कि इसी तरह से पार्टीबाजी वहां पर होती रहे तो जैसी उनकी खुशी हो करें यह सदन झूठमूठ उन लोगों के झगड़े के कारण अपना समय बरबाद करता रहे, तो ठीक है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि पालीवाल जी के संशोधन को स्वीकार किया जाय।

*श्री देवदत्त मिश्र---श्रीमन्, वैसे तो पालीवाल जी के प्रस्ताव से मैं मूलतया सहमत हूं। स्नातकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। स्थिति के सम्बन्ध में भी जो कुछ उन्होंने कहा उससे भी मैं सहमत हूं। लेकिन व्यावहारिक कठिनाइयां हैं कि स्नातकों की संख्या मालूम नहीं है। यूनिवर्सिटियों में ग्रेजुएट्स रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन यहां कोई साहित्य रत्न या विशारद रजिस्टर्ड न होने के कारण कोई भी कहेगा कि हम साहित्य रत्न या विशारद हैं। इसलिये इस संशोधन को मानने से यही झगड़े का एक कारण हो जायगा। इन्टेरिम बोर्ड अगर परम्परा को मानेगा तो मेरा ख्याल है कि पालीवाल जी इस बात को जानते होंगे कि एक समय था जब कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन स्नातकों का प्रतिनिधित्व कुछ हद तक था। तो वह ऐसा क्यों समझते हैं कि उस परम्परा को ध्यान में नहीं रखा जायगा नियमावली बनाते समय? जिसमें ठीक प्रतिनिधित्व नहीं हो सके उस बात को नहीं रखना चाहिये। जो कठिनाइयां वह चाहते हैं कि दूर हों वही उनके संशोधन से बढ़ेंगे, इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसका जवाब देने की जरूरत हो क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है। देवदत्त जी मिश्र ने जो कहा कि स्नातक रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो मेरी सूचना है कि वे रजिस्टर्ड हैं और उनकी बताई हुई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सूचना के अभाव में उनको जो आपत्ति थी दूर हो जायगी और वह इस संशोधन का समर्थन करेंगे। मैं जानता हूं कि नियमावली न बनने का एक कारण यह भी है कि एक पक्ष को यह मान्य नहीं था कि स्नातकों का प्रतिनिधित्व रहे। झगड़े का मूल कारण भी यही है। मेरे पास टाइप किया हुआ वक्तव्य मौजूद है जिसमें झगड़े का मूल कारण ही बताया गया है और सरकार से भी उनके शिष्ट मंडल ने यही कहा है कि इस बात का प्रबन्ध कर दिया जाय तो यह असन्तोष दूर हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं सदन से फिर प्रार्थना करता हूं कि अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सेवा करनी है और सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करना है तो इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, यह संशोधन ऐसा नहीं था जिस पर मैं सदन का और समय लेता लेकिन पालीवाल जी के कहने से और मुझे भी जहां तक जानकारी है शायद झगड़े की मूल जड़ यही है। तो अगर यह बात सत्य है तो इस तरह से उसको लाकर झगड़े को खत्म किया जाय या उस झगड़े की आग में इस तरह से लकड़ी डाली जाय।

मल्ल जी ने यह कहा कि और विधेयकों में यह है। और विधेयकों से उनका मतलब यूनिवर्सिटी ऐक्ट से है। उसमें यह निश्चित होता है कि कोर्ट कितने का होगा, कितने उसमें टीचर्स होंगे, कितने नानटीचर्स होंगे, कितने डोनर्स होंगे और कितने रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होंगे। यह सब निश्चित होता है। यह यूनिवर्सिटी ऐक्ट में है एक ऐक्ट में ऐसा निश्चित हो तो हर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐक्ट में उसी प्रकार से हो यह दलील मेरी समझ में नहीं आयी। जैसा मैंने पहले कहा यह एक छोटा सा विधेयक है उसमें सिर्फ यह है कि उसमें एक कमेटी बनायी जायगी, वह कमेटी उस नियमावली को बनायेगी और उस नियमावली में कितना प्रतिनिधित्व किस को मिलेगा यह होगा लेकिन स्नातकों की जरूर इतनी संख्या होगी यही झगड़े की जड़ है। मैं समझता हूं इससे झगड़ा औ सुलझेगा नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ेगा। पालीवाल जी ने जो चेतावनी दी उसका अर्थ केवल यह होगा और उनकी सेवा का अर्थ यही है कि वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के झगड़े को बंद नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ के उपखंड (२) में नया प्रतिबंध निम्न रूप से जोड़ दिया जाय—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि स्थायी समिति के पदेन सदस्यों में कम से कम एक चौथायी संख्या सम्मेलन के स्नातकों के प्रतिनिधियों की होगी।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७, ८ और ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजनारायण—अध्यक्ष महोदय, मैं ८-९ का विरोध करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—आपने उसका नोटिस नहीं दिया था। इस खंड के ऊपर "इसको विधेयक से निकाल दिया जाय" ऐसा भी कोई संशोधन नहीं था। अगर आपको विरोध करना था तो ऐसा संशोधन देना चाहिये था।

खंड १०—१६

आदि सदस्यों की सूची।

१०—(१) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से ३० दिन के भीतर, यदि राज्य सरकार कोई अनुदेश दे तो उनका पालन करते हुये, धारा ३ के अर्थ में सम्मेलन के आदि सदस्य समझे जाने वाले समस्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करायेगा।

(२) सूची ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय।

(३) यदि उपधारा २ के अधीन आदि सदस्यों की सूची प्रकाशित होने के पश्चात् किसी समय, अन्तरिम मंडल को यह प्रतीत हो कि त्रुटि से किसी व्यक्ति का नाम सूची में अंकित होने से रह गया है या सूची में अंकित हो गया है तो उसे अधिकार होगा कि वह उस नाम को उक्त सूची में अंकित कर दे या उसमें से निकाल दे और ऐसा नाम ऐसी रीति से जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाय प्रकाशित कर दिया जायगा। जहां किसी व्यक्ति का नाम पूर्वोक्त रीति से अंकित किया जाय वहां ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में सर्व प्रकार से यह समझा जायगा कि उसका नाम सूची में उसके उपधारा १ के अधीन तैयार होने के समय से ही रहा है।

(४) इस धारा के अधीन तैयार की गयी सूची में जिन व्यक्तियों के नाम होंगे उनके अतिरिक्त और कोई व्यक्ति धारा ३ के अर्थ में सम्मेलन का आदि सदस्य नहीं समझा जायगा।

(५) न्यायालय उक्त सूची की वैचारिक अवेक्षा करेगा और उसे इस बात का निश्चायक प्रमाण मानेगा कि उसमें नामोल्लिखित व्यक्ति सम्मेलन के आदि सदस्य हैं।

प्रथम नियमावली का निर्माण।

११—(१) अन्तरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से ४ मास के भीतर धारा ७ में विनिर्दिष्ट विषयों में से सब या किसी के विषय में प्रथम नियमावली बनायेगा।

(२) उपधारा १ के अधीन बनायी जाने वाली प्रस्तावित नियमावली का एक आलेख्य राज्य सरकार के पास उसके अनुमोदन के लिये भेजा जायगा।

(३) राज्य सरकार आलेख्य पाने के बाद यथाशीघ्र उस पर विचार करेगी और उसे अधिकार होगा कि वह उसे बिना किसी परिष्करण के या परिष्करणों के साथ अनुमोदित कर ले।

(४) नियमावली जिस रूप में राज्य सरकार उसे अनुमोदित करे अन्तरिम मंडल द्वारा ऐसी रीति से प्रकाशित कर दी जायगी जो राज्य सरकार विहित करे।

अन्तरिम मंडल द्वारा स्थायी समिति का संगठन।

१२—अंतरिम मंडल अपनी स्थापना के दिनांक से छः मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई हुयी अवधि के भीतर जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर दे नियमावली के उपबन्धों के अनुसार स्थायी समिति का प्रथम निर्वाचन कराने की व्यवस्था करेगा और ऐसे सब उपाय काम में लायेगा जो पूर्वोक्त रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर स्थायी समिति के यथोचित् संगठन और स्थापना के लिये आवश्यक हों।

अन्तरिम मंडल के अधिकार।

१३—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त एवं उन्हें बाधित न करते हुये, अन्तरिम मंडल अन्तरिम काल में सम्मेलन के निमित्त और उसकी ओर से आगे विनिर्दिष्ट अधिकारों का प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन एवं कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(क) सम्मेलन द्वारा प्राप्य सभी भाड़े, लगान एवं अन्य देय वसूल करना और सम्मेलन को दी गयी सहायतायें, दान, चन्दे, परीक्षा एवं इतर शुल्क तथा अन्य सभी धन प्राप्त करना;

(ख) अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये उसे अपनी समझ से जो-जो व्यय आवश्यक प्रतीत हों उन्हें सम्मेलन की निधियों में से करना या करने की अनुज्ञा देना;

(ग) ऐसे सभी बैंकों एवं अन्य स्थानों में जहां सम्मेलन का हिसाब हो वहां रुपया निकालना, पैठालना और इस प्रयोजन के लिये अपने सदस्यों में से एक या अधिक पदाधिकारियों को ऐसे सब हिसाबों के रुपया निकालने, पैठालने और विपत्रों, चिकों, रसीदों एवं अन्य ऐसे लेख्यों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देना जिन पर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अन्तरिम मंडल को हस्ताक्षर करना हो या जिनका उसे निष्पादन करना हो।

(घ) इस अधिनियम के अधीन सौंपे गये अधिकारों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन के लिये अभिकर्ता, कार्यपालक या सेवी नियुक्त करना और जैसी आवश्यकता प्रतीत हो उन्हें, अन्तरिम मंडल की ओर से अन्तरिमकाल में वाद या प्रतिवाद प्रस्तुत करने अथवा अन्य कार्य करने का अधिकार देना ।

(ङ) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्तव्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में उपविधि बनाना ।

(च) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये उन समस्त कार्यों को करना जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

प्रशासन और सम्पत्ति का हस्तान्तरण ।

१४—धारा ७ की उपधारा २ में उल्लिखित स्थायी समिति की स्थापना से १५ दिन के भीतर अन्तरिम मंडल सम्मेलन का प्रशासन और प्रबंध एवं उसकी सभी सम्पत्ति और निधि स्थायी समिति को हस्तान्तरित कर देगा, तदन्तर स्थायी समिति नियमावली के अधीन उसे सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेंगी और उक्त १५ दिन की अवधि की समाप्ति के दिनांक तथा पूर्वोक्त उक्त रीति से प्रशासनादि के हस्तांतरण के दिनांक में से जो पूर्ववर्ती होगा उस दिनांक को अन्तरिम मंडल समाप्त और विघटित हो जायगा ।

वादों और कार्यवाहियों का उपशमन ।

१५—समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, ऐसे सब वाद, जिनका सम्बन्ध किसी ऐसे विवाद से हो जो समाज के संविधान और कार्य संचालन के विषय में हो और जिसमें समाज पक्षकार हो, चाहे वे मूल न्यायालय में चल रहे हों चाहे अपील या पुनरीक्षण न्यायालय में, ऐसे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को उपशांत हो जायेंगे और उनके सम्बन्ध में हुयी सब कार्यवाहियां प्रत्याहृत हो जायंगी ।

कठिनाइयों को दूर करने के लिये राज्य सरकार के अधिकार ।

१६—राज्य सरकार को अधिकार होगा कि कठिनाइयों को विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को जिनका सम्बन्ध अन्तरिम मंडल की स्थापना प्रथम नियमावली के निर्माण या सम्मेलन अथवा प्रथम स्थायी समिति की स्थापना से हो, दूर करने के प्रयोजन के लिये राजाज्ञा द्वारा यह आदेश दे कि यह अधिनियम राजाज्ञा में विनिर्दिष्ट अवधि में उसके द्वारा आवश्यक और उचित समझे जाने वाले अनुकूलनों के साथ ही, जो परिष्करण, परिवर्द्धन या अपवर्तन में से किसी भी रूप में हों, सप्रभाव होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १०, ११, १२, १३, १४, १५ और १६ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

हिन्दी साहित्य सम्मेलन को पुनः संघटित एवं पुनःसंविहित करने के लिये विधेयक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का निगमन सन् १९११ ई० में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० (१८६० का अधिनियम संख्या २१) के अधीन हुआ था ;

अब उसे पुनः संघटित और पुनः संविहित करना उचित है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के इस सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (पुनःसंघटन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) यह राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में इस निमित्त विज्ञापित दिनांक को प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंगमाने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर सीताराम)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ पारित किया जाय ।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और विरोध करने का कारण स्पष्ट है क्योंकि जिस रूप में यह विधेयक लाया गया है उस रूप में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सेवा नहीं हो पायेगी, सतत् प्रयत्न करते हुये भी । माननीय पालीवाल जी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया कि स्थायी समिति में स्नातकों के लिये गुंजाइश रहनी चाहिये, मुझे अफसोस है कि सरकार ने उसको भी नहीं माना तो फिर आप स्वयं ही समझ सकते हैं कि इस विधेयक से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की सेवा किस प्रकार से हो सकती है । और मैं इस मत का भी हूं कि यह विधेयक अगर इस रूप में पास होकर कानून की शक्ल लेगा तो हिन्दी साहित्य का झगड़ा बढ़ेगा, क्योंकि मेरी भी बड़ी जानकारी है । इस समय जो वाराणसी का ग्रूप है और दूसरी जगहों के जो हिन्दी प्रेमी हैं उनका जो ग्रूप है और जो बराबर हिन्दी साहित्य की सेवा करते रहे हैं, जैसे श्री विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र हैं, श्री जगन्नाथ प्रसाद जी मिश्र हैं.....

श्री अध्यक्ष—आप इन चीजों में न लावें । आप नाम ले रहे हैं ।

श्री राजनारायण—प्रसंग के लिये मैं कह रहा हूं, वह चीज आ गयी थी क्योंकि पालीवाल जी ने मंत्रियों का जिक्र कर दिया था । और यह सारा झगड़ा तो श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को लेकर ही हुआ क्योंकि उस समय दो मंत्री थे, वे भी मंत्री थे और उन्हीं के मंत्री होने पर रिसीवर की नियुक्ति के लिये प्रार्थना की गयी । इसलिये मैं कहता हूं कि जब इस विधेयक के सम्बन्ध में जो हिन्दी के साहित्यकार हैं और जो हिन्दी साहित्य की उन्नति करना चाहते हैं और जो आज भी कर रहे हैं, ऐसे लोग लखनऊ में भी हैं, वे माननीय शिक्षा मंत्री जी से अवश्य मिले होंगे और दूसरे संबंधित मंत्रियों से भी मिले होंगे, उन सब का यह एक मत है कि जिस रूप में यह विधेयक है इससे हिन्दी का अनिष्ट होगा, हिन्दी की प्रगति में बाधा होगी, उसमें रुकावट होगी। इसलिये मैं कहता हूं कि जिस रूप में यह विधेयक है इस रूप से हिन्दी साहित्य की सेवा नहीं होगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी की मनमानी जरूर चल जायगी । उनकी तानाशाही जरूर चल

जायगी और माननीय शिक्षामंत्री जी हिन्दी भाषा से जो अगाध प्रेम रखते हैं वह अगाध प्रेम आगे चलकर हिन्दी साहित्य को मिटाने का काम जरूर करेगा। इसलिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक को इस रूप में पास न करें और यदि कोई विधेयक पास ही करना है तो इसकी जगह एक दूसरा विधेयक लावें ।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, मुझे तो भवन के उन श्रद्धेय सदस्यों के साथ रहना चाहिये जो माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इस विधेयक के द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवा हो जायगी, बजाय इसके कि मैं श्री राजनारायण जी और पालीवाल जी के साथ जाऊं । मैं समझता हूं कि इतने सदस्यों का साथ छोड़ कर उनके साथ जाने में ही हिन्दी का सबसे बड़ा अनिष्ट होगा। इसलिये मैं भवन के माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इस विधेयक जो पारित करें।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक, १९५६ पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, आगरा यूनिवर्सिटी (अमेंडमेंट) ऐक्ट जो यहां से पास हुआ था उसके अन्तर्गत सरकार को यह अधिकार था कि वह प्रथम स्टेट्यूट बनावे और लिहाजा वह प्रथम स्टेट्यूट बना और उनके अनुकूल काम होने लगा। उस स्टेट्यूट में यह था कि कोई स्नातक आगरा विश्वविद्यालय से प्राइवेट साइंस के सब्जेक्ट में नहीं बैठ सकता है । उसके पहले आगरा विश्वविद्यालय के कानून के अन्तर्गत कोई आदमी प्राइवेट साइंस सब्जेक्ट से बी० ए०, एम० ए० परीक्षा दे सकता था बशर्ते कि उसके पास कोई सर्टीफिकेट इस बात का हो कि उसने किसी लेबोरेटरी में काम किया है, यह व्यवस्था असंतोषजनक थी। इसलिये कि साइंस सब्जेक्ट में बिना पढ़े हुये एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह से प्राइवेट विद्यार्थी को इम्तिहान देने की सुविधा ठीक नहीं थी। इसलिये पहले के स्टेट्यूट की बिना पर उसमें ऐसा प्रबंध किया गया कि प्राइवेट साइंस में कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन जिस कानून के अन्तर्गत स्टेट्यूट बना था वह मुकदमा जब हाई कोर्ट में गया तो ऐसा मालूम हुआ कि शायद वह सन्देहात्मक है लिहाजा चूंकि स्टेट्यूट बना था और उन्हीं स्टेट्यूट के अन्दर काम हो रहा था और अभी काम हो रहा है इसलिये यह संशोधन केवल यही है कि जो स्टेट्यूट बना है और जिसके अन्तर्गत काम हो रहा है वह होता रहे। उसी असुविधा को दूर करने के लिये यह अमेंडमेंट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड २---५

२---आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) में शब्द "निश्चित करे" के पश्चात् अल्पविराम (Comma) के स्थान पर पूर्ण विराम रख दिया जाय और उसे सदैव ही रखा गया समझा जाय, तथा उसके प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायं तथा सदैव से ही निकाले हुये समझे जायं।	यू० पी० ऐक्ट सं० ३१, १९५३ की धारा १ का संशोधन ।

*विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक ८ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छपा है ।

यू०पी० ऐक्ट सं० ३१, १९५३ में नयी धारा १–क का बढ़ाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा १ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा १–क के रूप में रख दिया जाय और सदैव से ही रखा गया समझा जाय —'

यूनिवर्सिटी अधिकारियों के संगठन आदि के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अधिकार।

"१–क—(१) इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय, राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के उपबन्धों को सामान्यतः प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक कोई भी कार्य करे, जिसके अन्तर्गत यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों (authorities) का संगठन किसी भी नये परिनियम (statute) की रचना अथवा किसी परिनियम का संशोधन तथा उन दिनांकों को निश्चित करना भी है जिन पर वे परिनियम अथवा संशोधन प्रवृत्त होंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी भी परिनियम तथा किये गये किसी भी संशोधन का प्रवर्त्तन तथा प्रभाव (force and effect) वही होगा, जो आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा २७ के अधीन तथा अनुसार बनाये गये किसी परिनियम (statute) या किये गये किसी संशोधन का होता है।

(३) उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों को अवसरानुकूल कभी भी, किन्तु इस अधिनियम के सरकारी गजट में प्रथम प्रकाशन से २४ मास समाप्त होने से पूर्व, प्रयोग में लाया जा सकता है।"

वैधीकरण

४—(१) शंकाओं के निवारणार्थ एतद्द्वारा यह प्रख्यापित किया जाता है कि मूल अधिनियम जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने से पूर्व था, की धारा १ अथवा अन्य किसी धारा के अधीन प्राप्त अधिकारों के अभिप्रेत प्रयोग के अन्तर्गत निर्मित कोई भी परिनियम (statute) या किया गया कोई भी संशोधन विधि की दृष्टि से उसी प्रकार वैध और उचित समझा जायगा, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान दिनांकों (material dates) पर प्रवृत्त थे तथा किसी भी विज्ञप्ति में, जिसके द्वारा परिनियम निर्मित या संशोधित हुआ हो, उपर्युक्त धारा के किसी भी अभिदेश (reference) के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा ३ द्वारा रखी गयी (inserted) धारा १–क का भी अभिदेश होगा और समझा जायगा।

(२) मूल अधिनियम के अधीन, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित होने के पूर्व था, बने या संशोधित किसी परिनियम के उपबन्धों के अधीन या अनुसार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी भी अवधि में किये गये किसी कार्य या की गयी किसी बात, जिसके अन्तर्गत दी गयी कोई आज्ञा, किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही तथा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार भी है, जो यदि मूल अधिनियम इस अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम होता उपर्युक्त प्रकार से बने या संशोधित परिनियम के अधीन वैध तथा सम्यक् रीति से की गयी या करने से छोड़ दी गयी होती (done or omitted) के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उसके अन्तर्गत वैध तथा सम्यक् रीति से की गयी, दी गयी, अथवा प्रयुक्त है अथवा थी।

निरसन

५—आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अध्यादेश, १९५६, को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की

धारा ६ और २४ के उपबन्ध इस पर इस प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निर्वर्तित विधायन था ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २,३, ४ और ५ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

आगरा यनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५३ को संशोधित करने का

विधेयक

एतत्पश्चात् प्रतीत होने वाले प्रयोजनों के निमित्त आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) ऐक्ट, १९५३ में संशोधन करना इष्टकर है,

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम और आरम्भ ।

१--(१) यह अधिनियम आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ कहलायेगा ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री हरगोविन्द सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि आगरा युनिवर्सिटी (संशोधन) विधेयक, १९५६, जैसा कि वह विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--माननीय समाज कल्याण मन्त्री--वह हैं नहीं तो उनका विधेयक अब कल ही लिया जायगा ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ३४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ;
२३ अगस्त, १९५६ ।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४५ पर)

सहायक मंत्री	१
प्रादेशिक सहायक	७
स्टेनोग्राफर	१
सहायक	१
टाईपिस्ट	२
अकाउन्टेन्ट	१

नोट--असिस्टेन्ट रिसर्च अफसर का पद १ अगस्त, १९५६ से समाप्त कर दिया गया है।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये अल्तसूचित तारांकित प्रश्न ५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४६ पर)

प्रश्न ५ से संलग्न तालिका

क्रम संख्या	नाम जिला	वर्षा ८ जुलाई से १५ अगस्त तक १९५६	१९५५
		इंच	इंच
१	इलाहाबाद	८.६७	२१.०६
२	वाराणसी	५.७१	२१.६३
३	फैजाबाद	९.३४	२६.३४
४	सुल्तानपुर	७.३७	३५.८९
५	प्रतापगढ़	७.७६	२८.५१
६	बाराबंकी	७.७०	३३.१२
७	मिर्जापुर	१६.०२	१५.६७
८	फर्रुखाबाद	८.४८	१५.३५
९	इटावा	६.३५	१३.५१
१०	कानपुर	११.८२	१२.८६
११	फतेहपुर	१६.५५	१७.३०
१२	देवरिया	६.३३	२०.११
१३	आजमगढ़	११.६३	२९.८७
१४	बस्ती	११.१०	३९.१७
१५	गोरखपुर	११.५८	२२.७९
१६	बलिया	६.२७	१६.९२
१७	जौनपुर	१०.४९	२८.१४
१८	गाजीपुर	९.५६	१६.८०
१९	गोंडा	८.६३	३६.१२
२०	बहराइच	१५.३४	२७.३०

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५३ पर)

श्री ब्रजभूषण मिश्र के द्वारा रिहन्द बांध के सम्बन्ध में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में पूछे गये विधान सभा में तारांकित प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न संख्या १४—रिहन्द बांध के हेतु जमीन प्राप्त करने के लिये दो लैन्ड एक्यूजीशन अफसर (एक स्पेशल लैन्ड अफसर एक्यूजीशन अफसर और एक डिप्टी लैन्ड एक्यूजिशन अफसर) के नियुक्ति की सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। स्पेशल लैन्ड एक्यूजिशन अफसर ने अपना कार्य पद ग्रहण कर लिया है और कार्य रहे हैं। डिप्टी लैण्ड एक्यूजिशन अफसर के भी शीघ्र ही अपने काम पर आ जाने की आज्ञा की जाती है। इसके अतिरिक्त एक पुनर्वास डिवीजन भी खुल गया है और कार्य कर रहा है। यह डिवीजन रिहन्द बांध के निर्माण से विस्थापित हुये लोगों के पुनर्वास के हेतु योजनाएं बनाने और आंकड़ा जमा करने आदि का कार्य कर रहा है। उपरोक्त डिवीजन के द्वारा माल विभाग की सहायता से सम्पत्ति के आंकड़े जमा करना आरम्भ हो चुका है तथा उनके परिवार के लोगों से प्रारम्भिक पूछ-ताछ हो रही है कि उनमें से कितने पुनर्वासित होना चाहते है और कितने मुआवजा लेकर स्वयं पुनर्वास होना चाहते हैं। उसका प्रतिफल निम्नलिखित है :—

	दूधी परगना	सिंगरौली परगना	जोड़
१—विलीन होने वाले ग्रामों की संख्या—			
सम्पूर्ण	७	९४	१०१
भाग		३	३
२—विस्थापित होने वाली आबादी की संख्या	८०९	३५,५३३	३६,३४२
३—विस्थापित होने वाले परिवार	१४०	६,६५३	६,७९३
४—सर्वसम्मति के लिये धन चाहने वाले परिवार का प्रतिशत ..	१० प्र० श०	३३ प्र० श०	..
५—मकान के लिये धन और जमीन के लिये जमीन चाहने वाले परिवार का प्रतिशत ..	९० प्र० श०	५३ प्र० श०	..
६—जमीन के लिये जमीन और मकान के लिये मकान चाहने वाला परिवार का प्रतिशत ..	..	१४ प्र० श०	..

उपरोक्त आंकड़े अपरिवर्तनशील नहीं है और इनमें कुछ अदला-बदली और ज्यादा पूछ-ताछ के फलस्वरूप हो सकती है।

आशा की जाती है कि इस बरसात में कौफर डैम के डूब में आने के कारण ५ गांव यानी पिपरी, बदुरा, पथरखण्डी, लाभारी और सेन्दुर तहसील दूधी में तथा सिंगरौली जिला मिर्जापुर पर असर पड़ेगा। इन गांवों के किसानों को पुनर्वास के खैराठी और किरवानी गांव में जगह एलाट कर दी गई है, जहां पर इन विस्थापित लोगों ने जगह लेने के लिये अपनी रजामन्दी दे दी है। रिहन्द बांध कन्ट्रोल बोर्ड की आज्ञा के अनुसार जिलाधीश, मिर्जापुर से कहा गया है कि रिहन्द बांध के बनने के कारण विस्थापित लोगों को बसाने की अच्छी जगह चुनने के लिये स्पेशल अफसर को नियुक्त करें।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७–१८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५५ पर)

जनवरी से जून, १९५६ तक जिला झांसी में पड़ी डकैतियों का विवरण

क्र० सं०	स्थान जहां डाका पड़ा	तहसील	हानि हुई रु०	हानि हुई आ०	हानि का ब्यौरा	जख्मी हुए मनुष्यों की संख्या	मारे गये लोगों की संख्या
१	मोहल्ला सिंगलपुरा सीपरी बाजार	झांसी	१,०००	०	के कपड़े तथा आभूषण	२	..
२	मोहल्ला जैकाल स्वेयर सीपारी बाजार	झांसी	२५०	०	के आभूषण	४	..
३	मोहल्ला नैनागढ़ गढ़िया फाटक	झांसी	२५८	०	के नकद तथा कपड़े	२	..
४	ग्राम खैलार	झांसी	२,२३३	४	नकद, कपड़े तथा आभूषण	३	..
५	ग्राम टुनका	झांसी	१५,७६९	०	नकद, कपड़े तथा आभूषण	..	२
६	ग्राम लछमनपुरा	झांसी	९,८५६	१२	नकद, कपड़े तथा आभूषण	३	..
७	ग्राम रघौली	गरोठा	२,६५६	०	कपड़े तथा आभूषण	३	..
८	ग्राम टिकटोली	मऊरानीपुर	६३८	०	के कपड़े	२	..
९	ग्राम बरानपुरा	गरोठा	७५८	८	के आभूषण	..	..
१०	ग्राम भेलोनी लोध	ललितपुर	१,२७९	८	नकद तथा आभूषण	२	..
११	ग्राम गढ़िया	ललितपुर	१,००७	८	नकद तथा आभूषण	३	..
१२	ग्राम सिंधरवारा	ललितपुर	१,५५९	०	नकद, आभूषण तथा एक बंदूक	२	..
१३	ग्राम पटना	ललितपुर	१,४५२	०	के आभूषण आदि	२	..
१४	ग्राम बामकोरी खुर्द	महरौनी	१,६१४	०	आभूषण तथा बंदूक	२	..
१५	ग्राम लिधोरा	महरौनी	१,२९६	४	आभूषण तथा बन्दूकें	५	..
१६	ग्राम धुरवारा	महरौनी	९,६४८	०	आभूषण तथा बन्दूक	३	..
१७	ग्राम केलगवां	महरौनी	१,२१४	८	आभूषण तथा कपड़े	..	..

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर)

क्रम सं०	नाम	पद	नियुक्ति की तिथि
१	श्री लाल सिंह . .	टेलीफोन अटेंडेंट	१७-१२-१९४८
२	श्री लछमन सिंह . .	फर्राश	२०-१०-१९४७
३	श्री राम जी नं० १ . .	,,	१०--२-१९४८
४	श्री हीरालाल . .	,,	१-९-१९४८
५	श्री मोम्मद शरीफ . .	,,	१-१०-१९४९
६	श्री गुरु प्रसाद . .	,,	१-१०-१९४९
७	श्री विश्वनाथ . .	,,	१-५-१९५२
८	श्री लालता सिंह . .	,,	१-५-१९५२
९	श्री ज्ञान चन्द्र . .	,,	१-५-१९५२
१०	श्री नन्द बहादुर सिंह . .	,,	१-५-१९५२
११	श्री जसोध सिंह . .	,,	२-५-१९५२
१२	श्री दान सिंह . .	,,	२-५-१९५२
१३	श्री प्रेम सिंह . .	चौकीदार	११-२-१९४८
१४	श्री दान सिंह . .	,,	१९-२-१९४९
१५	श्री उदय बहादुर सिंह . .	,,	१-११-१९४९
१६	श्री बेनी . .	माली	१-४-१९४७
१७	श्री कल्लू . .	भिश्ती	२-११-१९४७
१८	श्री रघुबर . .	मेहतर	१-४-१९४७
१९	श्री मंगल . .	,,	१-११-१९४७
२०	श्री श्याम लाल . .	,,	१८-८-१९५२
२१	श्री छोटे लाल नं० १ . .	,,	२४-८-१९५२
२२	श्री भगेड़े . .	,,	१-१-१९५३
२३	श्री बलई . .	माली मजदूर	१-९-१९५१

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

जिला देवरिया में सन् १९५५ व १९५६ में होने वाली चोरियां, डकैतियां तथा कत्लों का विवरण

१९५५ ई०

नाम थाना	चोरी	डकैती	कत्ल
कोतवाली	३६	..	२
खड्डा	१८	..	..
रामकोला	१३	..	..
कप्तानगंज	९	..	२
पडरौना	३०	..	१
कसया	२६	..	..
तरयासुजान	१३	१	२
विशुनपुरा	१८	..	..
पटहरवा	१४	..	..
खखन्दू	२८	..	..
बरहज	३०	..	१
रुद्रपुर	१९	..	२
लार	२९	..	१
खामपार	१८	..	१
गौरीबाजार	१९	..	१
हाटा	१०	..	१
तरकुलवा	१९	२	२
कुल जोड़	३४९	३	१६

१९५६ ई०

१-१-५६ ई० से १५-८-५६ ई०

कोतवाली	३४	—	—
खड्डा	११	—	—
रामकोला	१४	—	—
कप्तानगंज	८	—	—
पडरौना	१५	—	१
कसया	१६	१	—
तरयासुजान	११	—	—
बिशुनपरा	१५	—	—
पटहरवा	१५	—	१
खुखून्दू	१८	—	१
बरहज	२३	—	१
रुद्रपुर	२०	—	३
लार	१०	१	२
खामपार	१३	१	—
गौरीबाजार	११	—	२
हाटा	१२	—	—
वरकुलवा	१०	—	—
कुल जोड़	२५६	३	११

पी० एस०—यू० पी०—ए० पी०—१६० एल० ए०—१९५६-७९६ ।